सत्यमेव जयते

**असंशोधित**

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## 29 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा              मंगलवार, तिथि 29 मार्च, 2022 ई0

पंचम सत्र              08 चैत्र, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे ।

(व्यवधान)

बैठिए । इनका फोटो ले लीजिए । कोई इस तरह का नहीं, बैठिए । मतलब कोई और सकारात्मक विषय नहीं है । बिहार की इतनी समस्या है उसपर चर्चा का कोई, आपलोग टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ले लीजिए फोटो इनलोगों का । विधान परिषद् में हुआ है कि सदस्य को निलंबित कर दिया गया है, क्या चाहते हैं, बैठिए, वैसा काम करिएगा ।

(व्यवधान जारी)

आप क्या चाह रहे हैं कि निलंबित कर दें ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । आपका अगर यह व्यवहार रहा तो, आपका यह व्यवहार रहेगा तो आचार समिति में मामला को भेजकर फिर हम कड़ी कार्रवाई कर देंगे, यह आपको बता देते हैं । आपका व्यवहार पहले से भी बहुत पारदर्शी नहीं है । अब स्थिर से बैठ जाइये । आपलोगों को हम बड़े ही लोकतांत्रिक रूप से चाहते हैं कि सदन चलाने में सबकी भागीदारी है और वह वातावरण बनाये रखिए और बिना अनुमति के, सबको मौका...

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, अभी बैठ जाइये । जब सबको मौका देते हैं शांति से सुनिये । दूसरी जगह का नकल हमको नहीं करना है । हमको अपने ढंग से काम करना है । श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' ।

## प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 120 (श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल', क्षेत्र संख्या-35, बिस्फी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संगीत विषय के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध छठे चरण में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

इस चरण की नियोजन प्रक्रिया समाप्ति उपरान्त रिक्तियों का आकलन कर संगीत विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संगीत की उत्पत्ति शंकर के डमरू से हुई है और पात्रता परीक्षा संगीत की जो 10 साल पहले ली गई और उसके बाद न संगीत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली गई है, न उनकी बहाली हो रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि संगीत पात्रता परीक्षा में जो पास किए 10 वर्ष पूर्व, उनकी बहाली कब होगी और पुनः संगीत पात्रता परीक्षा सरकार कब लेगी, मैं यह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, मैंने उत्तर में कहा है कि संगीत शिक्षकों की बहाली जो छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, उसके तहत की जा रही है और यह बहाली हो जाती है और संगीत शिक्षक जितने अभी पिछले एस0टी0ई0टी0 से जो पास हैं वो एक्जॉस्ट हो जाएंगे या सातवां चरण फिर तुरंत प्रस्तावित है । सातवें चरण के बाद हमलोग फिर से नई पात्रता परीक्षा ले लेंगे ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': महोदय, संगीत जैसे महत्वपूर्ण विषय को...

अध्यक्ष: सकारात्मक जवाब दिए हैं ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': छठे और सातवें चरण में और पुनः दोबारा कब पात्रता परीक्षा होगी अध्यक्ष महोदय, इसका भी माननीय मंत्री जी जवाब दे दें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हमने कहा कि छठे चरण में भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, हमने यह थोड़े कहा कि सातवें चरण में करेंगे । हमने कहा कि छठे चरण में कर रहे हैं, सातवें चरण में भी करेंगे । पिछला जो एस0टी0ई0टी0 हुआ है उसमें लगभग 759 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, हमने तो यह कहा है कि अभी सातवें चरण की जो नियुक्तियां हैं वो प्रस्तावित हैं, उनके लिए निर्धारित है, यह

अगर संगीत शिक्षक की रिक्ति बचेगी, हम जरूर परीक्षा लेंगे । हम तो बता रहे हैं परीक्षा लिए हैं, 759 जो उत्तीर्ण हैं उन्हीं का अभी नहीं हो पाया है, जो हम छठे और सातवें चरण में कर रहे हैं ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': मंत्री जी के जवाब से, अब अंतिम है, एक ही तो पहली बार जीवन में आया है हुजूर...

अध्यक्ष: बोलिए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': मेरा कहना है कि छः चरण या सात चरण जो भी पास किए, उन सबों का कबतक, कि अब जो प्रक्रिया है उसमें पूरे छात्रों का जो कंप्लीट कर गए हैं संगीत पात्रता परीक्षा, उसका नियोजन हो जाएगा या नहीं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संगीत से बड़ा प्रेम है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, इसमें हम माननीय सदस्य को और सारे सदन को बताना चाहते हैं कि सरकार तो बचोल जी की भावना से न सिर्फ सहमत है बल्कि उस दिशा में हम तत्पर हैं, हम यह आपको बता रहे हैं कि हमने छठे चरण में और आप यह समझ लीजिए कि जिस एस0टी0ई0टी0 संगीत परीक्षा को दोबारा या फिर से अगला आयोजित करने की बात आप कर रहे हैं, अभी जो परीक्षा हमने ली है, हमने आपको संख्या बता दी है कि उसमें 759 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अभी प्रतीक्षा में हैं और छठे चरण की जो हम नियुक्ति कर रहे थे बल्कि सच पूछते हैं तो हमें मलाल है, हमें मलाल है कि हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर से जो न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है कि फिर से जो लोग पात्रता नहीं रखते थे, एक न्यायिक आदेश आ गया है कि हम उनको भी शामिल करावें । महोदय, उनको छठे चरण में शामिल कराने का सीधा अर्थ यही होगा कि हम फिर से सारे विज्ञापन को रद्द करके फिर से पद विज्ञापित करें और फिर से लें इसलिए सरकार ने अपनी ईमानदारी के तहत जो न्यायिक आदेश आया है, हम माननीय उच्च न्यायालय से सिविल रिव्यू पिटीशन दायर किया है कि हमको नियुक्तियां करने दीजिए, आप जिनको भी कह रहे हैं पात्रता देने के लिए, हम पात्रता दे देंगे और अगले समय में पात्रता देने में अगर उम्र सीमा की बाधा आएगी तो हम उसको भी क्षांत कर देंगे लेकिन अभी जो नियुक्ति है जो बचोल जी की जो भावना है या उनकी जो व्यथा है, ये रिक्त पड़े हैं जो योग्य अभ्यर्थी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं संगीत की शिक्षा बाधित हो रही है तो सरकार तो खुद तत्पर है और हमलोगों ने न्यायालय से इजाजत मांगी है कि आप हमको छठे चरण की नियुक्ति में आगे बढ़ने का मौका दीजिए । आपके हिसाब से अगर दूसरों

की भी पात्रता बनती है तो उनको जरूरत पड़ेगी तो हम उम्र क्षांत करके भी अगले चरण में उनको मौका दे देंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक है । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते छठे चरण की बहाली रुकी हुई है लेकिन कोर्ट ने कहीं से भी यह नहीं कहा कि इसपर स्टे लगा हुआ है, कोर्ट यह नहीं कह रहा है । कोर्ट कह रहा है कि सरकार और विभाग इसपर निर्णय ले तो अगर सरकार को नहीं लेना है जिन अतिरिक्ति कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो डायरेक्ट बहाली हो सकती है, कोर्ट का स्टे कहीं से नहीं है ।

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है ?

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पूरक है कि 2011 में जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं और आज 2022 चल रहा है, इन अभ्यर्थियों को छठे चरण की तत्काल नियुक्ति सरकार कबतक करेगी क्योंकि कोर्ट का स्टे नहीं है और सातवें चरण की नियुक्ति कब शुरू की जाएगी क्योंकि सरकार की तरफ से अबतक तीन साल से ये लोग वेटिंग में हैं, सातवें चरण के लिए । सरकार की ओर से कई बार कहा गया है कि मार्च में आएगा, जनवरी में आएगा फरवरी में आएगा वह डेट बढ़ता जा रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, शायद हमने जो कहा माननीय सदस्य ने ठीक से सुना नहीं । हमने कहीं नहीं कहा है कि कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, हमारे शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया । हमने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है और आप बताइये कि कोर्ट ने कहा है कि जो विज्ञापन आपने निकाला है उसमें 2017-19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका दीजिए, यह स्पष्ट कहा है । जो हमलोगों के विज्ञापन के हिसाब से वो उसमें पात्रता नहीं रखते थे और उसने कहा कि इनको छठे चरण में ही मौका दीजिए और इसमें आप आगे की कार्रवाई करिए ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अब आप बताइये, उसी के लिए तो हमने उतनी बातें कहीं, उसको बता दिया विस्तार से जो कोर्ट की बात मानने का मतलब है, एक विज्ञापन हमने निकाला, उसके हिसाब से जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन डाला, हमने नियोजन इकाईवार उनकी मेधा सूची तैयार करके रखी है, हम 15 दिन में सबको नियुक्ति पत्र देनेवाले थे, तिथियों की घोषणा हमने कर रखी थी । अब उस बीच में न्यायालय ने कहा है कि इनको भी शामिल करिए । शामिल करने का क्या मतलब है कि हम वह सब रद्द करें, वही तो हमने शुरू

में कहा कि हम फिर से विज्ञापित करें, फिर से वे आवेदन डालेंगे फिर से नियोजन इकाईवार मेधा सूची बनेगी वही तो हम कह रहे हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-2/अंजली/29.03.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : उन्होंने जो कहा है जिस ढंग से हस्तक्षेप किया है उसके निहतार्थ यह सब है, उन्होंने स्थगित, मतलब शब्द नहीं कहा है लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वह स्थगन से भी ज्यादा गहरे अर्थ वाला है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्यगण, आज हमारे बीच सदन की कार्यवाही देखने के लिए जहानाबाद से स्कूल के कुछ बच्चे आए हैं, इन्हें हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय परंपरा के उज्ज्वल पक्ष से परिचित कराना हम सब की जिम्मेवारी है । ये लोकतंत्र को एक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि जीवनशैली के रूप में इसे अपना सकें, यह प्रयास हम सबको करना है ।

अतः हम सब इनके बीच एक बेहतर वातावरण और सकारात्मक भाव से व्यवहार करें ताकि ये यहां से, इस महान सदन की अमिट छाप लेकर जायं और जीवन को इसके अनुकूल बनाने का प्रयास करते रहें ।

माननीय सदस्य, श्री भीम कुमार सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-121 (श्री भीम कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-219, गोह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-122 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के पिछले तीन सालों में 08 बाघों की मौत हुई है । एक मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में बाघ की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है । सभी मामलों में शवों का अन्त्य परीक्षण कराया गया है तथा नमूने की जांच हेतु फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को उपलब्ध कराये गये हैं । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

(National Tiger Conservation Authority-NTCA). भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिवेदन 2018 के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों की संख्या 31 है ।

2- इस वक्तव्य की संपुष्टि हेतु इस कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध नहीं है ।

3- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा जारी वर्ष 2010 से 2018 के प्रतिवेदनानुसार वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसका विवरण इस प्रकार है -

| वर्ष | NTCA द्वारा जारी प्रतिवेदनानुसार वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष बाघों की संख्या |
|---|---|
| 2006 | 10 |
| 2010 | 08 |
| 2014 | 28 |
| 2018 | 31 |

देश में व्याघ्र आरक्ष क्षेत्र के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के चतुर्थ चक्र (4" Cycle Of Management Effectiveness Evaluation (MEE) 2018 के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को 2014 एवं 2018 में Very Good रेटिंग दिया गया है ।

बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण पदाधिकारियों पर कार्रवाई विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वर्ष 1980 में 81 बाघ थे, उस समय ही यह अधिसूचना जारी हुई थी कि उसको टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जायेगा लेकिन आज सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें मात्र 31 बाघ हैं और इसके लिए वहां सड़कें बनानी बंद हो गईं, नदियों में पत्थर चुनकर के जो लोग रोजगार करते थे, बालू से जो रोजगार था, बीसों हजार लोग बेरोजगार हो गए और प्रति वर्ष हजारों एकड़ जमीन जो है नदी की धारा बदलने से कृषि भूमि कट रही है, तो टाइगर रिजर्व करने से यह सब कुछ हुआ लेकिन जिसकी सुरक्षा की बात थी वह 81 से 31 पर आ गए तो हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो जवाब दिया है, हमने एक केंद्र सरकार की अधिसूचना का...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : वही पूरक पूछ रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार के एक संसद में जवाब का हवाला दिया है कि 30 अप्रील को वर्ष 1990 को सरकार ने कहा था कि 81 बाघ हैं, आज आप कह रहे हैं कि 31 बाघ हैं ।

अध्यक्ष : आप दो मिनट समय ले चुके हैं, पूरक एक भी नहीं हुआ । हम आगे बढ़ते हैं ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह पूरक ही है कि इसका जवाबदेह कौन है, क्या वह पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो (4" Cycle Of Management Effectiveness Evaluation 2018 की रिपोर्ट है उसके अनुसार टाइगर रिजर्व को Very Good रेटिंग दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, लगातार 2006 से वाल्मीकि नगर में जो बाघ है उसकी संख्या बढ़ रही है और जहां 2006 में इसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में 31 संख्या है, Very Good रेटिंग के साथ वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष संस्थान काम कर रही है इसलिए इसमें पदाधिकारियों पर कार्रवाई विचाराधीन नहीं है ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, इसमें हमारा एक पूरक यह है, जवाब में यह आया है कि 8 बाघ जो है इधर पिछले 3 साल के अंदर मरे हैं जिसमें एक बात कही गई है कि 1 बाघ की अस्वाभाविक मौत है, हमारी जानकारी में वे तमाम मौतें अस्वाभाविक हैं और वे पूरे रिहायशी इलाके में जाकर बाघ मर रहे हैं, वहां उनके खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है । हम यह कहना चाहते हैं एक जो अस्वाभाविक मौत है आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, उसमें किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई की नहीं ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो पूरक है वह पूरक ही अस्वीकारात्मक है । पिछले तीन सालों में 8 बाघों की मौत हुई है जिसमें 7 की मौत प्राकृतिक कारण से हुई है, उसकी फोरेंसिक जांच रिपोर्ट भी लगी हुई है । उत्तर विस्तारपूर्वक इसमें माननीय सदस्य को दिया गया है इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो बेवजह क्यों कार्रवाई कर दें ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं, यह चीज ठीक नहीं है । जब काम अच्छा हो तो उनको मोटिवेट करना भी...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : नहीं-नहीं महोदय ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, उसमें हमने एक पर सवाल उठाया है, तीन पर आपने 7, 8 बाघों की मौत हुई है, आपने कहा कि 7 की नेचुरल मौत है लेकिन एक बाघ की कह रहे हैं कि अस्वाभाविक मौत है तो उस पर किसी पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, उसकी जांच करायी जा रही है, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-123 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र सं0-73, मधेपुरा)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि चतुर्थ चरण में अंगीभूतीकरण किए गए महाविद्यालयों के कतिपय कर्मियों की सेवा अन्तर्लीनीकरण के दावों के निस्तारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग का गठन किया गया था । माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग के प्रतिवेदन में उक्त कर्मियों को तीन श्रेणी क्रमशः Allowed, Referred एवं Dismiss श्रेणी में रखते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसे मान्य करते हुए सिविल अपील संख्या 2703/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया ।

न्यायादेश में Allowed एवं Referred श्रेणी के कर्मियों के मामले में सेवा अन्तर्लीनीकरण का निर्णय लिया जा चुका है ।

वैसे वादीगण जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dismiss श्रेणी में रखा गया, उनके सेवा अन्तर्लीनीकरण पर विचार नहीं किया जाना है । परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे वादियों को अपने मामले के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवश्यकतानुसार वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके आलोक में कुछेक Dismiss श्रेणी के वादियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किए गए एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उनके अन्तर्लीनीकरण का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध विभागीय स्तर से एल0पी0ए0 दायर किया गया है, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है ।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के तहत ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, सरकार ने जवाब दिया है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर-2703/2017 एवं 2307/2017 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय की एकल

पीठ, उपाध्याय साहब की एकल पीठ ने जो न्याय निर्णय दिया कि ऐसे कर्मियों, विश्वविद्यालय कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन सहित सारी सुविधा देय है, ऑब्जरवेशन का अधिकार सिर्फ विश्वविद्यालय को है और सरकार गई है ।

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए, सदन में जब प्रश्न चलता हो और आपस में बातचीत यह उचित नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, सरकार इस न्याय निर्णय के खिलाफ एल0पी0ए0 में गई है, डबल बेंच में । डबल बेंच का न्याय निर्णय अभी नहीं आया है, क्या सरकार को एल0पी0ए0 के न्याय निर्णय आने से पहले माननीय एकल पीठ जो उच्च न्यायालय का है, उसके न्याय निर्णय को बदलकर जो पत्र निर्गत किया है उसको वापस करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो जवाब में सारी बातें कही हैं लेकिन माननीय सदस्य ने सिर्फ उसके एक अंश का हवाला दिया । उसके पहले जवाब में स्पष्ट है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक एस0बी0 सिन्हा कमीशन बनाया है जो डायरेक्ट उनके निदेश पर बना था, उसने सारे मामले की जांच की, उसने जितने इस तरह के कर्मी थे उसकी 3 श्रेणियां बना दीं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, जवाब में है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : तो हम तो वही कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री चन्द्रशेखर : जी, पूरक ही पूछे हैं कि क्या सरकार को यह बदलने का अधिकार है, माननीय उच्च न्यायालय की जो एकल पीठ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही हुआ है । तो एकल पीठ में जो न्याय निर्णय...

अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होता तब तो हम बदल चुके होते । हमें अधिकार नहीं है इसलिए तो हम कोर्ट से इजाजत मांग रहे हैं, हमने कहां बदला है और महोदय, दूसरी बात है कि माननीय सदस्य और सदन को इस बात पर भी गौर करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके तीन श्रेणी बनाई है एक एलाउड है, एक रेफर्ड है आप इस बात को क्यों छिपाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को डिसमिस श्रेणी में रखा है, इनको उपयुक्त नहीं माना है, जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि आपको अगर दूसरा रिलीफ चाहिए तो आप हाईकोर्ट चले जाइए । हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, हम

एल0पी0ए0 में गए हैं, एल0पी0ए0 में जाने का हर समय, हर नागरिक को भी अधिकार है और सरकार को भी अधिकार है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय...

अध्यक्ष : अब आपका हो गया ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, हमारा एक पूरक हुआ है, दूसरा हमारा यह कहना है कि...

अध्यक्ष : दो हो गया है, तीसरा है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों का हम डिटेल, जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, समय के अभाव में मैं माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ता हूं, संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर । माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णय दिया ।

अध्यक्ष : पूरक लास्ट पूछिये ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, पूरक पर आ रहे हैं । उस न्याय निर्णय के खिलाफ सरकार एल0पी0ए0 में गई, क्या सरकार को अधिकार है एल0पी0ए0 के आदेश से आने से पहले...

अध्यक्ष : जवाब दे चुके हैं ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, बीच में सरकार ने जो पत्र निकाला है वह अवैध है । उस पत्र को सरकार वापस लेना चाहती है । न्याय निर्णय बदलने का अधिकार सरकार को है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य आधी बात को मरोड़ देते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा है कि हम इस मामले को नहीं देखते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को डिसमिस श्रेणी में रखा है । फिर ये लोग उसके खिलाफ गए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब नहीं । माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार मिश्र । अब उनका लास्ट है । पूछने दीजिए । (व्यवधान)

अब आपका हो गया है, उनका होने दीजिए । तीन पूरक हो गया, अब आप बैठ जाइए ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-124 (श्री संतोष कुमार मिश्र, क्षेत्र सं0-209, करगहर)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 के लिए जारी मार्गदर्शिका एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित

विज्ञापन के अनुसार सामान्य कोटि के लिए 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग/दिव्यांग कोटि के लिए 45 प्रतिशत उत्तीर्णांक निर्धारित है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उत्तीर्णांक में अलग से 5 प्रतिशत की छूट नहीं दी गई है ।

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 के लिए जारी दिशा-निर्देश एवं विज्ञापन के अनुसार परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । समय समाप्त हो रहा है

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उत्तर कुछ भ्रामक है । महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए, भ्रम टूट जाएगा ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, वही पूछ रहा हूं । मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि जब आपने 2019 में एस0टी0ई0टी0 की जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो फॉर्म निकाला था, जो उस समय विज्ञापन दिया गया था उसमें एक अलग से कॉलम दिया गया था ई0डब्लू0एस0 के अभ्यर्थियों के लिए ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये, पूरक की तैयारी करके, लिखकर लाइए, फिर बोलिए । भूमिका मत बनाइए, समय आपका समाप्त है, नहीं तो हम स्थगित करेंगे इस प्रश्न को ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, वही बता रहे हैं । अगर उनके लिए कॉलम निर्धारित किया गया था तो फिर क्यों मतलब उनको सामान्य वर्ग की कोटि के साथ ही सामान्य...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, मेरा बस पूछना यह है कि ई0डब्लू0एस0 के अभ्यर्थियों के लिए, माननीय मंत्री जी से मैं इतना ही जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अब समय समाप्त हुआ, बैठ जाइए । अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे । माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ । (क्रमशः)

टर्न-3/सत्येन्द्र/29-03-22

अध्यक्ष (क्रमशः) : माननीय सदस्य, मैं बराबर कहता हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे को और ज्यादा पूरक डायरेक्ट कम शब्दों में करनी चाहिए चूंकि भूमिका के चक्कर में समय बर्बाद होता है । अब बताईए कि कितने सदस्यों का है प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा कवर हो । माननीय मंत्री जी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, जब आप माननीय सदस्य की विशेष श्रेणी पढ़े लिखे सदस्य के रूप में बना दी है तो इनको हम अलग से भी संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री समीर कुमार महासेठ ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'अ'3030(श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र सं0-36, मधुबनी)

श्री मदन सहनी,मंत्री(लिखित उत्तर) महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पोर्टल बाल स्वराज पर दिनांक-01.01.2020 से 15.03.2022 तक कुल 314 ऐसे बच्चों के आंकड़े प्रतिवेदित किये गये हैं जो कोविड सहित अन्य कारणों से भी अनाथ हुए हैं । राज्य में कोरोना से अनाथ हुए 0-18 आयु वर्ग के वैसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु जिसमें कम-से-कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, को आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । ऐसे बच्चों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा PM CARES योजना एवं राज्य सरकार द्वारा बाल सहायता योजना लागू की गई है ।

राज्य द्वारा संचालित बाल सहायता योजना (जून-2021 से संचालित) अंतर्गत योग्य बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक पालन, पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिये अनुदान के माध्यम से 1500/- रुपये प्रतिमाह देय है । अब तक कुल 69 बच्चे योजना से आच्छादित किये जा चुके हैं । सभी योग्य लाभुक के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति या गैर सरकारी संस्थान या विधिक अभिभावक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र भरकर आवश्यक कागजातों के साथ संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करा सकते हैं । कोई भी योग्य स्वीकृत लाभुक अनुदान राशि भुगतान हेतु लंबित नहीं है ।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित PM CARES योजना अंतर्गत 11 मार्च 2020 से मौजूदा प्रावधान के आलोक में 28 फरवरी 2022 के मध्य कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे (माता-पिता दोनों की मृत्यु जिसमें कम-से-कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो) योजना के पात्र होंगे । इस योजनान्तर्गत बच्चों की व्यापक देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनको 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है । प्रावधाननुसार सभी स्वीकृत लाभुकों को 2000/- रुपये प्रतिमाह भुगतान किये जाने हेतु सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया जा चुका है । भारत सरकार द्वारा इन लाभुकों को वित्तीय अथवा अन्य सहायता दिये जाने के संबंध में

जो भी दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । इस योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी पात्र लाभुक का पंजीयन हेतु एक पब्लिक पोर्टल https://pmcaresforchildren.in/ है । इस योजना के तहत बिहार में अब तक कुल 183 आवेदन प्राप्त हुए हैं । जिसमें से 108 आवेदन (एक डुप्लीकेट आवेदन सहित) अर्हता पूरी नहीं रहने के कारणवश अस्वीकृत हो गए हैं तथा 06 आवेदन प्रक्रियाधीन है एवं वर्तमान में कुल 69 आवेदनों को योजना का लाभ देने हेतु स्वीकृत किया गया है ।

कोई भी पात्र लाभुक केन्द्र सरकार की योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की योजना 'बाल सहायता' का भी लाभ ले सकता है ।

श्री समीर कुमार महासेठः पूछता हूँ ।

अध्यक्षः जवाब दिया हुआ है न, पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों को कौन सी सहायता देय है और कबतक उन्हें सभी देय सुविधाएं दी जायेगी, पहला..

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठः दूसरा भी पूरक पूछ ही लेते हैं ।

अध्यक्षः अच्छा पूछ लेते हैं एक ही बार, ये समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठः क्या सरकार यह निर्धारित करेगी कि छोटी मोटी तकनीकी त्रुटियों के कारण छांटे गये आवेदन पत्रों पर पुनः विचार करते हुए उसे स्वीकार कर बच्चों को देय सुविधाएं देगी और कबतक ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, समाज कल्याण ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था कि 11 हजार आवेदन आये हैं अनाथ बच्चों का तो हमने जवाब दिया है कि दिनांक 01-01-20 से 15-03-22 तक कुल 314 ऐसे बच्चों के आंकड़े आये है जिसमें से 69 को सही पाया गया है और उनको हमलोग राज्य सरकार द्वारा जो बाल सहायता योजना है जिसके तहत हमलोग प्रत्येक महीना 1500 रू0 देते हैं और दूसरा जो भारत सरकार की योजना है पी0एम0केयर योजना, जिसके तहत 2000 रू0 हमलोग देते हैं, इस प्रकार कुल साढ़े तीन हजार रू0 प्रति माह का हमलोग लाभ देते हैं और जो उनका दूसरा प्रश्न है कि छोटा मोटा त्रुटि, तो इसमें कोई छोटा मोटा त्रुटि का सवाल नहीं है, इसमें स्पष्ट रूप से यह है कि माता या पिता में से किन्हीं एक का मृत्यु कोरोना के कारण हुआ हो और दूसरे का अन्य किसी कारण से हुआ हो या पहले हो चुका हो तो वैसे ही लोगों को इसमें लाभुक माना जायेगा और योग्य

लाभुक जो भी होगें, अभी तक हमारे पास 69 का आंकड़ा है, इसके अलावा जो भी आयेंगे, उनको हमलोग इस तरह का लाभ देंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठः महोदय, मंत्री जी का कहना सही है लेकिन गलती कहां हो रही है, पूरे प्रदेश में जैसे मधुबनी में, 11 हमारे ब्लौक का लिस्ट है कि सी0ओ0 रिपोर्ट दे ही नहीं रहा है कि आपका कोराना का, जबकि उसको मधुबनी से ईलाज हेतु दरभंगा भेजा गया, कोरोना बार्ड में ट्रीटमेंट हुआ और वहां मरे लेकिन उनका कहना है आप भेजे कहां से, वह भेजिये तो कहीं न कहीं मेरा आग्रह है कि जो भी छोटा मोटा त्रुटि है, चूंकि कोरोना काल में कोई नहीं जानता है, आप पुनः इसको मंगा लें और जो त्रुटियां है उसको दूर कर के लाभ दें ।

अध्यक्षः इनके सुझाव को ग्रहण कर लीजिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह हमारे विभाग का काम ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का काम है ।

श्री समीर कुमार महासेठः आपके यहां आवेदन आ ही नहीं रहा है इसलिए कि भेज ही नहीं रहा है ।

अध्यक्षः ठीक है । श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 3329(श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)</u>

श्री जिवेश कुमार,मंत्री(लिखित उत्तर) महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सरोत्तर झील (खेताड़सहित) का रकबा 266 एकड़ है जिसमें से 232.47 एकड़ रैयती भूमि होने की सूचना है एवं सरकारी भूमि है । यह झील वन भूमि अथवा वन्य प्राणी/पक्षी आश्रयणी नहीं है । अतः यहां स्थायी चौकी की व्यवस्था नहीं है । झील एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों का आवासन है तथा माह नवम्बर से फरवरी तक स्थानीय एवं विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं । इस झील में लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षियों की आने की सूचना नहीं है ।

उल्लिखित झील के समीपस्थ एन0एच0-28 के किनारे पर्यटकों की जानकारी हेतु वन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है । बोर्ड पर पक्षियों के अवैध शिकार के लिये वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है । झील में आने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिये माह नवम्बर से फरवरी तक वन प्रमंडल के वनपाल, वन रक्षियों द्वारा लगातार गश्ती कार्य के साथ-साथ लाउडस्पीकर से पक्षियों की सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जाता है ।

समय-समय पर पदाधिकारियों द्वारा भी शीतऋतु में औचक निरीक्षण का भी कार्य किया जाता है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: पूरक है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 34 एकड़ जमीन छोड़कर बाकी सारी जमीन सरोत्तर झील की रैयती भूमि है इसलिए इस पर वन विभाग का चौकी नहीं हो सकता है तो मेरा मंत्री जी से पूछना है कि क्या मंत्री जी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आसपास के थाने डुमरिया घाट, केसरिया, कोटवा से पुलिस बल को लगाकर वहां पर जो पक्षी आते हैं, उनकी सुरक्षा की जाय तथा उनके व्यापार और शिकार पर रोक लगाया जाय । क्या मंत्री जी ये सुनिश्चित कराना चाहेंगे ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: उत्तर में विस्तारपूर्वक यह बात लिखा हुआ है कि झील में आने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए माह नवम्बर से फरवरी तक वन प्रमंडल के वनपाल, वनरक्षियों से लगातार नवम्बर से लेकर फरवरी तक गश्ती का कार्य कराया जाता है । लाउडस्पीकर से भी पक्षियों के सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है । समय समय पर बड़े पदाधिकारियों द्वारा भी शीतऋतु में औचक निरीक्षण का काम किया जाता है इसलिए इसकी आवश्यकता वहां नहीं है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, दो और हमारा पूरक हैं, कौन-कौन से पदाधिकारी निरीक्षण के लिए गये थे, उनका नाम, पदनाम बता सकते हैं तो बतायें और दूसरा पूरक है, क्या मंत्री बता सकते हैं कि कितने वनपाल और वनरक्षी वहां गश्ती के लिए प्रतिनियुक्त हैं और गश्ती के लिए उनके पास कौन सा वाहन है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: ये माननीय सदस्या को बता दिया जायेगा चूंकि यह विषय इस प्रश्न से संबंधित नहीं था इन्होंने पूछा था कि वहां आप चौकी बना सकते हैं या नहीं तो इसका जवाब उनको मिल जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है, बता दीजियेगा । श्री राम बली सिंह यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 3330(श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र सं.-217, घोसी)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री(लिखित उत्तर) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घोसी विधान सभा अंतर्गत राजकीयकृत 16 विद्यालयों में से 11 विद्यालयों में एवं 24 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय

में से कुल 13 विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किया गया है । जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-728, दिनांक-05.03.2022 के द्वारा प्रबंध समिति गठित नहीं किए जाने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है ।

विद्यालयों में प्रबंध समिति को सुदृढ़ करने हेतु पूर्व के गठन संबंधी प्रावधानों को निरस्त कर अधिसूचना संख्या-389, दिनांक-03.03.2022 के द्वारा प्रबंध समिति के गठन हेतु नियमावली बनाई गई । उक्त नियमावली में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों, जिसके संबंध में पूर्व में प्रावधान नहीं थे, को भी समाहित किया गया है । विभागीय पत्रांक-392, दिनांक-03.03.2022 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार सभी विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन सुनिश्चित कराते हुए प्रबंध समिति के गठन संपन्न होने संबंधी प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने प्रश्न में ही खुद ही जिक्र किया हूँ कि प्रबंध समिति बनाने के लिए सरकार और जिला पदाधिकारी ने कई पत्र लिखा । मैंने भी स्कूल में जाकर प्रयास किया, वाबजूद अभी भी कई विद्यालय प्रबंध समिति गठन करने के मूड में नहीं है । सरकार ने भी महोदय अपने उत्तर में स्वीकार किया है और कहा कि वैसे प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है, तो ये तो लग रहा है महोदय कि सरकार वैसे प्रधानाध्यापकों के सामने गिडगिड़ा रही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के नियमों को न मानने के जिद पर अड़े उन प्रधानाध्यापकों को क्या सरकार पदच्युत करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, किसी भी सरकारी कर्मचारी का या शिक्षक का वेतन स्थगित करना भी उनके विरूद्ध एक प्रकार का दंड होता है । मतलब है कि सरकार मान रही है कि हमलोगों ने जो निर्देश दिया था, उसके तहत कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों ने कमिटी बनायी है और कुछ में नहीं बनायी है । हमने संख्या भी आपके निर्वाचन क्षेत्र का डाल दिया है । जिन लोगों ने नहीं बनायी है, जिस प्रधानाध्यापक ने इस कार्यक्रम को या कमिटी बनाने में उदासीनता दिखायी है, हमलोग उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत उनका वेतन बंद किया है और अगर फिर भी वे नहीं कमिटी बनायेंगे तो इससे भी ज्यादा सख्त सजा सरकार देने का मुकम्मल विचार रखती है ।

श्री रामबली सिंह यादव: महोदय, एक और है निश्चित रूप से उन विद्यालयों में जिन्होंने अभी तक कमिटी नहीं बनाया है और वित्तीय गबन का मामला है..

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है, आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री रामबली सिंह यादव: एक और महोदय, पकड़े जाने के डर से चूंकि वित्तीय गबन हुआ है उन विद्यालयों में और इसी के कारण रूचि नहीं ले रहे हैं तो क्या सरकार उन विद्यालयों में समिति गठन के पूर्व एक जांच कमिटी बनाकर वित्तीय अनियमितता की जांच कराना चाहती है, हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, इसमें से जो विद्यालयों की समितियां बनती हैं उसमें अधिकांश में स्थानीय विधायक ही रहते हैं और समितियों को जिन बातों की चर्चा माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी जांच करने का उन्हें पूरा अधिकार होता है और हम तो चाहेंगे कि हम कमिटी बनवा देते हैं, माननीय सदस्य उसमें रहेंगे और सरकार इसको सहयोग के रूप में लेगी अगर आप अपने अपने विद्यालयों में जांच कर के, किसी ने कोई गड़बड़ी की है चाहे प्रधानाध्यापक हों या शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, वह आप दीजियेगा तो सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी ।

श्री हरिनारायण सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह बहुत उचित है । हमारे क्षेत्र में एक विद्यालय है, एक नहीं अनेकों विद्यालय हैं जिसमें समिति का गठन नहीं किया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी पत्र लिखा और पत्र के बाद उन पर कार्रवाई करने की बात भी की, उन्होंने डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा को भी लिखा लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह से पूरे राज्य में अव्यवस्था है और एक तरह से प्रबंध समिति का गठन, हम समझते हैं कि 30 से 35 प्रतिशत विद्यालयों में नहीं हुआ है और सरकार कुछ नहीं कर रही है ।

टर्न-4/मधुप/29.03.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इनके निर्वाचन क्षेत्र का भी कुछ मामला है जो इन्होंने मेरे संज्ञान में लाया है और जो हेडमास्टर सरकार की बात या निदेश नहीं मान रहे थे, इन्हीं के कहने पर और इनके प्रतिवेदन पर उसका स्थानांतरण भी कर दिया गया है । यह कार्रवाई की गई है और उसको शीघ्र विरमित कर दिया जायेगा ।

श्री हरिनारायण सिंह : स्थानांतरण नहीं किया गया है । मैंने कल पता कर लिया है, स्थानांतरण भी नहीं किया गया है, वह अभी भी प्रधानाध्यापक के चार्ज में है और स्थानांतरण नहीं किया गया है । अगर सूचना है तो गलत है । इसकी जॉंच करा लें ।

अध्यक्ष : आप देखवा लें ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 37 हाई स्कूल हैं जिसमें से 36 का गठन पूर्ण रूप से हो गया है, चल भी रहा है लेकिन एक विद्यालय है खेदन

प्रसाद इसुआपुर उच्च विद्यालय, उसका हेडमास्टर जो है, 10 वर्षों से आज तक किसी माननीय विधायकों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता है और अभी तक वह गठन नहीं करा पाया है जिसकी शिकायत हमने इसमें दिया है । इसलिये कहीं अगर ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम उसपर कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन हमने.....

अध्यक्ष : हो गया । आ गया विषय ।

श्री जनक सिंह : इसलिये इस विषय पर हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वैसे प्रधानाध्यापकों पर कब तक कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : अब आ गया सब । एक मिनट, बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष : पूरे बिहार का मामला है, माननीय मंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ पहले भी डायरेक्शन दिया है और एक बार हम चाहेंगे कि सभी जिला से आप डिटेल मँगवा लें कि कहाँ-कहाँ गठन नहीं हुआ है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3331 (श्री पंकज कुमार मिश्र, क्षेत्र सं0 29, रून्नीसैदपुर)</u>

श्री जिवेश कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखण्ड अंतर्गत धर्मपुर पंचायत के धर्मपुर ग्राम में अवस्थित भोला बाबा का पौराणिक मंदिर ''बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976'' के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित घोषित पुरातात्विक स्थल/स्मारक नहीं है ।

इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-103, दिनांक- 21.03.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से उक्त तारांकित प्रश्न से संबंधित प्रतिवेदन/उत्तर की माँग की गई है । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मंदिर के पौराणिक एवं पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इस मंदिर का चहारदीवारी निर्माण एवं नवीनीकरण कर सरकार इसे पुरातात्विक स्थल घोषित करना चाहती है और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है कि नहीं ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार पूर्वक उत्तर इसमें दिया है कि ''बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976'' के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित घोषित पुरातात्विक स्थल/स्मारक के रूप में यह चिन्हित नहीं है । इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-103, दिनांक- 21.03.2022 जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को भेजा गया है, उनका प्रतिवेदन प्राप्त होते जो भी आवश्यक होगा, इस मंदिर के लिए कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3332 (श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल', क्षेत्र सं0 35, बिस्फी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है ।

मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखण्ड बेनीपट्टी अनुमंडल के अन्तर्गत आता है, जहाँ पूर्व से के0भी0 सायंस कॉलेज, उच्चैठ, बेनीपट्टी अंगीभूत महाविद्यालय संचालित हो रहा है ।

अत: मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होंगे । लेकिन हम सभी जानते हैं कि 50-55 पंचायत का भी जिला है और उस जिला में दो अनुमंडल है तो वहाँ दो डिग्री कॉलेज खुल जायेगा । हमारा अनुमंडल 101 पंचायत का है और वहाँ एक डिग्री कॉलेज है । सरकार बहुत अच्छा काम की है, प्रत्येक पंचायत में हाईस्कूल हो गया । वहाँ से पढ़े हुये बच्चे कहाँ जायेंगे ?

इसलिये भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या के आधार पर सरकार विचार रखती है वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं लेकिन हमने तो कहीं यह नहीं कहा है कि अनुमंडल में एक ही महाविद्यालय होंगे । हमने यह कहा है....

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : जवाब में है...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : कहीं नहीं है । आप पहले बैठिये न ।

महोदय, हमने यह कहा है कि अभी हमारे बहुत सारे अनुमंडल भी ऐसे हैं जहाँ एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है इसलिये वर्तमान सरकार की नीति के मुताबिक, जो अभी नीति है, हमारी प्राथमिकता है कि उन अनुमंडलों में जहाँ पूरे अनुमंडल में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, उसमें पहले हम एक खोल लें । कम से कम एक खोलें, ऐसा तो नहीं है । महोदय, कितने अनुमंडल ऐसे हैं जिनमें तीन-चार कॉलेज हैं । ऐसा थोड़े ही है कि जहाँ तीन है, हम बंद करने जा रहे हैं या अनुमंडल में एक ही होंगे ।

लेकिन नीति के मुताबिक पूरे अनुमंडल में जहाँ एक भी नहीं है, वहाँ हम प्राथमिकता के आधार पर एक खोलना चाह रहे हैं । यह पूरा हो जाता है, उसके बाद

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है तो अगले चरण में उसपर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष जी..

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : नहीं-नहीं । सकारात्मक कैसे है ?

अध्यक्ष : अच्छा, बोलिये ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : बड़ा अनुमंडल है । सरकार प्रत्येक अनुमंडल में खोले, अच्छी बात है लेकिन हम इतने हाईस्कूल खोले हैं, उससे बच्चे निकलेंगे फिर कॉलेज में जायेंगे तो सरकार बिस्फी में अगर खोलेगी तो सरकार को मुफ्त में जमीन भी दी जायेगी, क्या सरकार विचार रखती है चूंकि 101 पंचायत का अनुमंडल है ?

सरकार से निवेदन करते हैं, 101 हाईस्कूल हो गया, 101 हाईस्कूल के बच्चे कहाँ जायेंगे ? इसलिये सरकार डिग्री कॉलेज और बढ़ाकर खोलने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका प्रश्न अभी नहीं है, उनका प्रश्न है ।

श्री शम्भू नाथ यादव ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : जवाब नहीं दिये मंत्री जी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो बता दिये साफ शब्दों में, ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं खोलेंगे । लेकिन प्रावधान जो है, पॉलिसी का मामला है ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : हाईस्कूल जब पंचायत-पंचायत खुल गया तो उसके बच्चे कहाँ जायेंगे?

अध्यक्ष : ये इनकार कहाँ कर रहे हैं, संज्ञान में तो ले चुके ।

श्री शम्भू नाथ यादव ।

(व्यवधान)

आप सुदामा जी, अभी कहाँ उठ गये ? बैठिये । अभी शम्भू नाथ यादव जी का प्रश्न है।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3333 (श्री शम्भू नाथ यादव, क्षेत्र सं0 199, ब्रह्मपुर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3334 (श्री बिजय सिंह, क्षेत्र सं0 68 बरारी)</u>

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन जवाब नहीं आया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित है ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग में ट्रांसफर है, हम जान रहे हैं चूंकि वह नगर पंचायत न्यू बना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3335 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0 225 गुरूआ)

श्री मदन सहनी, मंत्री(लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

3. उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य आई0सी0डी0एस0 (समाज कल्याण विभाग) एवं मनरेगा (ग्रामीण विकास विभाग) के अभिसरण से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है । केन्द्र भवन निर्माण हेतु अबतक 2000 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण लक्ष्य निर्धारित है । जिसमें गया जिला हेतु 130 केन्द्र भवन का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें 3 केन्द्र का निर्माण हो चुका है एवं 23 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन हैं ।

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है । मैंने सवाल किया था कि दुब्बा पंचायत में जो आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-204 है, वहाँ पर क्या सरकार भवन निर्माण करायेगी या नहीं ? इनका उत्तर है कि हमारा जो लक्ष्य है, 2000 पूरे राज्य का लक्ष्य है और गया जिला का 130 लक्ष्य है जिसमें 3 केन्द्र का निर्माण हुआ है । प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 204 में भवन निर्माण कराया जायेगा या नहीं कराया जायेगा ? क्योंकि महोदय, आप जानते हैं कि तीन साल के बच्चों का....

अध्यक्ष : पूरा भूमिका मत बनाइये । माननीय मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब में स्पष्ट कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से हमलोग कार्य करते हैं और 2000 लक्ष्य है लेकिन 130 गया जिला का लक्ष्य है जिसमें 26 आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है । जो केन्द्र संख्या 204 का इन्होंने स्पेशली प्रश्न किया है, उसको भी हमलोगों ने कहा है कि जमीन उपलब्ध करा देंगे तो हमलोग वहाँ निर्माण करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3336 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव, क्षेत्र सं0 70, आलमनगर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री (लिखित उत्तर) : स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज प्रखंड में राजकीय अम्बेडकर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय संचालित है, जिसे वर्ष 2017-18 में 10+2 में उत्क्रमित किया गया है । वर्तमान में 10+2(720 आसन) आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखण्ड प्रखंड में एक राजकीय अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय एवं सिंहेश्वर प्रखंड में राजकीय अनुसूचित जनजाति 10+2 आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, माननीय सदस्य ।

माननीय सदस्यगण, आज भी अल्पसूचित प्रश्न का शत-प्रतिशत जवाब आया है और तारांकित प्रश्न का भी शत-प्रतिशत जवाब आया है । सरकार की संवेदनशीलता के लिए हमलोग बधाई देते हैं ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रखंड चौसा से मुरलीगंज प्रखंड राजकीय अम्बेडकर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की दूरी लगभग 70 कि0मी0 है और कुमारखण्ड राजकीय अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय से चौसा की दूरी 100 कि0मी0 है ।

अध्यक्ष महोदय, हाल में ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जायेगा, तो जब इस कार्यक्रम को सरकार करेगी तो क्या चौसा प्रखंड मुख्यालय को उसमें सम्मिलित करना चाहती है प्राथमिकता के आधार पर ? महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि कुमारखण्ड और सिंहेश्वर में भी निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और मुरलीगंज में पहले से संचालित है । जहाँ तक चौसा का सवाल है और माननीय सदस्य जिस ओर इंगित कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे समक्ष विभाग में प्रस्ताव आयेगा तो इसपर भी विचार किया जा सकता है ।

टर्न-5/आजाद/29.03.2022

तारांकित प्रश्न सं0-3337(श्री विनय कुमार चौधरी,क्षेत्र सं0-80,बेनीपुर)

श्री मदन सहनी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अस्वीकारात्मक ।

वर्ष 2006 से 2010 तक शिविर के माध्यम से सभी पात्र लाभुकों को चेक हस्तगत करा दिया गया है ।

वर्ष 2010 से 2013 तक के सभी पात्र लाभुकों को चेक बनाकर शिविर के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है । जो लाभुक उपस्थित नहीं हुए उनका चेक कार्यालय में रखा हुआ है । अनुपस्थित लाभुकों को संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव एवं विकास मित्र के द्वारा कई बार सूचना दी गयी किन्तु लाभुक अनपुस्थित है । पुनः सूचना दी जा रही है तथा 10 दिनों के अंदर मामलों का निष्पादन कर लिया जायेगा ।

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना के संचालन में आ रही समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2012 से लंबित आवेदनों का भुगतान ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के बैंक खाते में सीधे राज्य स्तर से डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा रहा है । इसके लिए पर्याप्त आवंटन उपलब्ध है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मेरा पूरक है कि 2011 से 176 चेक वहां पर बनाकर रखा हुआ है और 2011 से अभी तक उसका वितरण नहीं हुआ है तो क्या मंत्री महोदय, उसपर कोई कार्रवाई करेंगे कि इतने दिनों तक उस गरीब का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत प्रतिष्ठित योजना है और उसका लाभ कुछ पदाधिकारियों के कारण संबंधित व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो क्या उसपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ? मेरे पास 176 लोगों का लिस्ट है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो कन्या उत्थान योजना है, जिसमें पहले शिविर लगाकर चेक के माध्यम से राशि दी जाती थी, जिसका माननीय सदस्य ने जहां का प्रश्न किया है, उसमें 2010 से 2013 तक चेक के माध्यम से राशि दी गयी थी, लेकिन उसमें जो कैम्प लगा था, उसमें कुछ लोग अनुपस्थित रह गये थे, इसके लिए उनको बार-बार सूचना भी दी गई है । अभी फिलहाल हमलोगों ने पंचायत सचिव और विकास मित्र के माध्यम से सूचना दिये हैं, अगर वे उपस्थित हो जायेंगे तो उनको चेक दिया जायेगा । अभी इसी कारण से अब हमलोग जो है, उनके खाता में 2012 से यह हमलोगों ने प्रावधान किया है कि ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से, डी0बी0टी0 के माध्यम से उनको सीधा राशि उनके खाता में भेज देते हैं, अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है । जो शेष बचे

हुए हैं, उसके लिए हमलोगों ने विभाग में कह दिये हैं कि 15 दिनों के अन्दर जो भी लाभुक बचे हुए हैं, उनके खाता में राशि चला जायेगा ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, 2011 का चेक भी बना हुआ मेरे पास है सर । इतना-इतना दिन रखे हुए हैं तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ होगा क्या?

श्री मदन सहनी, मंत्री : हमने तो स्वीकार किया है अध्यक्ष महोदय कि कैम्प में वे लोग अनुपस्थित रहे हैं, इसलिए चेक पड़ा हुआ है और अब हमलोगों ने उन लोगों को सूचना दिया है ।

अध्यक्ष : आप पूरा प्रश्न को पढ़िए । ये बता रहे हैं कि एड्रेश या ट्रेसआऊट नहीं हुआ, वही पड़ा हुआ है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : सर, आवेदन में तो एड्रैस रहता ही हैं । हमारा कहना है कि इसपर कार्रवाई होनी चाहिए ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष महोदय, सब जगह यही स्थिति है....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

तारांकित प्रश्न सं0-3338(श्रीमती स्वर्णा सिंह,क्षेत्र सं0-79,गौड़ाबौराम)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-3339 (श्री राजवंशी महतो, क्षेत्र सं0-141,चेरिया बरियारपुर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड के राजकीयकृत जयमंगला उच्च विद्यालय, मझौल में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-208, दिनांक 29.07.2015 द्वारा दी जा चुकी है । जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है।

अतएव एक ही प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : जवाब भी आया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री राजवंशी महतो : जवाब जो आया है, जयमंगला हाईस्कूल के मैदान का स्टेडियम का, माननीय मंत्री जी एक कार्यक्रम में वहां गये थे, हम उस समय भी उनसे आग्रह किये थे कि आर0सी0एस0 कॉलेज, मझौल के बगल में 8 बीघा जमीन उपलब्ध है। जननायक कर्पूरी जी के नाम से वह स्टेडियम और खेल मैदान बनना था, उसपर तो कोई जवाब अभी तक

नहीं आया है सर । इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी उस जमीन को जो अतिक्रमित भी हो रहा है, उसको रोकवा दें और इस जमीन को मुक्त कराकर के उसपर खेल स्टेडियम बनवा दें ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब विस्तार पूर्वक दिया हुआ है कि जो सरकार अपने हिसाब से जो नियम बनायी है अभी कि एक ब्लॉक में एक ही स्टेडियम का निर्माण होना है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियापुर प्रखंड के राजकीयकृत जयमंगला उच्च विद्यालय, मझौल में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-208 दिनांक 19.07.2015 द्वारा दी जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है ।

अतएव एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री राजवंशी महतो : सर, तीन पूरक है । सर हमारा कहना है कि 8 बीघा जमीन .....

अध्यक्ष : तीसरा पूरक हो रहा है ।

श्री राजवंशी महतो : सर, सुना जाय एक मिनट । हमलोग पहली बार जीतकर आये हैं सर, आपका आदेश है कि पहली बार जीतने वाले को बोलने का मौका ज्यादा दिया जायेगा ....

अध्यक्ष : दे भी रहे हैं ।

श्री राजवंशी महतो : सर, आपसे माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि जो 8 बीघा जमीन है, कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं है और 8 बीघा मैदान के लिए जमीन उपलब्ध है और इस जमीन को लोग अतिक्रमित कर रहे हैं, इसको मुक्त कराकर के स्टेडियम बनवाया जाय ।

अध्यक्ष : अतिक्रमणमुक्त पर इनका है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अतिक्रमण का जो प्रश्न है, अगर वो जमीन सरकारी है और अतिक्रमित है तो यह विभाग अलग है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि तो वह अतिक्रमणमुक्त होगा । हमारा काम है कि हमको जो जमीन मिलेगी, उसपर नियमसंगत स्टेडियम बनाना है और सरकार का स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत जो प्रथम लक्ष्य तय है कि प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम बनाना है तो इसके तहत एक चेरिया बरियारपुर में एक स्टेडियम बन चुका है । भविष्य में अगर कोई फिर योजना आयेगी तो हम विचार करेंगे माननीय सदस्य के प्रश्न पर ।

तारांकित प्रश्न सं0-3340(मो0 आफाक आलम,क्षेत्र सं0-58,कसबा)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : स्वीकारात्मक ।

राजकीयकृत कोटि के विद्यालयों में नियमित वेतनमान के शिक्षकों को वरीयता के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है । परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0-5066 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियों एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित की गई है । जिसके कारण तत्काल प्रोन्नति से स्थायी प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किए जाने की कार्रवाई स्थगित है ।

प्रश्नगत विद्यालय में नियमित वेतनमान में कार्यरत वरीयतम शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री आफाक आलम : जी, सर । महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रभार में जो शिक्षक हैं माध्यमिक उच्च विद्यालय और इसमें जो प्रोन्नति हुआ है स्कूल में, वे सभी में प्रभार में शिक्षक अभी तक हैं और यह कई सालों से है । मेरा पिछले बार भी सवाल आया था कि ये प्रभार में कब तक रहेंगे तो जो जवाब आया है कि 11.04.2019 में न्यायालय में इनका मामला चला गया है और वह तीन साल से स्थगित पड़ा हुआ है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कब तक उनको प्रभार हटाकर के परमानेन्ट हेडमास्टर दिया जायेगा चूँकि माध्यमिक उच्च विद्यालय में 1000,1200,1400 लड़का है और उसको वे संभाल नहीं पा रहे हैं प्रभार के हेडमास्टर और बच्चों का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है और माध्यमिक विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, वो उत्क्रमित हाईस्कूल के प्रभार में हैं और अब वे भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो वे दो स्कूल को कैसे चलायेंगे ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो यह कहा है कि सरकार तो प्रोन्नति देकर के नियमित प्रधानाध्यापक बनाना ही चाहती है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में आरक्षण से संबंधित कुछ मामलों पर विचार चल रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार ने इस तरह के प्रोन्नतियों पर रोक लगायी है चूँकि न्यायालय से स्पष्टत: प्राप्त नहीं हुई है । न्यायालय से जैसे ही स्पष्टत: प्राप्त होगी और आरक्षण के आधार पर जो मामले चल रहे हैं, उनका निराकरण हो जायेगा, सरकार तत्काल प्रोन्नति देने के लिए खुद चिन्तित है और चूँकि हम नियमित प्रोन्नति नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए तो हम प्रभारी बना रहे हैं वरना हम नियमित

प्रोन्नति देकर के आपके यहां नियमित प्रधानाध्यापक दे चुके होते । अब इस मामले का निराकरण होने दीजिए, हम तत्काल प्रोन्नति करेंगे ।

श्री आफाक आलम : सरकार इसपर क्या प्रयास कर रही है ?

अध्यक्ष : हो गया, माननीय मंत्री जी स्पष्ट जवाब दिये हैं ।

श्री आफाक आलम : सरकार इसपर क्या विचार कर रही है ?

अध्यक्ष : बता तो दिये, इतना साफ जवाब दिये ।

श्री आफाक आलम : न्यायालय से क्या प्रयास किये गये ?

अध्यक्ष : न्यायालय से क्या प्रयास किये हैं, बताइए । प्रयास कर रहे हैं ।

श्री आफाक आलम : सर, यह छोटी-मोटी बात नहीं है । 20 साल से, 25 साल से एक-एक शिक्षक प्रभार में हैं,

अध्यक्ष : सरकार इसके लिए गंभीर है, वे खुद गंभीर हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3341(श्री राम विशुन सिंह,क्षेत्र सं0-197, जगदीशपुर)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखण्ड में उतक्रमित मध्य विद्यालय, लामारी टोला में 03 कमरा का मरम्मती समग्र विद्यालय अनुदान (Composite Grant) की राशि से कराकर पठन-पाठन कार्य किया जा रहा है ।

समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में 04 अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण प्रस्तावित है । राशि की स्वीकृति के उपरांत विहित प्रक्रियानुसार भवन निर्माण कार्य कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि तीन जो कमरा है, वह अच्छी स्थिति में है लेकिन वह भी तीन कमरा अच्छी स्थिति में नहीं है और चार का प्रस्ताव दिया है और विभाग को भेजा गया है । 10 साल से उत्क्रमित विद्यालय हुआ और अभी तक कमरा नहीं बना सर, जिसके कारण वहां के बच्चों को पढ़ने में काफी कठिनाई हो रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में बनवा दें चूंकि प्रस्ताव विभाग को भेजा हुआ है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य के बातों से ही लगता है कि वे संतुष्ट है कि हम निराकरण की तरफ हैं । जो तीन कमरे थे, उसकी भी मरम्मती करा दी है और अतिरिक्त कमरे अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित भी है ।

तारांकित प्रश्न सं0-3342(श्री प्रणव कुमार,क्षेत्र सं0-165,मुंगेर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में वर्तमान में 208 छात्र/छात्रा नामांकित है ।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रश्नगत विद्यालय के चहारदिवारी निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध प्रस्तावित है ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 2022-23 में प्रस्तावित है विद्यालय के चहारदिवारी के निर्माण के लिए तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसको कब तक बनाना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि 2022-23 में प्रस्तावित है, आज हमलोग 29 मार्च को सदन में इस बात पर विमर्श कर रहे हैं, दो दिन बाद 2022-23 वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इससे जल्दी महोदय और क्या हो सकता है ।

श्री प्रणव कुमार : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-3343(श्री हरिशंकर यादव,क्षेत्र सं0-108, रघुनाथपुर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखण्ड के गभिराड़ पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय, बिनटोलवा में नया विद्यालय भवन सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2012-13 में 03 वर्गकक्ष निर्माण हेतु रू0 11,67,000/-(ग्यारह लाख सड़सठ हजार रूपये) तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा कुल राशि की निकासी कर छत स्तर तक निर्माण कार्य किया गया । कार्य पूर्ण नहीं करने एवं संपूर्ण राशि की निकासी कर लेने के आरोप में तत्कालीन प्रधानाध्यापक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका थाना कांड सं0-228/17 दिनांक 28.12.2017 है । कारावास से वापस आने के बाद तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा अवशेष राशि रू0 2,84,945/- (दो लाख चौरासी हजार नौ सौ पैंतालिस रूपये) विभाग को वापस किया गया । विभाग के पास उक्त विद्यालय के निर्माण मद में 10 प्रतिशत की अवशेष राशि रू0 1,29,670/- (एक लाख उनतीस हजार छ: सौ सत्तर रूपये) है । इस प्रकार कुल राशि रू0 4,14,615/- (चार लाख चौदह हजार छ: सौ पन्द्रह रूपये) विभाग के पास उपलब्ध है ।

तत्कालीन प्रधानाध्यापक की मृत्यु हो गई है । आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री हरिशंकर यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दिये हैं, जिसको मान लिये हैं कि स्कूल का पैसा 11,67,000/- रू0 एक ही बार निकाल लिया, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए है । 11 साल हो गया सर, कितना धरना, प्रदर्शन सब कुछ हुआ लेकिन आज तक स्कूल नहीं बना है सर ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर में तो हम सब कुछ स्वीकार किया है और माननीय सदस्य ने जो बातें कही है वो जायज है । उस प्रधानाध्यापक द्वारा गड़बड़ी की गई थी । एडवांस निकाल करके काम नहीं किया गया, इसके लिए उसपर प्राथमिकी दर्ज हुई, वो जेल गये, जेल से निकले और जो राशि एडवांस लिये थे, वो हमलोगों ने वापस करवायी। अब इस बीच संयोग से उनकी दु:खद मृत्यु भी हो गई है और हमने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम यह काम पूरा करा देंगे।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, 11 साल हो गया, उस गांव में प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहां के गरीब लोग है, बच्चा है ...

अध्यक्ष : हो गया । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

टर्न-6/शंभु/29.03.22

तारांकित प्रश्न सं0-3344(श्री अरूण शंकर प्रसाद)क्षेत्र सं0-33, खजौली

श्री जनक राम, मंत्री (लिखित उत्तर) : (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह फरवरी 2022 तक विभाग द्वारा 1482.41 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह फरवरी, 2021 तक कुल राजस्व वसूली 1281.48 करोड़ रूपये से 15.68 प्रतिशत अधिक है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, जो प्रश्न है उसके अनुरूप नहीं है । प्रश्न है टार्गेट का लक्ष्य का और उत्तर आ रहा है तुलनात्मक का । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि लक्ष्य के विरूद्ध 2021-22 में ये राज्य के राजस्व से संबंधित मामला है और लक्ष्य जो 2021-22 का था वह इनका कितना था और उसके विरूद्ध वसूली कितनी हुई है । यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री जनक राम, मंत्री : महोदय, सदस्य महोदय की चिंता जायज है, लेकिन मुझे बताने में खुशी हो रही है कि (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक है । (ख) का उत्तर अस्वीकारात्मक है और (ग) का वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह फरवरी 2022 तक विभाग द्वारा 1482.41 करोड़

रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह फरवरी, 2021 तक कुल राजस्व वसूली 1281.48 करोड़ रूपये से 15.68 प्रतिशत अधिक है । मुझे लगता है कि जो वित्त विभाग द्वारा 1600 करोड़ का टार्गेट मिला था और 1675 करोड़ की वसूली हुई है । विभाग खुद चिंता कर रहा है और राजस्व में कहीं कमी नहीं है । विभाग के अधिकारी तो सम्मानजनक काम कर रहे हैं । हम सदस्य महोदय को संतुष्ट करना चाहते हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 1281.48 करोड़ रूपये पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1482.41 करोड़ रूपये की वसूली हुई है । महोदय, मैं पिछले वर्ष की तुलना में नहीं मांग रहा हूँ ।

अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता से ले रही है, सजग है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि इस बार इनका टार्गेट कितना था और टार्गेट का कितना प्रतिशत इन्होंने अचीव किया है या जो टार्गेट था उसमें कितनी वसूली हुई है ? यह बता दें ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्ययम से सदस्य महोदय को बताना चाहते हैं कि 2021-22 का टार्गेट 1600 करोड़ था जिसके विरूद्ध 1675 करोड़ रूपये की वसूली की गयी है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, उत्तर में इन्होंने 1482 करोड़ दिया है और अभी तुरंत बढ़ाकर 1600 करोड़ कर दिया- कितने घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है जिसके कारण राजस्व गिरा है । इसमें आइवास कर रहे हैं विभाग के अधिकारी इसलिए माननीय जी को इसमें ठीक प्रकार से जॉच करके कार्रवाई करनी चाहिए अगर राजस्व में कमी हो रही है तो ।

श्री जनक राम, मंत्री : मैंने पहले भी सदन से कहा कि चिंता जायज है, राजस्व की- अगर इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से जॉच करके राजस्व बढ़ाने का काम करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3345(श्री विजय कुमार खेमका)क्षेत्र सं0-62, पूर्णियां</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1-वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां मुख्यालय में बिहार का दूसरा राजकीय पुस्तकालय स्थापित एवं संचालित है ।

2-प्रश्नगत पुस्तकालय के जर्जर भवन के जीर्णोद्धार एवं निर्माण हेतु 2.56 लाख रूपये का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध के लिए प्रस्तावित है । प्रश्नगत पुस्तकालय में पुस्तकों का रख-रखाव, दैनिक समाचार पत्र, पेयजल की व्यवस्था एवं विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है ।

3- बजट उपबंध हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि प्रस्तावित है ।

4- उपर के कंडिका में उत्तर सन्निहित है ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, उत्तर आया हुआ है और मैं पूरक पूछ रहा हूँ । आसन से भी बराबर कहा जाता है कि पुस्तकालय ज्ञानवर्द्धन का मंदिर है । माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में स्वीकारा है कि बिहार का दूसरा राजकीय पुस्तकालय पूर्णियां में है, जो 1952 में स्थापित हुआ । महोदय, दो पुस्तकालय और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं । ये दो पुस्तकालय जो राज्य में है पटना उर्दू अकादमी, पटना और पूर्णियां राजकीय पुस्तकालय ये बिहार की धरोहर है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछेंगे या भूमिका बनायेंगे ?

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तथ्य से परे है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री विजय कुमार खेमका : पूरक है कि उन्होंने स्वीकार किया ये दूसरा पुस्तकालय है राज्य का संचालित है जबकि यह पुस्तकालय जीर्णशीर्ण अवस्था में है, न इसमें पानी पीने की व्यवस्था है, न इसमें बैठने की व्यवस्था है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि इसमें बिजली की आपूर्ति है जबकि दो लाख रूपये का बिजली बिल बकाया है और दो साल से लाइन कटी हुई है तो यह संचालित कैसे है ? दूसरा सरकार ने पुस्तकालय रख रखाव की नीति बनायी है और उस नीति के तहत सिन्हा पुस्तकालय पटना द्वारा यह पुस्तकालय संचालित होता है । जिसे 52 लाख रूपये की राशि पूर्व में भी आवंटित की गयी, लेकिन कमिटी नहीं बनने के कारण उस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार नहीं हुआ । महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 लाख 56 हजार रूपया हमने आगामी वर्ष के लिए आवंटित किया है । महोदय, मेरा पूरक है पहला कि-

अध्यक्ष : अभी तक क्या था ?

श्री विजय कुमार खेमका : मैं पूरक ही....

अध्यक्ष : अभी तक क्या था ? आपका समय समाप्त हुआ । ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : मुझे संरक्षण चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक डायरेक्ट पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : जो अधिकारी गलत रिपोर्ट दिये हैं क्या मंत्री जी जॉच कराकर के उस अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करेंगे ? यह मेरा पूरक है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा ही है कि हम उसका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं और 2 लाख 56 हजार रूपये की जो बात है । इस राशि से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि- ये राशि सीधे हमने अपने मन से 2 लाख 56 हजार तय नहीं की होगी । वहां से प्राक्कलन जो मरम्मति का आया था उस समय का वह इतने का था, अगर माननीय सदस्य और कुछ उसमें करना है, चाहते हैं तो अलग से लिखकर दे देंगे । बाकी बिजली के संबंध में जो इन्होंने कहा है कि अभी भी बिजली नहीं है क्योंकि हमको सूचना दी गयी है कि बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, अगर आज के डेट में बिजली नहीं है तो जरूर वहां के जिला पदाधिकारी से हम जॉच कराकर गलत जवाब देनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-3346(श्री संजय सरावगी)क्षेत्र सं0-83, दरभंगा

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मामले में चयनित 294 अभ्यर्थी के स्थान पर 304 अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित किये जाने की स्थिति संज्ञान में आने के पश्चात् जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन करते हुए जॉच करायी गयी । उक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा 10 अभ्यर्थियों के चयन को चिन्हित करते हुए चयन रद्द किया गया तथा विभाग से इसपर सहमति मांगी गयी । विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि 7 अभ्यर्थियों का नाम जोड़ने के पर्याप्त साक्ष्य हैं । तद्नुसार 7 अभ्यर्थियों के चयन को रद्द करने की सहमति दी गयी । शेष 3 अभ्यर्थी के चयन के संबंध में ठोस आधार नहीं रहने के कारण पुनः क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से जॉच करायी जा रही है ।

इस काउंसिलिंग में की गयी अनियमितता में संलिप्त कर्मचारी एवं पदाधिकारी की पहचान साक्ष्य के आधार पर की जा रही है, ताकि उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है- मैंने कहा है कि 10 अभ्यर्थियों का चयन गलत कर लिया गया, सरकार की मंशा है कि सही से कौंसिलिंग हो, लेकिन कुछ अधिकारी आदत बनाये हुए हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 में 7 का फर्जी था उसको रद्द कर दिया गया और 3 का पुनः जॉच कराया जा रहा है । महोदय, पंचायत का प्रखंड में किया गया, वरीय अधिकारियों को लगाया गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को चिन्हित करके भेजा है कि इनके गड़बड़ी के कारण हुआ है या कितने दिन के अंदर चिन्हित करके अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे । महोदय, जब तक गड़बड़ी करनेवाला पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक गड़बड़ी रूकेगा नहीं । इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि कब तक कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पर ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस बात से हमने इनकार कहां किया है । इन्होंने तो कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो जॉच की गयी है और उनके द्वारा जो अधिकारी चिन्हित किये गये हैं । हमने तो कहा कि जिनके बारे में उनकी रिपोर्ट आयी थी उसमें हमलोगों ने जॉच करायी है फिर निदेशक स्तर से उसकी समीक्षा हुई है । उसमें 8 जो गलत पाये गये उनका रद्द कर दिया गया है और बाकी सब चीजों की जॉच जो जिला शिक्षा पदाधिकारी की बात कह रहे हैं हम उससे उंचे अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से सारे चीजों की जॉच करवा रहे हैं और जिनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी उनपर कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-3347(श्री विद्या सागर केशरी)क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय राजकीय संस्कृत विद्यालय की श्रेणी का है । विभागीय पत्रांक-298, दिनांक-28.03.2022 के द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया को उक्त विद्यालय के भूमि एवं भवन के अतिक्रमण की स्थलीय जॉच करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निदेशित किया गया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, उत्तर में स्वीकारात्मक बताया गया है कि उस संस्कृत विद्यालय में 1990 से 1992 के दशक में पढ़ाई होती थी तो देवनागरी भाषा में संस्कृत की पढ़ाई होती रही है । यह पूरे बिहार का मामला है । हम जानना चाहेंगे कि वर्णित स्थान पर संस्कृत महाविद्यालय का 41 एकड़ भूमि उपलब्ध है तो ऐसी कीमती भूमि जिसकी करोड़ों रूपये की कीमत है और संस्कृत देवनागरी भाषा भी है । सारे भाषाओं की हृदयस्थली संस्कृत ही है तो सरकार इसे पूर्णतः उत्थान कर संस्कृत महाविद्यालय क्यों नहीं बनाना चाहती है ?

टर्न-7/पुलकित/29.03.2022

अध्यक्ष : आपने अपने प्रश्न में अतिक्रमण मुक्त की बात की थी, अतिक्रमण मुक्त का जवाब सरकार ने उत्तर में दिया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, हम दोनों बात बोले हैं कि इसका पुनरुत्थान करे, पुनः इसको चलाया जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही प्रश्न भी किया है और वे बिलकुल सही बात कह रहे हैं । हमने तो सरकार और विभाग की तरफ से उनकी बातों की ही पुष्टि करते हुए लिखा है कि अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, सरकारी विद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय है तो जमीन तो आखिर सरकार के स्वामित्व की है । अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो हम निश्चित रूप से उसको खाली करवायेंगे और बाकी स्कूल के संबंध में अगर इनके कुछ सुझाव होंगे तो वे भी माननीय सदस्य अगर लिखकर देंगे तो हम जरूर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप लिखकर दे दीजिये । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 मार्च, 2022 के लिए माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं, जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 47(2) एवं 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को...

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव पढ़ने दिया जाए ।

अध्यक्ष : अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हम लोग बार-बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । महोदय, राज्य की विधि व्यवस्था बिगड़ रही है । देखिये, राज्य में नाबालिग छात्रा का गैंग रेप किया गया है और दानापुर में दीपक मेहता की हत्या, उपाध्यक्ष, नगर परिषद्, जदयू के नेता की हत्या हो गई । महोदय, हाजीपुर में.....

अध्यक्ष : आप ये सब प्रश्न के माध्यम से लाइये, इस तरह से नहीं ।

श्री ललित कुमार यादव : व्यवसायी की हत्या हो गई । महोदय, ठीक है, हमलोग इस पर ध्यानाकर्षण दे रहे हैं कि राज्य में विधि व्यवस्था बिगड़ रही है, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होती है । महोदय, ऐसी घटना घट रही है, राज्य में विधि व्यवस्था पर....

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, हाजीपुर में हत्या हुई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पढ़िये मत, एक-दो लाईन में बोल दीजिये ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक खर्चे एन0पी0एस0 को बंद कर अविलम्ब राज्यकर्मियों के लिए ओ0पी0एस0 लागू किये जाने पर विमर्श हो । अत: आज के लिए निर्धारित सारे कार्यों को स्थगित करते हुए अत्यधिक खर्चीले एन0पी0एस0 को बंद कर अविलम्ब राज्यकर्मियों के लिए ओ0पी0एस0 लागू किये जाने पर विमर्श हो।

अध्यक्ष : ठीक है । एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हुआ हूं । XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जिस सदन में बैठे हैं, वहां शब्दों का चयन सही तरीके से करें, अपनी विद्वता के प्रकटीकरण में अपनी वाह-वाही में सदन को हल्का न करें। बैठ जाइये।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, बिलकुल नहीं ।

अध्यक्ष : श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(व्यवधान)

प्रोसीडिंग से इनकी सारी बात को हटा दिया जाए और कोई भी बात बाहर नहीं जायेगी । आप बैठ जाइये । अभी मास्क लगाने के लिए मना नहीं किया गया है, अभी हम भी आते हैं तो मास्क लगाकर आते हैं लेकिन हमसे छह फीट की दूरी पर लोग बैठे हैं । माननीय सदस्य आपने मास्क लगाने का पालन क्यों नहीं किया है ? पहले आप पर क्यों न कार्रवाई की जाए । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गलत शब्द का प्रयोग किया है ।

अध्यक्ष : सब प्रोसीडिंग से हटा दिया गया है । ज्यादा विद्वता दिखाने से कभी-कभी स्वयं ही लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं । इनके सारे विषय को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाये और प्रेस मीडिया में भी कोई विषय नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

यह गलत है । आप बैठ जाइये, बिना अनुमति के बार-बार खड़े मत होइये । आप नहीं बैठेंगे तो आसन तीन बार कहेगा, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

पहले आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य, मैं बार-बार कह रहा हूं कि सदन की व्यवस्था के अनुकूल शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ और शांति के साथ किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं । कई फोरम आपके पास हैं लेकिन अपने को चर्चा में बनाये रखने के लिए कुछ से कुछ शब्द का उपयोग करना, यह उचित नहीं है ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के शेरघाटी प्रखण्ड में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की ई0पी0एफ0 योजना में प्रत्येक महीने राशि कटने के बावजूद विगत 16 महीनों से संबंधित खाते में संधारण नहीं दिखने से राशि ब्याज का लाभ नहीं मिल रहा है । इसके जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई एवं राशि संधारण की मांग करती हूं ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के मोहनपुर प्रखण्ड अंतर्गत केवला पैक्स के धान अधिप्राप्ति वर्ष 2014-15 के सी0एम0आर0 की कुल राशि 7,77,666/- रुपये ब्याज सहित बकाया है ।

अत: केवला पैक्स के सी0एम0आर0 की बकाया कुल राशि 7,77,666/- रुपये ब्याज सहित राज्य सरकार से शीघ्र भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखण्ड में मक्का, आलू, मखाना से संबंधित खाद्य पदार्थ हेतु कोई उद्योग नहीं है । जिसके कारण किसानों को काफी कठिनाई होती है ।

अतएव जनहित में मक्का, आलू, मखाना से संबंधित उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल तीन नंबर पर था छूट गया है ।

अध्यक्ष : आपका विषय तारांकित प्रश्न में आ चुका है इसलिए आपका शून्यकाल अमान्य किया गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखण्ड में दिनांक- 07.08. 2021 को हुए प्रखण्ड शिक्षक नियोजन एवं अन्य कार्यों में प्रभारी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी रीता कुमारी ने व्यापक भ्रष्टाचार किया है । उक्त प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की आय से अधिक सम्पत्ति सहित अन्य भ्रष्टाचार की जांच निगरानी से करायी जाय ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995 में सरकार द्वारा विद्यालय सेवा बोर्ड में शिक्षक नियोजन हेतु वैकेंसी निकाली गई, वर्ष 2020 में परिणाम जारी करते हुए गणित एवं जीव विज्ञान में नियुक्ति की गई ।

न्यायालय द्वारा पारित अर्थशास्त्र विषय में भी सफल अभ्यर्थी को बहाल करने की सदन से मांग करती हूं ।

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, जिला नवादा के 112 अनुसेवकों की बहाली में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्यायादेश पारित होने के बावजूद अनुसेवकों की बहाली नहीं हुई है। उनमें 9 अनुसेवकों की बुरी परिस्थिति में मौत हो गयी । शेष बचे अनुसेवकों की बहाली करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के कहलगांव थानांतर्गत कैरिया बिहार-झारखण्ड सीमा पर अवस्थित है जिसकी थाना से दूरी लगभग 15 किलोमीटर है । थाना दूर रहने के कारण उस इलाके में विधि व्यवस्था की समस्या बनी रहती है । मैं सरकार से कैरिया में पुलिस थाना बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत मोदनगंज प्रखण्ड में बनछिली से होकर अरहिट जाने वाले पथ का नामकरण चर्चित कॉम्युनिस्ट नेता रहे, जहानाबाद के पूर्व सांसद के नाम पर रामाश्रय प्रसाद पथ करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत सैकड़ों बच्चों को मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास करने के बावजूद 10,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिली है । बहुत बच्चे लॉकडाउन के कारण ऑनलाईन नहीं कर पाये हैं ।

अत: मैं प्रोत्साहन राशि का भुगतान तथा दोबारा ऑनलाईन करने का मौका देने की मांग सरकार से करता हूं ।

---------------------------------------------------------

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

---------------------------------------------------------

टर्न-8/अभिनीत/29.03.2022

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में बरौनी प्रखंड के अमरपुर पंचायत में अवस्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन वर्षों से जर्जर स्थिति में है ।

अत: उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का जीर्णोद्धार कर समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर के विभूतिपुर, दलसिंहसराय, उजियारपुर सहित अन्य प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा किसानों के बदले व्यापारियों का आलू रखने से किसानों में भारी आक्रोश है ।

मैं सरकार से स्थानीय किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने एवं लापरवाह संचालकों पर समुचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती भागीरथी देवी ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ग्यारह नम्बर पर था नहीं लिया गया ।

अध्यक्ष : आपकी सूचना को अमान्य कर दिया गया है ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : सर, आठ अंगरक्षक दिये गये थे और अभी भी तीन हैं और हम क्वैश्चन किये विधान सभा में...

अध्यक्ष : आपको को तो बोल दिए कि अमान्य कर दिया गया है । बैठ जाइये ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलांतर्गत प्रखंड रामनगर एवं गौनाहा में कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली राशि पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि समय-सीमा निर्धारित कर उन्हें कन्या विवाह योजना का लाभ तुरंत मिल सके ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में 85 प्रतिशत दलित नवयुवतियां, महिलाओं में खून की कमी है । बच्चियां सर्वाधिक कुपोषित हैं, वे लंबाई और वजन में कम रह जाती हैं ।

बिहार पुलिस में दलित युवतियों की हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट 45 के0जी0 किये जाने की मांग करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटौरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बौंसी प्रखंड में सॉपडहर पंचायत के चरघरा हरिजन टोला एवं बंधवा गांव के बीच चरघरा के पास जोर में पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूं ताकि भलजोर-बौसी-दुमका पथ के साथ दर्जनों गांव को लाभ हो सके ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज के ऐतिहासिक काली मेला मैदान में अवस्थित मां महाकाली मंदिर एवं शंकरपुर शिव मंदिर में प्रतिवर्ष नेपाल एवं क्षेत्र के लाखों लोग पूजा, शादी-विवाह करने आते हैं । मंदिर में समुचित व्यवस्था नहीं है जबकि मंदिर के पास पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है । मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं यात्री निवास बनाने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका संरक्षण चाहूंगा ।

राज्य के गौशालाओं के अध्यक्ष अनुमंडलाधिकारी होने के बावजूद दरभंगा समेत राज्य के सभी 89 गौशालाओं की भूमि भू-माफियाओं द्वारा प्रशासन की मिली-भगत से कब्जा/अतिक्रमण किया जा रहा है । सरकार अविलंब दरभंगा समेत सभी गौशालाओं की भूमि मापी कराकर अतिक्रमण मुक्त करावे ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था और मुख्य सचिव अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ध्यान दें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव ने पत्र लिखा था जिला पदाधिकारी को, महोदय, पदाधिकारियों की सहभागिता से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान के लिए बैठी हुई है ।

माननीय सदस्य, श्री महा नंद सिंह ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बीच में मत उठिये, बैठिये । बोलिए, महानंद सिंह जी ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च, 2022 को डी0आर0डी0ए0 समाप्त हो रहा है । 2007 में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से बहाल डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को भारत सरकार के निदेश के आलोक में लाईन डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मी के रूप में समायोजन करने की मांग करता हूं ।

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलांतर्गत परबाता प्रखंड के देबरी पंचायत के अररिया गांव में उच्च विद्यालय भवन निर्माण के लिए ग्रामीणों ने वर्ष 2010 में 1 बीघा 18 कट्ठा जमीन राज्यपाल को दिया है लेकिन आजतक उस जमीन पर कार्य आरंभ नहीं हो सका है । सरकार से मांग करता हूं कि जल्द-से-जल्द भवन निर्माण कार्य हो ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हर खेत सिंचाई हेतु किसानों के लंबित आवेदनों पर कनेक्शन देने तथा खेतों तक पोल, तार एवं ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था कर विद्युत आपूर्ति करने की आवश्यकता है ।

अत: मैं सरकार से पूर्णिया के हजारों लंबित विद्युत आवेदन को कृषि हेतु कनेक्शन देने तथा नया आवेदन लेने की व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सढ़वाड़ा में 2016 में ही एक शिक्षक की पदस्थापन कर हाईस्कूल की पढ़ाई को जारी किया गया और अभी तक न ही हाईस्कूल का भवन बना और न ही शिक्षक बढ़ाया गया । शीघ्र स्कूल भवन निर्माण और शिक्षकों की पदस्थापन हेतु सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर रोगी कल्याण समिति केवल कागजों पर चल रही है जिसके कारण आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है और डॉक्टर मनमानी करते हैं ।

अत: मैं प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कल्याण समिति के पुनर्गठन की मांग करती हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार में उत्तर प्रदेश और नेपाल से व्याह कर आने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़े और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पंचायत व नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं है । उन्हें भी पंचायत व नगर निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ दिया जाय ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना बाईपास जगनपुरा मोड़ के पास छोटे-छोटे स्कूली बच्चे, महिला-पुरूष सहित हजारों लोगों को सड़क पैदल पार करना पड़ता है । इस दौरान हमेशा दुर्घटना घटती है ।

अत: जनहित में फ्लाई ओवर पुल बनाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, दिनारा विधान सभा के गंजभड़सरा में अस्पताल के लिए 87 डिसमिल जमीन वर्षों से पड़ा हुआ है, जो अवैध कब्जा हो रहा है । सरकार से इसकी तत्काल घेराबंदी कर अस्पताल निर्माण का मांग करता हूं ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : तालीमी मरकज की नियुक्ति लगभग 8 वर्ष पूर्व की गयी थी । 8 वर्षों की सेवा के पश्चात् लगभग 3500 तालीमी मरकज शिक्षकों को गलत बहाली का बहाना बनाकर सरकार सेवा से हटा दी है ।

अत: सेवा से हटाये गए तालीमी मरकज की पुनर्बहाली करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मो0 कामरान : महोदय, नवादा जिला के नरहट प्रखंड में किसानों के सिंचाई कार्य हेतु खनवॉ से झिकरूआ तक स्थित बड़की पैन का खुदाई कार्य करावे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अधीन स्नातक पार्ट 1, 2, 3 का परीक्षा विगत सत्र 2018-21 से सत्र 2024 तक की लंबित है । परीक्षा में विलंब के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय है ।

अत: लंबित परीक्षाओं को यथाशीघ्र लेने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, डी0सी0एल0आर0 मधुबनी के पत्रांक- 203, दिनांक-19.02.2022 द्वारा जिला आपदा प्रबंधन शाखा को मधुबनी विधान सभा क्षेत्र में आपदाओं की संवेदनशीलता का आकलन कर निदान हेतु रैपिड एसेसमेंट कराने का अनुरोध किया गया परंतु अभी तक कोई काम नहीं हुआ ।

अत: रैपिड असेसमेंट की मांग करता हूं ।

टर्न-9/हेमन्त/29.03.2022

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । शेष शून्यकाल समय रहने के बाद ।

(व्यवधान)

आप तो अभी बोले हैं न । पढ़ ही दिये हैं ।

## ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12893 पद शिक्षकों के लिए सृजित हैं, इनमें से 7000 से अधिक पद खाली हैं । बिहार के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की । आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है । कुल 52 विषयों में 4638 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, इनमें से लगभग 82 शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति की गयी है । शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये विगत दो सालों में छः स्मार-पत्र (Reminder) भी विफल हो चुके हैं ।

अतः विश्वविद्यालय सेवा आयोग की कार्य में शिथिलता एवं शिक्षकों की कमी से छात्रों के शैक्षणिक कार्य में हो रही परेशानी के संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 10804 स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में 5555 शिक्षक कार्यरत हैं । इसके साथ ही 1664 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी शिक्षण कार्य के सम्यक् संचालन हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा की गयी है अर्थात् कुल 7219 शिक्षक सम्प्रति कार्यरत हैं । राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 4638, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी थी तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य रूप से कोरोना महामारी के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ है । महोदय, पूरा सदन अवगत है कि पिछले दो साल में कोरोना महामारी के कारण सरकार के साथ बहुत सारी सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हुई थीं और अभी तक 16 विषयों के साक्षात्कार का आयोजन कर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है । शेष विषयों का साक्षात्कार अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि उच्च शिक्षा में कहीं-न-कहीं सरकार एक्पेरीमेंट ही कर रही है । 80 से 90 के दशक में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती थी जिसे 2007 में भंग कर दिया गया । छः वर्षों के बाद 2013 में बी0पी0एस0सी0 को यह जिम्मेदारी दी गयी कि अब शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालयों के लिए बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से होगी । पुनः 2018 में यह निर्णय लिया गया कि नहीं बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से बहाली नहीं होगी, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को पुनः बहाल किया गया और 2019 में सदस्यों को नामित किया गया और अध्यक्ष बनाये गये । तीन वर्ष का उनका कार्यकाल भी संभवतः इसी महीने में पूर्ण हो रहा है, संभवतः अभी उनको अवधि विस्तार दिया गया है । मेरा दो मुख्य विषय है अध्यक्ष महोदय कि लगातार कई वर्ष बीत जाने के बाद अगर आप 2007 से 2013 के बीच में भी देखेंगे, तो छः वर्षों में कोई नियुक्ति नहीं हुई । बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से भी जितनी नियुक्ति हुई वह अपनी जगह है । उसके बाद भी 2017 से जब यह निर्णय लिया गया, पांच वर्ष के बाद भी साढ़े चार हजार से अधिक पद रिक्त हैं और मेरा यह कहना है अध्यक्ष महोदय कि जब यह विज्ञापन निकाला गया, यह वेकेंसी संभवतः उस समय की गिनती के आधार पर होगी । दो वर्ष में और भी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त हुए होंगे और वेकेंसी और बढ़ी होंगी । बीच में गेस्ट लेक्चर भी अपोइंट किये जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उनका भी एक अलग प्रश्न आयेगा कि जब यह नियमित नियुक्ति होगी, तो उनका फिर क्या होगा । विश्वविद्यालय जो हमारे यहां कार्य कर रहे हैं, 13 पहले से हैं, कुछ विश्वविद्यालय अभी बनाये जा रहे हैं, तो जो गेस्ट लेक्चरों का अपोइंटमेंट हो रहा है फिर उनका भविष्य क्या होगा और ये साढ़े चार हजार मात्र तीन वर्षों में, भले कोरोना का समय था, लेकिन कोरोना ने कोरोना के साथ भी कार्य करना हम लोगों को सिखाया है । ऑनलाईन इंटरव्यूज भी हुए हैं..

अध्यक्ष : पूरक पर आइये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अभी जो 82 में, इतना ही जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि ये जो साढ़े चार हजार रिक्तियां हैं, इन्होंने कहा अगले वर्ष यानी 2022 में पूरी नहीं होगी, 2023 में ये कब तक करेंगे ? तब तक हमारी पढ़ाई कैसे होगी ? यू0जी0सी0 ने छः रिमाइंडर सरकार को भेजे हैं कि शिक्षकों की कमी है । इसको फास्ट ट्रैक करें और साढ़े चार जो नियुक्तियां होनी हैं, इतना समय बीत जाने के बाद भी पढ़ाई बाधित हो रही है, छात्रों का भविष्य भी कहीं-न-कहीं अंधकार में है अध्यक्ष महोदय । तो मेरा यह आग्रह होगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि इन साढ़े चार हजार नियुक्तियों को हम शीघ्र

करें और इन दो वर्षों में जो रिक्तियां हुई हैं, इनकी भी गणना करके, उनके भी परलली हम उनकी वेकेंसी पर कार्रवाई प्रारंभ करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है और यह बात सही है कि बीच में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां हो रही थी । उसमें वक्त ज्यादा लग रहा था । इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम फिर से विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां करेंगे । महोदय, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गयी कि 2019 के अंत से 2020 के शुरुआती दौर से ही कोरोना प्रारंभ हुआ और लगभग दो वर्षों तक और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि अब हम लोग कोरोना के साथ जीना या कोरोना में ही काम करने की आदत डाल रहे हैं लेकिन यह अनुभव होने में ही दो वर्ष लगे हैं । यह तो अब की बात है । अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस कोरोना को नजरअंदाज करके, ये चीजें हमने डेढ़ साल, दो साल पहले नहीं की थीं । दूसरी चीज महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो वेकेंसी इस बीच में आ रही हैं, तो उसके लिए विश्वविद्यालय अधिकृत हैं और जैसा कि हमने कहा कि 1664 अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं । अतिथि शिक्षकों के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ही इस शर्त के साथ की जा रही है कि नियमित नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जायेगी । इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हैं । माननीय सदस्य का यह सुझाव बिल्कुल उचित, वाजिब है कि इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, तो सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ''अब वह जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे, अब वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग अपने रिश्ते कुर्बान कर देते हैं ।'' यह कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है ।

माननीय सदस्य श्री राहुल तिवारी अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम छोटा पूरक । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया, वह ठीक है कि सरकार ने सोचा है । दो-तीन विषयों पर वह स्वयं सजग हैं..

अध्यक्ष : अब हो गया । इनका विषय क्लीयर हो गया ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट विषय है, पढ़ाई बाधित हो रही है । अध्यक्ष महोदय, इसको हम सिर्फ एश्योर करवाना चाह रहे हैं कि ये साढ़े चार हजार नियुक्तियां...

अध्यक्ष : मिलकर कर लीजिएगा ।

(व्यवधान)

इसमें आप कहां आ रहे हैं ? आपका तो साईन भी नहीं है । नहीं, आपका साईन नहीं है, ध्यानाकर्षण है, बैठ जाइये ।

टर्न-10/धिरेन्द्र/29.03.2022

सर्वश्री राहुल तिवारी, मनोज मंजिल एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राहुल तिवारी ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के पश्चात् किसानों को अविलंब निर्धारित दर पर मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु बिहार में कई राजमार्गों के अधिग्रहण एवं निर्माण के पश्चात् भी अभी तक हजारों किसानों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है । उदाहरणस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग 84/30 (पटना-बक्सर फोरलेन) के अधिग्रहण के पश्चात् भोजपुर, बक्सर एवं पटना जिले के कई किसानों को मुआवजा का भुगतान आज तक नहीं किया गया है । सक्षम प्राधिकार-सह-राजस्व न्यायालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा जान-बुझकर भोले-भोले रैयतों को तंग करने की नियत से दलालों के माध्यम से झूठी आपत्ति संबंधी आवेदन दिलवाकर मुआवजा की राशि कई वर्षों से रोक कर रखा गया है । बिहियाँ प्रखण्ड के मौजा तेघरा, दोघरा एवं अन्य कई मौजों में किसानों का भूमि अधिग्रहण किया गया तथा सड़क का निर्माण भी कर दिया गया लेकिन लगभग 5 वर्ष पूर्व कागजात जमा करने के बाद भी उनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ।

अतः किसानों को मुआवजा की राशि का अविलंब भुगतान कराने तथा दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण राजमार्ग अधिनियम, 1956 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । अधिनियम में वर्णित निहित प्रक्रिया को अपनाते हुए हितबद्ध रैयतों, अधिग्रहण से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए पंचाट की योजना की जाती है । प्रभावित रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान के क्रम में साक्ष्य स्वरूप संबंधित राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भुगतान सुनिश्चित किया जाता है । कतिपय मामलों में अर्जनाधीन भूमि के

स्वामित्व संबंधी विवाद की स्थिति बनने के कारण भुगतान में विलंब होता है । हितबद्ध से, रैयतों से प्राप्त आवेदनों के साथ संपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के कारण न्याय-निर्णय हेतु मामला व्यवहार न्यायालय में संदर्भित किया जाता है । तत्पश्चात् न्याय-निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जाती है । जहां तक भोजपुर जिला के बिहियाँ प्रखण्ड के मौजा तेघरा एवं दोघरा का प्रश्न है, के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा का कुल 57 पंचाटी में से 41 पंचाटी को भुगतान कर दिया गया है । शेष 16 पंचाटियों में से 13 पंचाटियों का कोई कागजात, आवेदन अप्राप्त है । दो पंचाटी का कागजात अपूर्ण है । एक मामला स्वत्ववाद के कारण माननीय व्यवहार न्यायालय में लंबित है । एक मामले में, अधिसूचना निर्गत के पश्चात् जमीन की बिक्री हुई है जो अधिनियम के शर्तों के अधीन अमान्य है । इसी प्रकार मौजा तेघरा में कुल 36 पंचाटी में से 19 पंचाटी का भुगतान कर दिया गया है । शेष बचे 17 पंचाटियों में से 10 पंचाटियों का कोई कागजात, आवेदन अप्राप्त है । एक पंचाटी का कागजात अपूर्ण है । एक मामला स्वत्ववाद के कारण माननीय व्यवहार न्यायालय में लंबित है । दो मामले में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई अंतिम चरण में है जिसे तीन दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा । दो मामले में सरकारी भूमि निहित है और एक मामला में कोई दावेदार नहीं है । इस प्रकार जो भी मामले लंबित हैं उसे यथोचित कारण यथा अधिसूचना की तिथि के बाद जमीन विक्रय के मामले में एन0एच0ए0आई0 से स्वीकृति अप्राप्त रहने, न्यायालय में मामला लंबित रहने एवं रैयतों द्वारा साक्ष्य सहित आवेदन प्रस्तुत करने के अभाव के कारण भुगतान में विलंब हुआ है ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, मेरा तीन पूरक है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एन0एच 84/30 में, लगभग 10 साल हो गये भूमि अधिग्रहण किये हुए तो कितने किसानों का मुआवजा मौजावार सिलसिले में अभी भुगतान करना बाकी है ? दूसरा पूरक यह है कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो दोघरा, तेघरा पंचायत के किसानों के बारे में है उसमें कुछ किसानों का मैं नाम पढ़ देता हूँ जिनका पैसा, मतलब कि कागजात 5 वर्षों से विभाग में जमा है, अभी तक उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया है। श्रीमती राजकुमारी देवी, श्री जनार्दन तिवारी, श्री रामस्नेही पाण्डेय, श्री अजय तिवारी, श्री शिवपूजन तिवारी और श्री खोभाड़ी यादव अन्य का कागज 5 वर्षों से जमा है । क्या मंत्री जी, कागजात जो जमा है और जो सही है, उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है । जिनकी कागजात सही है, अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है और जो अधिकारी भुगतान नहीं दे पाये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां का जो भुगतान हुआ है, उसका भी हम कागज लाये हैं और हम कहना चाहेंगे कि परियोजना एन0एच 30/84 कोईलवर-भोजपुर सेक्शन में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 46 है और आवंटन 424.21 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, जिसमें से हमने कुल व्यय 337.39 करोड़ रुपया कर दिया, जिसका परसेंटेज 79.54 है और दूसरा जो है फेज-3, इसमें कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 10 है, 30.83 करोड़ मिला है जिसमें से 24.55 करोड़ रुपया हमलोगों ने पेमेंट किया है, मतलब 79.63 परसेंट हमने भुगतान किया है । यानी अब माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसका मैं अभी रिव्यू कर रहा था और हमने यह आदेश भी दिया है तो कुछ कागज मुझे प्राप्त हुए हैं जिनको भुगतान किया गया है । अगर आप मुझे उनका नाम उपलब्ध करा देते हैं तो अविलंब कल ही बैठकर मैं इसका रिव्यू कर लूंगा और अगर उनके कागजात सही होंगे और किसी कारण से विलंब हुआ है तो जांचोपरांत कार्रवाई भी करेंगे । निश्चित रूप से वहां पर हमारे डी0एल0ओ0 नहीं थे, डी0एस0एल0आर0 को अभी एक महीना पहले हमने चार्ज दिया है । काम प्रगति पर है, बहुत जल्द भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब इतना सकारात्मक जवाब, जो प्रश्न किये हैं वे संतुष्ट हो गये । आपका क्या है ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, यह पूरे राज्य स्तर का मामला है तो इसी तरह का हमारे यहां एन0एच0-2 में भी है । इसी तरह का एक मामला आया है बभनगांवा एक गांव है, खैरी मौजा है, दरिगांवा थाना में । अध्यक्ष महोदय, यह जो खाता संख्या है इसमें होता क्या है कि जो सक्षम प्राधिकार होते हैं उनके पास जिनको मुआवजा लेना होता है वे दावा आपत्ति तो पेश करते हैं लेकिन सही मुआवजा नहीं मिल पाता है । जैसे खरीदी हुई भूमि है, उसका रजिस्ट्री फीस कुछ और होता है और उनको भुगतान किसी और तरीके से दिया जाता है । कृषि योग्य भूमि या अलग तरीके से दिया जाता है तो जो सक्षम प्राधिकार होते हैं, भू-अर्जन पदाधिकारी होते हैं वे भूमि का मूल्यांकन भी नहीं करते हैं । उनके जो अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ऐसा भी किया जाता है कि किसानों को प्रभावित किया जाता है, भूमि का जो स्वरूप है वह बदल दिया जाता है, जिससे उनको सही भुगतान नहीं मिल पाता है । क्या मंत्री जी उस मामले को भी दिखवाने की कृपा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, हम सामूहिक सभी का बता देते हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ ...

अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्री जी । श्री मनोज मंजिल जी का भी है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, किसानों से जमीन लेकर सड़क बनाई गई और पांच साल हो गये। माननीय सदस्य श्री राहुल जी ने किसानों का नाम भी गिनाया तो पांच साल से उनके डॉक्यूमेंट जमा हैं । पदाधिकारी और जो कर्मी हैं दलालों के माध्यम से ये सब को फंसाते हैं तो क्या आप अब सूद समेत मुआवजा देंगे और कब तक देंगे ?

अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

जिनका हस्ताक्षर रहेगा, वही बोलेंगे ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हमारे यहां इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड बन रहा है, उसमें बहुत सारे किसानों का दस्तावेज भी जमा है....

अध्यक्ष : इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है या नहीं ?

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है । एन0एच0 का सवाल है कि भूमि अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला है । इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड में भी पश्चिमी चम्पारण के करीब-करीब पांच प्रखंडों में पैसों का भुगतान नहीं हुआ है और सड़क बाधित है । दूसरी बात उसमें हम कहना चाहेंगे कि ....

अध्यक्ष : यह राष्ट्रीय राजमार्ग 84/30 (पटना-बक्सर फोरलेन) से संबंधित है । माननीय मंत्री जी ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, ध्यानाकर्षण जो है वह पूरे बिहार के संदर्भ में है ।

अध्यक्ष : विषय पूरे बिहार से संबंधित है लेकिन यह विषय कहां है । जो तैयारी इनके पास रहेगी, वही न बतायेंगे ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, ठीक है । हम तैयारी के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं । जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि आप एक लिस्ट दे दीजिये कि जिन किसानों का कागजात जमा है, उनको हम पैसा दे देंगे ...

अध्यक्ष : अच्छा, ठीक है ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : तो हमारे यहां भी जो किसान कागजात जमा किये हैं क्या उनका पैसा मिल जायेगा ? यह हम आश्वासन चाहते हैं और दूसरा जो कॉमर्शियल भूमि है, उसको कृषि भूमि में कर दिया गया है, जिसके कारण जमीन का रेट कम हो गया है तो इसमें सुधार कर पायेंगे या नहीं ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंजिल जी की मंजिल दूर है अभी । प्रश्न का उत्तर तो हम पहले ही दे दिये, आप कान में लगा लिये और सुनते नहीं हैं ...

(व्यवधान)

निश्चित रूप से पूरे बिहार के अंदर जिला भू-अर्जन कार्यालय के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण किया जाता है । जिन किसानों का कोई विवाद नहीं होता है उनका भुगतान हो जाता है । पारिवारिक बंटवारा या कलह के कारण या ऑब्जेक्शन के कारण पेमेंट भुगतान रूक जाता है और न्यायालय की प्रक्रिया में चला जाता है । वैसे किसान जिनका कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कहीं अगर जानकारी हो तो मुझे सूचित करें, आप हमसे मिलें, मैं कार्रवाई करवाउंगा । दूसरा, उन्होंने कहा कि भुगतान, अगर माननीय सदस्य श्री राहुल जी ने जो नाम दिया है उनका पेपर अगर सही होगा, हम मिलान कर लेंगे, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, हमने खोजा भी है, मांगा भी है, अगर सही होगा तो निश्चित रूप से उस संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे और उसकी सैलरी काटकर इंटरेस्ट भी देने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत (सभापति, राजकीय आश्वासन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का उद्योग विभाग से संबंधित 315वाँ प्रतिवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित 316वाँ प्रतिवेदन, सहकारिता विभाग से संबंधित 317वाँ प्रतिवेदन, जल संसाधन विभाग से संबंधित 318वाँ प्रतिवदेन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 321वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, निवेदन समिति ।

श्री विनोद नारायण झा (सभापति, निवेदन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत निवेदन समिति का सहकारिता विभाग से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन तथा श्रम संसाधन विभाग से संबंधित पंचम प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

टर्न-11/संगीता/29.03.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति से शेष शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन से वापस आए बिहार के मेडिकल छात्रों को बिहार के मेडिकल संस्थानों में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था कर उनके शेष बचे शैक्षणिक सत्र को पूरी करने हेतु नामांकन की व्यवस्था करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के डीहरी (मु0) थाना काण्ड सं0-158/21 के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : दो घंटा भी सदन में बैठने में जिनको परेशानी होती है, अब वे समझ लें कि हमारी क्या जिम्मेवारी और कर्तव्य है ।

श्री सुर्यकान्त पासवान ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, पिछले 14 वर्षों से राज्य के ग्राम कचहरियों में अपनी सेवा देने वाले कचहरी सचिव को मात्र 6 हजार मानदेय दिया जाता है, कचहरी सचिव को स्थायी करने के साथ वेतनमान एवं नगर में विलीन हुए पंचायत के सचिवों को अन्य पंचायत में समायोजित करने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के परैया थाना निवासी किराना व्यवसायी मृतक शिवभजन साव को दिनांक 21.03.2022 को अपराधियों ने घर में घुसकर पीट-पीटकर हत्या कर दिया । जिसका परैया थाना कांड सं0 79/22 है ।

अत: घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की संकल्प संख्या 1846/2008 द्वारा परीक्षाफल आधारित वेतनमद सहायक अनुदान नीति लागू है । 2016 से सभी कॉलजों एवं 2008 से 2013 तक बकाया अनुदान बंद होने से शिक्षाकर्मियों की स्थिति दयनीय है ।

अत: सभी शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने की मांग करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज प्रखंड अंतर्गत मुड़ा पंचायत में ऐतिहासिक स्थल घोड़हन देवी, दीघा मठ एवं चण्डीस्थान अवस्थित है, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है ।

अतः मैं सरकार से उपरोक्त वर्णित स्थलों को रामायण सर्किट से जोड़ने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री मोतीलाल प्रसाद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के चेनारी प्रखण्ड अंतर्गत गंगोत्री प्रोजेक्ट बालिका प्लस 2 उच्च विद्‌यालय के भवन निर्माण के लिए 6 माह पूर्व संविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण अतिशीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद मसौढ़ी के वार्ड नं0-2 पंचटवटी नगर में विश्वमोहन सिंह के घर से मनोज कुमार मधुकरजी के घर होते हुए मदन साव के घर तक नाला का निर्माण हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत पधारी एवं जोस्जा ग्राम में विगत 5 वर्षों से अधिकतर लोगों की मृत्यु कैंसर बीमारी से हुई है तथा अभी भी सैकड़ों लोग कैंसर से पीड़ित हैं ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त गांवों में कैंसर बीमारी का पता कर इसका निदान करें ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखण्ड में छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्राओं को भागलपुर जाना पड़ता है एवं नामांकन नहीं होने से काफी छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं ।

अतः सरकार से कहलगांव में महिला डिग्री कॉलेज खुलवाने की मांग करता हूं।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड पी0डब्लू0डी0 कोशी बांध से उत्तर एक छोटी धार (कटहरी) है, जिससे वर्षभर पानी बहता रहता है । कटहरी धार के उसपार किसानों की उपजाऊ जमीन तक उन्हें पहुंचने में काफी दिक्कत होती है ।

अतः सरकार से कटहरी धार पर पीपापुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जिला मोतिहारी के करसिद्धि के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को न्याय नहीं मिलता देख उसके 14 वर्षीय पुत्र रोहित अगवाल ने आत्महत्या कर लिया, मैं जल्द से जल्द उसे न्याय दिलवाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल में 40 कि0मी0 की परिधि में लगभग 7000 छात्र-छात्राओं के लिये इकलौता T.V.Verma महाविद्यालय जिसमें 50%

S.C, S.T Cast के छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं । इस महाविद्यालय में प्रशासनिक भवन छात्रों के लिए Hostel, क्लास रूम, Wash Room, M. E.d. की पढ़ाई, कम्प्यूटर लैब, Play ground, आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग एवं साईकिल स्टैंड की अति आवश्यकता है । अतः अतिशीघ्र सारी सुविधायें प्रारम्भ करने की मांग करती हूं ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, लालगंज के जी0ए0 स्कूल लालगंज एवं जी0ए0 स्कूल भगवानपुर के मैदान में स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए उपयुक्त स्थल मिल सके ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/सुरज/29.03.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखण्ड के धनुषी पंचायत हनुमान नगर, सुमहौती के लखनदेई नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ ग्राम हनुमान नगर को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित प्रेम नगर से हनुमान नगर पथ एवं पंचायत द्वारा निर्मित पी0सी0सी0 से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के दूसरी तरफ ग्राम सुमहौती को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्माणाधीन धनुषी पी0एम0जी0एस0वाई0 से सुमहौती पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम में एक किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में सात सौ मीटर में पूर्व से पुल निर्मित है । अत: अभिस्तावित पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : मंत्री जी, पांच पंचायत जुटता है और विचाराधीन ही आप कह दिये कि नहीं है । उससे पांच पंचायत के लोग, करीब-करीब 20 हजार लोग प्रभावित होते हैं उस पुल से माननीय मंत्री जी, कुछ तो विचार कीजिये ।

अध्यक्ष : मंत्री जी के संज्ञान में आ गया है । अब सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-2 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

श्री बागी कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला के करपी प्रखण्ड अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चनौरा का भवन निर्माण करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री बागी कुमार वर्मा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-3 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0</u>

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत घोषी प्रखण्ड के भारथु और डमउआ गांव के सामने फल्गु नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, स्थानांतरित है पथ निर्माण विभाग में ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है, हम इसको देख लेते हैं।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, दोनों तरफ रोड है...

अध्यक्ष : दिखवा लेते हैं मंत्री जी, यह स्थानांतरण हुआ है ।

श्री रामबली सिंह यादव : वापस लेते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-4 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0</u>

श्री निरंजन राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखण्ड के एन0एच0-57 रमौली चौक से बलौर-जगनिया-थरमा होते हुये दरभंगा सीमान तक निर्मित सिंगल सड़क को जनहित में दो लेन सड़क में परिवर्तित करावे ।"

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 8.32 किलोमीटर है जिसकी मरम्मती कार्य 3054 एम0आर0 योजना अन्तर्गत 15.11.2018 को पूर्ण किया गया है पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ में ट्रैफिक सर्वे कराकर दोहरीकरण पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री निरंजन राय : महोदय, जो पदाधिकारी हैं वह माननीय मंत्री महोदय को गोल-मटोल और गलत जवाब देकर अभिरक्षण की बात करके घुमाते रहते हैं । काफी बार यह आबादी उससे प्रभावित हो रही है और तीन जिला को वह जोड़ने वाली सड़क है तो उसको निश्चित रूप से...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया है ।

श्री निरंजन राय : आश्वासन दे दें कि इस पर अगले वित्तीय वर्ष में ...

अध्यक्ष : हां ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-5 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0</u>

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के कौआकोल प्रखण्ड स्थित लालपुर पंचायत के चमईनीयादाह नदी पर डैम का निर्माण करावे ।''

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया )

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, नवादा जिला के कौआकोल प्रखण्ड स्थित पहाड़ी के जंगल से चमईनीयादाह नदी निकलती है । प्रश्नगत स्थल पर नदी की औसत चौड़ाई 121 फीट एवं गहराई 9 फीट है तथा प्रस्तावित डैम का डूब क्षेत्र वन भूमि हुआ । इस डैम के जलग्रहण क्षेत्र में अनुमानित जल की मात्रा एवं जल स्त्राव के आधार पर इस योजना से खरीफ में लगभग 537 हेक्टेयर एवं रबी में लगभग 197 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना संभावित है । विभागीय पत्रांक सं0-563, दिनांक-26.03.2022 के द्वारा प्रश्नगत योजना स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी आर्थिक समन्वयता प्रतिवेदन मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहार शरीफ को निर्देशित किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद कामरान : मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-6 : ई० शशि भूषण सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-7 : श्री दामोदर रावत, स0वि0स0

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता की एक शाखा राज्य की राजधानी पटना में खुलवाने की व्यवस्था करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह भारत सरकार की संस्था है और कोलकाता में पुस्तकालय है । वहां से जो सम्पर्क हुआ है उनकी कोई योजना यहां खोलने की नहीं है । वैसे राज्य सरकार उनसे अनुरोध करेगी । अभी तो माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री दामोदर रावत : वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-8 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-9 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-10 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-11 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला के सोन नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिये लंबित कदवन जलाशय परियोजना का निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि 1980 के दशक में प्रस्तावित कदवन जलाशय योजना वर्तमान में इन्द्रपुरी जलाशय योजना के रूप में नामित है । कदवन जलाशय योजना के नाम से सम्प्रति डी0पी0आर0 वर्ष 1987 से 2004 तक केन्द्रीय जल आयोग में डूबे क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश से सहमति के अभाव में स्वीकृति हेतु लंबित रही । राज्य सरकार के

अनुरोध पर योजना की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग में वर्ष 2005 एवं 2007 में बैठक संपन्न हुई । उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्वे ऑफ इंडिया के कंटूर सर्वे तथा अन्य कार्य संपादित कराया गया । फरवरी, 2015 में सर्वे ऑफ इंडिया से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । तत्पश्चात दिनांक- 05.02.2016 को संपन्न अंतर्राज्यीय बैठक में नये सिरे से प्रस्तुत योजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने का निर्णय हुआ । इस निर्णय के आलोक में इन्द्रपुरी जलाशय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उच्चस्तरीय विमर्श हुआ एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा फरवरी, 2017 में स्थल निरीक्षण भी किया गया ।

...क्रमशः...

टर्न-13/राहुल/29.03.2022

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (क्रमशः) : दिनांक-28.06.2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के निर्णय के आलोक में इंदरपुरी जलाशय (पुराना नाम कदवन जलाशय) के निर्माण हेतु इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी को सौंपा गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन्दरपुरी बराज पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ताकि सोन नदी की नहरों में सिंचाई हेतु पानी की कमी न हो एवं खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके । परामर्शी द्वारा तैयार प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन की प्रति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी है । केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के सुझाव पर प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन की प्रति उत्तर प्रदेश एवं झारखण्ड सरकार को भेजी गई है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, परन्तु झारखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि बांध सागर समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार को सोन नदी के आवंटित जल के बंटवारे पर निर्णय के उपरांत ही कोई मंतव्य दिया जायेगा । इसके लिए विभागीय स्तर पर अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से सहमति हेतु झारखण्ड सरकार से दोनों राज्यों की सचिव स्तरीय बैठक कराये जाने के निमित्त अनेक बार अनुरोध किया गया है, परन्तु झारखण्ड सरकार द्वारा बैठक के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया । केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा जल के अन्तर्राज्यीय उपयोगिता पर एक प्रतिवेदन झारखण्ड सरकार को उपलब्ध कराने के सुझाव पर प्रतिवेदन की प्रति भी झारखण्ड सरकार को विभागीय पत्रांक संख्या-141, दिनांक-09.03.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, साथ ही झारखण्ड सरकार से अप्रैल, 2022 में सचिव स्तरीय बैठक आहूत किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है । दिनांक-25.03.2022 को केन्द्रीय

जल आयोग, भारत सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय पहलू पर झारखण्ड सरकार की सहमति 3 वर्ष से लंबित रहने के कारण प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन को वापस करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है । इस संदर्भ में विभागीय सचिव द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में दखल दें और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दें कि शीघ्र तीनों राज्यों की बैठक कराकर अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर निराकरण करावें ताकि सोन कमांड क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल सके । सरकार इन्दरपुरी, कदवन जलाशय के निर्माण हेतु दृढ़ संकल्पित है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, डबल इंजन की सरकार है इसलिए मंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि अब तो डबल इंजन की सरकार है अभी तो कम से कम जल्दबाजी कर दी जाय । इसको किया जाय, हम वापस लेंगे लेकिन इसपर जवाब दे दें ।

उपाध्यक्ष : वापस लीजिये, वापस लीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, तीन राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है और हमने कहा है कि इस पर जल्दी से निपटारे के लिए हमने पत्र भी लिखा है तो माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लें ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, एक सवाल है जैसे इसके पहले...

उपाध्यक्ष : इतना विस्तृत जवाब दिया गया है ।

श्री महा नंद सिंह : जवाब विस्तृत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है महोदय । एक थोड़ा-सा, वर्ष 1990 में ही शिलान्यास हुआ है, सबकुछ हुआ है, जगन्नाथ मिश्रा के...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार को भी लिखे हैं तो अब इसके बावजूद क्या...

श्री महा नंद सिंह : महोदय, वर्ष 1990 के पहले ही हुआ है लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ...

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-12 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिलान्तर्गत गिरिहिंडा पहाड़ स्थित कामेश्वर नाथ शिव मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित एवं रोप-वे का निर्माण करावे ।''

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिलान्तर्गत गिरिहिंडा पहाड़ स्थित बाबा कामेश्वर नाथ शिव मंदिर पर्यटन रोड मैप में प्रारूप की सूची में शामिल है । विभागीय पत्रांक-425, दिनांक-23.02.2022 द्वारा रोड मैप उल्लेखित स्थलों को विकास हेतु वरीयता निर्धारित करने एवं नई सूची के वांछित प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी की गई है । वर्णित स्थल पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है । इस मामले के संबंध में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से विभागीय ज्ञापांक-723, दिनांक-15.03.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं, वे बताये हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द वहां पर्यटक स्थल के रूप में करें । अध्यक्ष जी भी कुछ दिन पहले दौरे पर गए थे, वहां पुजा-अर्चना किए थे, वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जल्द से जल्द इसे पर्यटक स्थल करावें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री विजय कुमार : मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-13 : श्री मोती लाल प्रसाद, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-14 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से तबाह हुये फुटपाथी दुकानदारों, व्यापारियों को आर्थिक सहायता मुहैया करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, यह नगर आवास एवं विकास विभाग को ट्रांसफर है । राज्य के सभी निकायों में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी फुटपाथ विक्रेताओं को कोविड-19 से उत्पन्न महामारी में उसके जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु पी0एम0 स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी0एम0एस0वी0ए0) योजना क्रियान्वित है । कोरोना काल में लोकडाउन के कारण

आर्थिक रूप से प्रभावित हुए फुटपाथी दुकानदार, व्यापारियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि योजना पूरे राज्य में क्रियान्वित है । योजनान्तर्गत शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को बैंको के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए प्रथम चरण में दस हजार रुपये, द्वितीय चरण में बीस हजार रुपये, तृतीय चरण में पचास हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इस योजनांतर्गत 7 प्रतिशत का सूद अनुदान भी दिया जा रहा है । योजनांतर्गत निम्न कार्य किए गए हैं राज्य में कुल एक लाख छिहत्तर हजार नौ सौ नब्बे फुटपाथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है । योजनांतर्गत 62,542 फुटपाथ के आवेदनों को बैंको द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें कुल 47,307 इच्छुक आवेदकों को प्रति फुटपाथी विक्रेता दस हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है जिसकी कुल राशि 47 करोड़ 30 लाख 70 हजार रुपये मात्र है । ग्यारह हजार तैंतीस फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा प्रथम चरण ऋण का भुगतान कर दिया गया है जिसमें से इच्छुक 765 फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चरण के ऋण हेतु आवेदन कराया गया है इसमें से 530 फुटपाथ विक्रेताओं के आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और 365 फुटपाथ विक्रेताओं को 20 हजार के ऋण की राशि भी उपलब्ध करा दी गई है जिसकी कुल राशि 73 लाख रुपये है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपना संकल्प वापस लें।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, यह तो जवाब फुटपाथ दुकानदारों के लिए है लेकिन सरकार बड़े व्यापारियों को क्या राहत दी है हम इसके बारे में जानना चाहेंगे । कुछ नहीं मिला है एकदम कहा जाय कि वे भुखमरी के कगार पर हैं...

उपाध्यक्ष : क्वेशचन, आंसर नहीं हैं, यस या नो में जवाब दीजिये वापस लेते हैं कि नहीं ?

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, व्यापारी हित का सवाल है सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की मदद करे ।

उपाध्यक्ष : विस्तृत रूप से सरकार ने जवाब दिया है ।

श्री सुदामा प्रसाद : व्यापारियों को मदद नहीं मिली है हुजूर । बड़े व्यापारी, कम से कम सरकार उनका कोरोना काल का ऋण का ब्याज ही माफ कर दे, उनका बिजली बिल ही माफ कर दे तब तो एक मदद होगी उनकी ।

उपाध्यक्ष : ठीक है प्रस्ताव वापस ले लीजिये तभी न कुछ होगा ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है सर, प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-15 : श्री राम नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री राम नारायण मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के बांका प्रखण्ड स्थित लकड़ीकौला में सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष महोदय, यह जिला राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब सुन लीजिये । माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्तमान में 11 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित हैं जो कि आठ जिलों में अवस्थित हैं पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालंदा, बेतिया, मधेपुरा । केन्द्र प्रायोजित योजना एवं विकसित बिहार की सात निश्चय योजनांतर्गत कुल 11 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है ।

क्रमश:

टर्न-14/मुकुल/29.03.2022

....क्रमश:...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : समस्तीपुर, सारण, बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बक्सर, जमुई, सीवान एवं पूर्णियां । दो जिलों यथा मुंगेर एवं मोतिहारी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है । इसके साथ ही दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त राज्य में कुल 8 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित हैं, जो 7 जिलों में अवस्थित हैं किशनगंज, कटिहार, रोहतास, सहरसा, मधुबनी, पटना और मुजफ्फरपुर । इस प्रकार राज्य के 28 जिलों में सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित या निर्माणाधीन हैं । शेष अन्य जिलों में बांका सहित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण पर आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने कितना अच्छा जवाब दिया है ।

श्री राम नारायण मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि बांका जिला इस राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है ।

उपाध्यक्ष : राम नारायण बाबू, माननीय मंत्री जी ने कितना सकारात्मक जवाब दिया है, उन्होंने बोला है कि चरणबद्ध तरीके से विचार कर लेंगे ।

श्री राम नारायण मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता के आधार पर इस जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और लकड़ीकौला में 25 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए अभी रखी गयी है कि वहां मेडिकल कॉलेज खुले, उसके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बगल में आई0टी0आई0 महिला सब कुछ बनकर तैयार, वह चालू स्थिति में है । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर वहां मेडिकल कॉलेज खुले ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री राम नारायण मंडल : ठीक है, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-16 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड में स्कूल तो बहुत है लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले प्रस्ताव कीजिए ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे ।''

महोदय, डिग्री कॉलेज कोचाधामन प्रखण्ड में नहीं होने के कारण गरीब बच्चे इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो प्रस्ताव है वही पढ़िए । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है ।

किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड किशनगंज अनुमण्डल के अंतर्गत है, जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज संचालित है ।

अत: किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की कोई योजना नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है । मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर एक डिग्री कॉलेज कम-से-कम दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, आप अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-17 : श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-18 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भीम कुमार सिंह की ओर से प्राधिकृत हैं श्री आनंद शंकर सिंह ।

श्री आनंद शंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह विधानसभा क्षेत्र के पुनपुन नदी पर उपहरा पंचायत के बिलारू और हथयारा पंचायत के मठिया गांव में पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के उपहारा पंचायत के ग्राम बेलारू पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित गोह उपहारा पथ से बेलारू, जिसकी लम्बाई 3.10 कि0मी0 है, पर अवस्थित है । वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है एवं अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्नागत स्थल पुनपुन नदी के दूसरी तरफ ग्राम मठीया है जो गोह उपहारा पथ से बनतारा (मठिया) पथ पर अवस्थित है । इस पथ की मरम्मति बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत करायी जा रही है ।

इस प्रकार प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । वर्तमान में पुनपुन नदी के प्रश्नागत स्थल से अप स्ट्रीम में 4.00 कि0मी0 पर एवं डाउन स्ट्रीम में 8.00 कि0मी0 पर आर0सी0सी0 पुल निर्मित है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री आनंद शंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पुल अति आवश्यक है । अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि जनहित में देखते हुए इस पुल का निर्माण कराने की कृपा करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उमाकांत सिंह जी का सीरियल नम्बर 80 है । चूंकि माननीय गन्ना उद्योग मंत्री जी को वहां जाना है इसलिए हम इस संकल्प को पहले ले लिये हैं ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-19 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखण्ड अंतर्गत खड़तरी पश्चिमी पंचायत के पटजिलवा ग्राम में स्लूइस गेट का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखंड के सरोगढ़ से खड़तरी पश्चिमी पंचायत के पटजिलवा ग्राम तक तियर सिकरहना सिजुआ लूप अवस्थित है, जिसकी लम्बाई 12 कि0मी0 है । इस तटबंध में कुल 8 अदद बिन्दुओं पर स्लूइस गेट निर्माण हेतु स्थान चिन्हित कर छोड़ा गया है, जिसमें प्रश्नगत स्थल पटजिलवा भी सम्मिलित है ।

सिकरहना/बूढ़ी गंडक नदी एवं इसके सहायक नदियों पर निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नये तटबंध निर्माण हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है । उक्त योजना के अंतर्गत सिकरहना/बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध का पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत चनपटिया स्थल से खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिलन बिन्दु तक उच्चीकरण, सृदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर से योजना अनुशंसित है एवं भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाना प्रक्रियाधीन है ।

उक्त योजना के तहत प्रश्नगत स्थल पर संरचना निर्माण प्रस्तावित है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कब तक इस काम को करवा देंगे ?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक चीज बार-बार देखते हैं, डेढ़ वर्ष हो गया इस सदन में जो भी नये माननीय सदस्य आये हैं, लेकिन कभी अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, कभी सभापति को अध्यक्ष बोलते हैं, कभी उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बोलते हैं तो मेरा कहना है कि कम-से-कम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति में फर्क रखिये । इन सभी का निर्वाचन अलग-अलग तरीके से होता है इसलिए इन सब में फर्क समझा कीजिए । माननीय सदस्य, अपने संकल्प को वापस लीजिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से चाहते हैं कि ये हमें आश्वासन दें कि कब तक इस काम को करवा देंगे ।

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-20 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0</u>

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती हूं कि वह गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड शेरघाटी के पलकिया से बाजीतपुर मोरहर नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ के बसावट पलकिया को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ ''टी01 से शेरपुर'' तक पथ जिसकी लम्बाई 3.283 कि0मी0 है, से सम्पर्कता प्रदत्त है ।

अभिस्तावित पुल स्थल के दूसरे तरफ के बसावट बाजितपुर को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्मित पथ ''टी02 से बाजितपुर दास टोला'' तक पथ, जिसकी लम्बाई 0.724 कि0मी0 है से सम्पर्कता प्रदत्त है ।

पलकिया एवं बाजितपुर के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अत: इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अभिस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 4.00 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 0.500 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह अति आवश्यक है और इससे बहुत सारा गांव प्रभावित होगा और लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्या, संकल्प को वापस लें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-15/यानपति/29.03.2022

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी ।

क्रमांक-21: श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव ।

क्रमांक-22: श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र ।

क्रमांक-23: श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड स्थित ग्राम पंचायत-कित्ता चौहतर के हल्दी छपरा पुराना टोला वार्ड सं0-01 में श्री पृथ्वी राय के घर से श्री शुभक सिंह के जमीन तक सोन सोती पर पुल सह सड़क निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मनेर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत- कित्ता चौहतर पश्चिमी के हल्दी छपरा पुराना टोला वार्ड सं0-01 श्री पृथ्वी राय के घर तक विधायक योजना अंतर्गत निर्मित पी0सी0सी0 बना हुआ है जिसकी स्थिति संतोषजनक है । श्री पृथ्वी राय के घर से लगभग 80 मीटर की दूरी पर सोन नदी की सोती है । पृथ्वी राय के घर से शुभक सिंह के जमीन के बीच में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है अत: यहां पुल एवं सड़क निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों एकड़ जमीन है वहां के किसानों का जो तैरकर जाते हैं सोन सोती से तैरकर । कई घटनाएं भी घट गई हैं । मवेशी का भी चारा उधर, मवेशी भी जाता है तो उसमें अगर एक पुलिया बन जाता तो काफी समस्या का निदान होता और किसानों का काफी नुकसान जो हो रहा है वह नुकसान नहीं होता, मैं यह चाहता हूं सरकार से, माननीय मंत्री जी से ।

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव वापस लीजिए ।

सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य...

श्री भाई वीरेन्द्र: मैंने अभी कहां कहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं...

उपाध्यक्ष: नहीं इसमें क्वेश्चन एंसर नहीं होता है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया, आपका प्रस्ताव वापस नहीं लीजिएगा तो फिर सब दिन पेंडिंग रहेगा । प्रस्ताव वापस लीजिएगा तभी न आगे विचार करेगी सरकार ।

श्री भाई वीरेन्द्र: मैं यह कह रहा हूं कि आश्वासन माननीय मंत्री जी दे दें मैं बैठ जाता हूं । आश्वासन दे दें कि दिखवाऊंगा उसको ।

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जवाब दे दिए, बहुत है इसमें ।

श्री भाई वीरेन्द्र: माननीय मंत्री जी थोड़ा सा आश्वासन तो दे दें ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार, मनोज मंजिल जी प्राधिकृत हैं ।

क्रमांक-24, श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री मनोज मंजिल: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखण्ड के ग्राम अमिलौना एवं सादा विगहा स्थित मनोरा रजवाहा (नहर) पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना मुख्य नहर के 6.00 कि0मी0 से निकली मुख्य पूर्वी नहर 4.00 कि0मी0 से मनोरा रजवाहा नहर निकलती है जिसके 5.10 कि0मी0 पर औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखण्ड का ग्राम अमिलौना एवं सादा विगहा के नजदीक फॉल कम ब्रिज पूर्व से निर्मित है जो वर्तमान में चालू अवस्था में है, वर्तमान में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इसी फॉल कम ब्रिज का उपयोग कर नहर का निरीक्षण किया जाता है तथा ग्रामीणों द्वारा कृषि संबंधित कार्य भी किया जाता है । वर्णित पुल पर पारापेट वॉल पूर्णत: एवं रिटर्निंग वॉल का कुछ भाग आंशिक रूप से टूटा हुआ है जिसकी मरम्मती कार्य कराने की आवश्यकता है । इस पुल की यथा आवश्यक मरम्मती कार्य वित्तीय वर्ष-2022-23 में कर लिया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मनोज मंजिल: महोदय, वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सकारात्मक है । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन ।

क्रमांक-8, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के पातेपुर प्रखण्ड एवं जन्दाहा प्रखण्ड के बीच सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी आश्रय झील बरेला का सौंदर्यीकरण एवं विकसित करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के पातेपुर एवं जन्दाहा प्रखंड के बीच सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी आश्रय झील बरेला लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है एवं लगभग 1000 एकड़ वेटलैंड है । इस झील में छोटे-छोटे खंड में सरकारी जमीन अव्यवस्थित है । इन खंडों में दो सबसे बड़े खंड जिसका रकवा 270 एकड़ है का इकरारनामा वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया था परंतु 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में अत्यधिक वर्षा के कारण जल-जमाव से अभीतक उक्त योजना का कार्य आरंभ नहीं हुआ ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: उपाध्यक्ष महोदय, हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, हमने यह कहा कि विकसित करावें, माननीय मंत्री जी पूरा उसका इतिहास बता दिए, वहीं हमारा जन्म हुआ है उसी झील बरेला के प्रांगण में । हम तो जानते हैं झील बरेला का, उपाध्यक्ष महोदय, वहां 556 एकड़ जमीन बिहार सरकार की है...

उपाध्यक्ष: आप रिक्वेस्ट कर लीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: हजारों एकड़ जमीन दो विधान सभा के किसानों का है, अगर केवल झील बरेला को विकसित करा दिया जाय तो लगभग दो विधान सभा के लोगों का कल्याण हो जाएगा, उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा ।

उपाध्यक्ष: ठीक है, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: और उस झील में आज से लगभग 20 साल पहले, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दो बार उस झील में गए हैं...

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम उस झील बरेला का जो है, वह जो है विकसित करावें, सौन्दर्यीकरण करावें और माननीय मंत्री जी का आश्वासन इसपर मिल जाय तो मैं अपने प्रस्ताव को...

उपाध्यक्ष: वापस लीजिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

क्रमांक-25, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर कमला नदी पर स्लुईस गेट के ऊपर से एन0एच0-227 गुजरती है, की जगह कमला नदी पर महासेतु निर्माण के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार को अनुशंसा करे ।

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-227 मोतिहारी जिला में चकिया से प्रारंभ होकर शिवहर, सीतामढ़ी, भिट्टा मोड़, चरौता, उनगांव एवं जयनगर होते हुए नरहिया तक जाती है । वर्तमान में शिवहर से नरहिया तक विश्व बैंक की सहायता से पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसमें कमला नदी पर नये पुल निर्माण का प्रावधान नहीं है । वर्तमान में एन0एच0-227 कमला नदी में वियर के ऊपर से होकर गुजरती है । जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त वियर के स्थान पर बराज का निर्माण किया जा रहा है । बराज के निर्माण के उपरांत एन0एच0-227 हेतु कमला नदी पर पुल का निर्माण आवश्यक होगा । कमला नदी पर महासेतु निर्माण के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में शामिल करने हेतु अनुशंसा की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, इस पुल की महत्ता पर माननीय मंत्री जी ने स्वयं प्रकाश डाला है, महोदय, यह प्रश्न स्वीकृति का है, यह प्रस्ताव स्वीकृति का है जिसमें वापस लेने का कहीं कोई सवाल नहीं है चूंकि राज्य सरकार भारत सरकार को अनुशंसा करेगी, इसमें बिहार सरकार का कुछ जा नहीं रहा है तो इस प्रकार के प्रस्ताव हमेशा स्वीकृत होते रहे हैं, सदन का, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें, सदन की सहमति से ।

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, स्वीकृत हो गया है । जैसे यह अनुशंसा की मांग है, अनुशंसा करेंगे तो स्वीकृत हो गया यह । यह तो स्वीकृति का है इसमें कहीं दिक्कत नहीं है राज्य सरकार को ।

उपाध्यक्ष: ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार सिंह ।

टर्न-16/अंजली/29.03.2022

क्रमांक-26 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली बख्तियारपुर-ताजपुर एक्सप्रेस फोरलेन में राजपुर-जौनपुर पंचायत के अंतर्गत कलभर्ट की संख्या बढ़ावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल बख्तियारपुर, ताजपुर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो पी0पी0 प्रगति पर कराया जा रहा है का अंश है, तकनीकी समाहर्ता प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक्चुअली में बख्तियारपुर-ताजपुर का जो बनना है, बीच में जौनपुर बहुत बड़ा गांव है, अगर इसकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो फिर बाढ़ से काफी गांव प्रभावित होगा, बाढ़ आने पर, पानी का आना-जाना रूक जाएगा । इसलिए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार ।

क्रमांक-27 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत महमदपुर सकरा के तरूणिया चौक स्थित एस0एच0-88 से महमदपुर सकरा चौक तक सड़क का पक्कीकरण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 2 किलोमीटर है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट के अंतर्गत मोबाइल ऐप से कर लिया गया है जिसका सर्वे आई0डी0 24669 है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि उस बीच में कई दलित बस्ती हैं और वहां तक अग्निकांड जो होता है तो कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं जा पाती है तो इसलिए प्राथमिकता में रखकर के जल्दी करा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अजय कुमार : जी, वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ।

## क्रमांक-28 : श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चंपारण जिला में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नेपाल से आने वाली नदियों के जल प्रवाह क्षेत्र में जंगल समेत सैकड़ों गांव की वास भूमि और कृषि भूमि की कटाव को रोकने की व्यवस्था करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प0 चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नेपाल से आने वाली गंडक नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में जंगल समेत सैकड़ों गांव की वास भूमि और कृषि भूमि का कटाव रोकने के लिए एजेंडा संख्या-122/21, 144/05, 154/76 (2020) एवं एजेंडा संख्या-168/46 (2021) के तहत कटाव निरोधी कार्य कराया गया है । वर्तमान में गंडक नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में जंगल समेत आसपास के गांव की वास भूमि और कृषि भूमि सुरक्षित है । नदियों से मिट्टी, बालू और पत्थर के नागरिकों के उपयोग से संबंधित मामले में जिला पदाधिकारी प0 चंपारण से पत्रांक संख्या-1236, दिनांक-27.03.2022 से अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नदी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है एक गंडक के बारे में लेकिन हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें जो है बकुलहिया, सिसोहा, भगहां इस ढंग के कई गांव कट रहे हैं, वृंचि ये सब गांव कट रहे हैं और इस साल उसको वेट एंड वाच नीति के तहत उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, वहां कटावरोधी जो काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि वहां बालू और पत्थर पूरे नदियों में भर गया है जिससे नदी एवं धारा बदल रही है लेकिन केंद्र सरकार की भी अधिसूचना है वर्ष 2017 की कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बालू और पत्थर का इस्तेमाल स्थानीय लोग कर सकते हैं इससे कटाव भी रुकेगा, जिससे जंगल भी बचेगा और जो सैकड़ों गांव कटाव पर हैं वह बचेगा ।

उपाध्यक्ष : ठीक है अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कटावरोधी काम भी हो और बालू, पत्थर निकासी के लिए भी माननीय मंत्री जी इजाजत दें, या सरकार इजाजत दे ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता ।

<u>क्रमांक-29 : श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह ।

<u>क्रमांक-30 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0</u>

श्री जनक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहित कर भवन का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य जिला

स्तर पर प्रक्रियाधीन है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जनक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पानापुर प्रखंड वर्ष 1994-95 में मसरख से कटकर नया प्रखंड बना और इसुआपुर तरैया से वर्ष 1994-95 में कटकर बना यानी लगभग आज 26 वर्ष हो गए और जिसके कारण आम लोगों को कष्ट हो रहा है, बैठने के लिए एक लोहिया भवन बना है दोनों जगह, पानापुर में भी और इसुआपुर में भी और लोहिया भवन भी जो बना है पानापुर में, वह अस्पताल की भूमि है, उस पर इस सदन में विषय भी आया है ।

उपाध्यक्ष : तो आप वापस ले लीजिए ।

श्री जनक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पानापुर और इसुआपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण के लिए कब तक भूमि चिन्हि्त करके अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को पूर्ण करायेगी । जिससे कि उक्त भवन का निर्माण कराया जा सके ।

उपापध्यक्ष : इसमें प्रश्न और उत्तर नहीं होता है, वापस ले लीजिए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, हम तो वापस ले लेंगे । लेकिन अधिग्रहण के अंतर्गत 10 वर्ष पहले भेजा जा चुका है । डी0एम0 साहब के यहां 10 वर्ष पहले भेजा गया है, अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष : सदन में आया है, संज्ञान में गई है सरकार के ।

श्री जनक सिंह : महोदय, हम मंत्री जी से केवल कह रहे हैं कि शीघ्र इस चीज को करवा दें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री हरि नारायण सिंह ।

<u>क्रमांक-31 : श्री हरि नारायण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री हरि नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत फतुहा से दनियावां होते हुए नालंदा जिलान्तर्गत नगरनौसा, माधोपुर (चंडी) (NH-30 A) एवं चंडी से सालेपुर, नूरसराय (SH-78) होते बिहारशरीफ 17 नंबर NH-20 तक की सड़क 2 लेन को 4 लेन में परिवर्तित करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 (ए) फतुहा, हरनौत, बाढ़ में 71.6 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य हेतु 591 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है । संवदेक के साथ एकरारनामा की राशि 560 करोड़ के उपरांत दिनांक-30.11.2015 को कार्य प्रारंभ किया गया है । पटना जिलान्तर्गत फतुहा से दनियावां होते हुए नालंदा जिलान्तर्गत नगरनौसा, माधोपुर का कार्य उक्त परियोजना का अंश है । इस पथांश में दनियावां बाईपास को छोड़कर शेष पथांश तथा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य लगभग पूर्ण हैं । दिनांक-05.08.2019 से कार्य अंतरिम पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रभावी है तथा 04.08.2024 तक एन0एच0-30 (ए) के संबंधित पदांथ मेन्टेनेंस पीरियड में है । मेन्टेनेंस पीरियड की समाप्ति के उपरांत तत् समय यातायात दबाव के आधार पर 4 लेन में परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री हरि नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शायद बिहार राज्य में ही जिस सड़क की मैंने चर्चा की है फतुहा से दनियावां, चंडी, नूरसराय होते हुए बिहारशरीफ तक, इस सड़क पर इतना ओवर लोडेड है कि हम समझते हैं बिहार राज्य में विरले ही ऐसा पथ होगा जो इतना ओवर लोडेड हो, इसलिए लोड को देखते हुए और दुर्घटना को देखते हुए इस सड़क को निश्चित रूप से 2 लेन से 4 फोर लेन कराना आवश्यक है क्योंकि बिहार राज्य की सबसे इंपोर्टेंट सड़क है और इस पर सबसे ज्यादा लोड है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री हरि नारायण सिंह : प्रस्ताव तो वापस ही लेते हैं लेकिन होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री मिश्री लाल यादव ।

टर्न-17/सत्येन्द्र/29-03-22

क्रमांक-32 (श्री मिश्री लाल यादव, स0वि0स0)

उपाध्यक्ष: प्राधिकृत हैं माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के ग्राम पंचायत बुढ़वे इनायतपुर के ग्राम असमा एवं पौनी के गेहूमी नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल रसियारी शंकरपुर, तरगिहा पौनी से असमा पथ जिसकी लं0 8.10 कि0मी0 है, के आरेखन पर पड़ने वाले गेहुंआ नदी पर अवस्थित है । पथ का प्राक्कलन पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है जिसमें अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण का भी प्रावधान किया जा रहा है । भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत पथ सह पुल के निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संजय सरावगी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि फेज -3 पी0एम0जी0एस0वाई0 में है तो क्या डी0पी0आर0 बन गया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूॅ बहुत महत्वपूर्ण पुल है ।

उपाध्यक्ष: इसमें जानकारी, क्वेश्चन अंसर नहीं होता है । प्रस्ताव वापस लीजिये ।

माननीय मंत्री जी के संज्ञान में चला गया है आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री संजय सरावगी: केवल संज्ञान में जाने के लिए है महोदय । ठीक है ,मैं वापस लेता हूॅ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

<u>क्रमांक-10 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0)</u>

डॉ0 रामानुज प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अन्तर्गत मुगल कैनाल जो मेहुरा नदी से निकलती है, को गंडक नदी तक का शिल्ट(गाद)की उड़ाही करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, ये तो माननीय पुराने सदस्य हैं और इनको सब की बात सुननी चाहिए लेकिन ये अपनी बात कहकर निकलना चाहते हैं महोदय, इसी शर्त्त पर इनके संकल्प का हम जवाब देंगे महोदय कि ये अंतिम तक रहेंगे, नहीं तो आखिरी में इनका जवाब देंगे । मंजूर है न ?

उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुगल कैनाल सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अन्तर्गत मेहरा नदी से होकर गंडक नदी तक लगभग 5.75 कि0मी0 की लम्बाई में है । मुगल कैनाल में शिल्ट(गाद) जमा रहने के कारण जल की निकासी धीमी गति से होती है । सारण जिला को बाढ़ एवं जल जमाव समस्या से निजात दिलाने के लिए मे0 बैकस

कंसल्टेंट को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है ताकि इस जिले को जलजमाव की समस्या से मुक्त कराते हुए अधिशेष जल का उपयोग सिंचाई प्रक्षेत्र में किया जा सके । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहता हूॅ कि मैंने एक सरटेन एरिया के बारे में कहा हूॅ, इससे हमारा पूरा बाजार बह जाता है, पूरा इलाका दह जाता है जबकि ये पूरे सारण जिला का कह रहे हैं । मैंने मुगल कैनाल के बारे में कहा है कि मुगल कैनाल में गोला बाजार होते हुए गंडक नदी तक का शिल्ट, एक सरटेन एरिया का डिमांड है जिससे हमारा काफी क्षति होता है, इसको कराने का है इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि ये कर दें, पूरे सारण जिला में पूरा कराईए, इसके लिए धन्यवाद लेकिन इस इलाके का करा दीजिये, यह मेरा आग्रह है ।

उपाध्यक्ष: ठीक है, आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: और यह हो जाय तो बहुत अच्छा । मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूॅ लेकिन ये हमारा इलाका ज्यादा प्रभावित है । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री श्रीकांत यादव।

<u>क्रमांक 9 (श्री श्रीकांत यादव, स0वि0स0)</u>

श्री श्रीकांत यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सारण जिला के मांझी प्रखंड के अन्तर्गत मुबारकपुर पंचायत में रेवल ग्राम के पास दाहा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पहुंच पथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित पुल के धेजन ग्राम के तरफ है । इसके निर्माण हेतु डी0पी0आर0 राज्य योजना नाबार्ड के अन्तर्गत तैयार कर लिया गया है । पथ के आरेखन में आंशिक लम्बाई में रैयती जमीन पड़ती है जिसके लिए संबंधित रैयतों से सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । तदनुसार निधि की उपलब्धता के अनुसार समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्रीकांत यादव: मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी करवा दें, ध्यान दें । प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

क्रमांक-33 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0)

(अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

क्रमांक-34 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड में मुरहरा से बौध स्थल ग्राम धेजन को जोड़ने वाली निर्मित पुल से सम्पर्क पथ का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पहुंच पथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित पुल धेजन ग्राम की तरफ है । इसके निर्माण हेतु डी0पी0आर0 राज्य योजना अन्तर्गत तैयार कर लिया गया है । पथ के आरेखन में आंशिक लम्बाई के रैयती जमीन पड़ती है जिसके लिए संबंधित रैयतों से सहमति प्राप्त कर कार्रवाई की जायेगी । तदुनसार निधि की उपलब्धता के आधार पर समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 27 जनवरी से ग्रामीणों के द्वारा लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, हमको लगता है आधा कि0मी0, पौन कि0मी0 सड़क का मामला है महोदय, वह लम्बा सड़क है महोदय और सरकार की जो मंशा है कि दोनों रोड के बीच जो पुल छुटा हुआ है, वह हम बनायेंगे और पुल तो बन गया है महोदय लेकिन सरकार को उद्‌देश्य की पूर्त्ति नहीं हो रही है रोड के नहीं बनने के चलते महोदय, तो हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देकर उसको बनवा दें।

उपाध्यक्ष: ठीक है प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: प्रस्ताव वापस हुआ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

क्रमांक- 35(श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0)

श्री मनोज मंजिल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आरा-सासाराम रेलवे लाईन के दोहरीकरण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, आरा सासाराम रेलवे लाईन के दोहरीकरण कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

श्री मनोज मंजिल: उपाध्यक्ष महोदय, ये जो आरा-सासाराम रेलवे लाईन के दोहरीकरण की बात है तो इसमें शेरशाह सुरी का मकबरा, रोहतास गढ़ किला है, मंझरकुण्ड सासाराम, धुंआकुंड, मुंडेश्वरी धाम , ताराचंडी, चौरासनमंडी..

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है तो आप क्यों बोल रहे हैं ।

श्री मनोज मंजिल: इन्द्रपुरी बांध और टुटराही झरने भी अपने प्रकृति सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है और मुगल काल के दौरान का सब है । महोदय, मंत्री जी कबतक कर देंगे ?

उपाध्यक्ष: सकारात्मक जवाब दे दिये, प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया, उसके बाद भी बोल रहे हैं । सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । माननीय सदस्य, श्री अवधेश सिंह ।

टर्न-18/मधुप/29.03.2022

क्रमांक-36 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पहलेजा घाट सोनपुर से मुजफ्फरपुर गरीब स्थान मंदिर तक कच्ची कावरियाँ पथ का निर्माण करावे ।"

श्री नितीन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सामान्यत: राज्य उच्च पथ तथा एम0डी0आर0 पथ की सड़क/पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव की जाती है। कच्ची सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव के संदर्भ में मार्गरेखन, तकनीकी संभाव्यता एवं संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छे विभाग के अच्छे मंत्री हैं लेकिन शब्द जो इसमें है कि मार्गरेखन, तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता और प्राथमिकता, लाखों कावरियाँ एवं इसमें महिलाएँ भी जाती हैं गरीब स्थान मंदिर, मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि प्राथमिकता देते हुए इस सड़क का निर्माण करा दें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अवधेश सिंह : जी । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-37 : श्री अशोक कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-38 : श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0

श्रीमती अरूणा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला अंतर्गत पकरीवरावां पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करावे ।"

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका(संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के आलोक में नगर निकाय के लिए निर्धारित मानकों यथा नगर निकायों की कुल जनसंख्या, उसमें कास्तकार कर्मियों की संख्या, इत्यादि के आधार पर नये नगर निकाय के गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक 1713 दिनांक- 14.05.2020 द्वारा अनुरोध किया गया था । इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला के अपर समाहर्त्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक अथवा दो पदाधिकारियों की एक समिति द्वारा समीक्षा कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध भी जिला पदाधिकारी से किया गया था । उक्त आलोक में नगर पंचायत पकरीवरावां के गठन का प्रस्ताव अप्राप्त है ।

अतएव माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती अरूणा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो जिला पदाधिकारी से लिखवा कर दिये हैं, 40 हजार जनसंख्या है, उसके बाद पुलिस अनुमंडल है, सब कुछ रहते हुए वहाँ नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है । छोटा-छोटा जगह बन गया । हम जब भी जाते हैं तो पकरीवरावां की पब्लिक छेकती है और कहती है कि क्यों नहीं बना, क्यों नगर पंचायत नहीं बना ?

महोदय, पदाधिकारी से तो मंत्री जी का न है कि रिपोर्ट मँगवाइये और उसको नगर पंचायत का दर्जा देने का काम करें । जब नहीं यह करेंगे तबतक हम वापस नहीं लेंगे ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती अरूणा देवी : आप कह रहे हैं तो मैं आपकी सहमति से प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-39 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया एवं मानसी प्रखण्ड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़कों को 6-7 फीट ऊंचा कराकर निर्माण कराने की व्यवस्था करावे ।"

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हाई इम्बैकमेंट पथ का निर्माण कराने की स्थिति में पथ में बाढ़ से कटाव होने की संभावना बढ़ जायेगी अथवा एक तरफ जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जायेगी ।

ज्ञात हो कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कम यातायात घनत्व वाले पथों का निर्माण किया जाता है । हाई फ्लड लेवेल से ऊंचे पथ बनाने पर स्थायित्व के लिए पुल-पुलिया का समुचित प्रावधान करना आवश्यक होगा । फलत: राज्य की वित्तीय संसाधन को दृष्टिगोचर करते हुए ग्रामीण पथों का निर्माण लो इम्बैंकमेंट पर ही कराया जाता है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया विधान सभा क्षेत्र का जो बनावट है, गंडक रहीमपुर पुल से जब तीन पंचायत हमारे यहाँ आती है, दुर्गापुर, मथार दियरा इत्यादि में हर साल बाढ़ के कारण सड़कों में सरकार का पैसा ध्वस्त हो जाती है । करोड़ों का आर्थिक नुकसान होता है ।

माननीय मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं, उस बात में परिवर्तन करते हुए जहाँ-जहाँ तीन पंचायत रहीमपुर, रहीमपुर मध्य, दक्षिणी और मानसी प्रखंड के मटिहानी, जगनी मंडल टोला, ऐसा है सर, जहाँ ऊंचीकरण....

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी उसपर विचार करते हैं तो हर साल जो करोड़ों रूपया की लागत से सड़क बनती है, ध्वस्त हो जाता है, उसका बचाव भी होगा और बाढ़ आने के समय में मानव और पशु का आश्रय स्थल भी वह बन सकता है ।

इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि पुनः विचार करते हुए इन सड़कों को 6-7 फीट ऊंचा करने का विचार रखा जाय । इसी के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 40 : श्री विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूर्व से UGC से स्वीकृत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय पूर्व के नियम की भांति इसकी मान्यता बरकरार रखने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को जनवरी, 2020 से अद्यतन समय-समय पर नैक ग्रेड NIRF रैंकिंग में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को छूट प्रदान करते हुए नामांकन आरंभ करने से संबंधित अनुग्रह पत्र भेजा गया है ।

साथ-ही, विभाग द्वारा भी पत्रांक-243 दिनांक-08.3.2022 के माध्यम से सचिव, विश्विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मान्यता की अवधि बढ़ाने हेतु यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है । यह राज्य सरकार के राज्य के ग्रॉस इनरौलमेंट रेशियो को बढ़ाने का मामला बनता है । इसमें यू0जी0सी0 ने एक बार दिया था कि आप अगर नैक ग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दीजियेगा तो आपकी मान्यता बरकरार रखेगी लेकिन राज्य के जहाँ पर तीन विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस मोड की पढ़ाई होती है, तीनों ने अपने यहाँ नैक ग्रेडेशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया जिसका नतीजा हुआ कि आज राज्य में एक भी विश्वविद्यालय में डिस्टेंस मोड में मान्यता बरकरार नहीं है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : सर, इसको तो भेजना है । इसमें तो वापस करने की जरूरत नहीं है । इसको तो केन्द्र सरकार में भेजने की जरूरत है । प्रस्ताव भेजना है, सर ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह तो केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना है, इसमें वापस लेने का सवाल नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : चला भी गया है । 8 तारीख को भेज दिया गया है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-41 : श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री राकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड में ढेकवहा पंचायत में चुलहन विगहा गॉंव के समीप जलवार नदी में छिलका के निर्माण के साथ नदी के दोनों तरफ पईन की खुदाई करावे ।''

टर्न-19/आजाद/29.03.2022

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इस्लामपुर प्रखंड के ढेकवहा पंचायत में चुलहन विगहा गांव के समीप जलवार नदी में छिलका निर्माण एवं पईन का जीर्णोद्धार का कार्य अकबरपुर पंचलोहवा आहर पईन के जीर्णोद्धार कार्य में शामिल है । इसका डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है । योजना का रूपांकन कार्य प्रक्रियाधीन है । रूपांकन के पश्चात् योजना का तकनीकी स्वीकृति एवं निधि की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्य कराया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो छिलका है, जो बनना है, इससे तीन पंचायत काफी लाभान्वित होगा .....

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी काफी सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : और इन्होंने कहा है तो मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में कार्य को पूरा करा लिया जाय ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-42 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दिये जाने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष की पहली जून से 15 सितम्बर के बीच प्राप्त होने वाली ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में राज्यस्तरीय अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव हर एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार को भेजे जाते हैं । बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अजय कुमार सिंह : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कुछ समय बतलाया कि भेजा जाता है तो भेजने में क्या दिक्कत है, यह तो केन्द्र सरकार को भेजना है ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए, साल में भेजा जाता है तो अगले साल ।

श्री अजय कुमार सिंह : अभी तो समय है इसको भेजने का । अभी तो माननीय मंत्री ने कहा कि पहली जून से 15 सितम्बर तक भेजा जाता है । केन्द्र सरकार को भेजना है, अभी समय है तो सरकार आश्वासन दे न कि भेज देंगे ।

उपाध्यक्ष : देख लीजिए माननीय मंत्री जी, भारत सरकार को भेजना है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को बताया है कि प्रतिवर्ष पहली जून से 15 सितम्बर के बीच प्राप्त होने वाली ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में राज्यस्तरीय अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव हर एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार को भेजती है महोदय तो हमने बता दिया है और अभी ये अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, 1 जून तो आ ही रहा है तो इसको भेज दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43 : श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्धारित तीन करोड़ की राशि को बढ़ाकर पॉच करोड़ प्रतिवर्ष करावे ।''

यह जो प्रस्ताव मैं रखा हूँ, मेरी समझ से सारे सदन की सहमति होनी चाहिए और सरकार भी इसका जवाब उतने ही गंभीर तरीके से और सदस्यों के भावना के अनुरूप देगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : एक मिनट माननीय मंत्री जी, इसपर हम दो-चार शब्द बोलेंगे । अन्य लोगों को भी बोलने का मौका मिला है, इसलिए मुझको भी बोलने दिया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के कई छोटे-छोटे राज्यों में यह राशि 5 करोड़ रू0 दी जा रही है । हमलोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो काम के संबंध में जनता का बाढ़ आ जाता है कि यह कीजिए, वो कीजिए, ये गली कीजिए, वो नली कीजिए, फंलाना काम कीजिए । हुजूर, इसमें आपकी भी सहमति होनी चाहिए तो सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, देखिए सरकार का क्या जवाब आता है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आगे सरकार इस पर विचार जो माननीय सदस्य का अनुरोध है, उसको देखेगी लेकिन अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : सरकार का सकारात्मक जवाब है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : विश्वास है कि थोड़ा जल्दी विचार किया जायेगा । सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-44 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखण्ड मुख्यालय के आस-पास डिग्री कॉलेज स्थापित करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकार डिग्री महाविद्यालय

स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगिभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखण्ड के कहलगांव अनुमंडल के अन्तर्गत जहां पूर्व से अंगिभूत महाविद्यालय के रूप में एस0एस0वी0कॉलेज, कहलगांव संचालित है ।

अत: भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखण्ड मुख्यालय के आसपास डिग्री कॉलेज स्थापित करने का कोई योजना नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ललन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सुन लिया जाय । जिस एस0एस0वी0 कॉलेज की बात कर रहे हैं । एस0एस0वी0 कॉलेज की स्थापना 1956 में हुआ । 66 साल के बाद भी अभी तक अनुमंडल में एक भी दूसरी सरकारी कॉलेज स्थापित नहीं की गई और कहलगांव अनुमंडल में टोटल 74 पंचायत और दो नगर पंचायत है । सरकार हर पंचायत में प्लस टू विद्यालय खोल रही है । लगभग उस अनुमंडल में सात हजार, आठ हजार छात्र प्रतिवर्ष इन्टर पास करते हैं और उनकी नामांकन की कैपेसिटी लगभग मात्र 3000 है तो 5 हजार छात्र कहां जायेंगे ? हम निवेदन करते हैं सभा के माध्यम से, सदन के माध्यम से कि माननीय मंत्री जी विचार करें और पीरपैंती में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करें । पूरे राज्य की भी अब जरूरत है कि अब जब पंचायत स्तर पर प्लस टू प्रस्ताव आया है तो प्रखण्ड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना हो । हम चाहते हैं कि इसपर माननीय मंत्री आश्वासन दें, विश्वास दें कि सरकार आगे इस तरह की नीति लायेगी और प्रखण्ड स्तर पर डिग्री कॉलेज बनायेंगे । 66 साल के बाद भी अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना है .....

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री ललन कुमार : ठीक है, इस विश्वास के साथ कि प्रखण्ड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-123 : श्री नन्द किशोर यादव, स0वि0स0</u>

श्री नन्द किशोर यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में बड़े पैमाने पर रेडीमेड वस्त्र एवं गंजी बनाने के छोटे-छोटे कारखाने के विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है । सरकार इस उद्योग के विकास के लिए एक टेक्सटाइल नीति बनावे । ’’

महोदय, आप जानते हैं कि बिहार के अन्दर पहले बड़े पैमाने पर खासकर के मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंजी के कई कारखाना हुआ करते थे और रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण का भी बहुत सारे कारखाने राज्य के अन्दर थे और अभी जब कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में हमारे जो कारीगर थे, रेडीमेड वस्त्रों में काम करने वाले, वो भी बिहार आये हैं और उन सबके मन के अन्दर इस संबधं में यहां पर रेडीमेड हब बनाने की योजना है, लोग काम भी कर रहे हैं .....

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मुझे कार्य संचालन नियमावली में इस बात का अधिकार है कि इसपर मैं 5 मिनट बोल सकता हूँ, मैंने कार्य संचालन नियमावली पढ़ा है महोदय।

महोदय, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने इथेनॉल नीति बनायी, आप देख रहे हैं कि इथेनॉल के विकास के लिए कितने काम हो रहे हैं तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि राज्य के समृद्धि के लिए टेक्सटाइल नीति भी स्पष्ट रूप से बननी चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर फिर से यहां रेडीमेड वस्त्रों का उत्पादन हो सके, गंजी का उत्पादन हो सके और राज्य तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके ।

टर्न-20/शंभु/29.03.22

श्री शाहनवाज हुसैन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य नन्दकिशोर यादव जी का कहना सही है कि बहुत पहले सिटी के इलाके में वहीं पर गंजी बनियान सब बनता था और बड़ा कलस्टर हुआ करता था, लेकिन एक दौर बिहार में आया था जब वह सब चीज बंद करके लोग वहां से चले गये । अब बड़ी तायदाद में लोग आ रहे हैं और यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जो कोरोना काल में वर्कर आये थे उसमें 56 परसेंट देश में जो टेक्सटाइल के वर्कर हैं वे बिहार से आते हैं और टेक्सटाइल में अपार संभावनाएं हैं रोजगार की । इसलिए हमने इनको पॉजिटिव जवाब दिया है कि नयी टेक्सटाइल पौलिसी करीब-करीब बन गयी है, जल्द ही उसको कैबिनेट में लाने का प्रयास करेंगे और हमलोग इनकी मांग को सकारात्मक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं । इनसे अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नन्द किशोर यादव : धन्यवाद के साथ वापस ले लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ । जब सीरियल चल रहा था तो इतना आगे का कैसे आ गया ?

उपाध्यक्ष : उनको दूसरे सदन में जाना है ।

क्रमांक-45 : श्री मो0 इसराइल मंसूरी, स0वि0स0

श्री मो0 इसराइल मंसूरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कांटी प्रखंड के कलवाड़ी घाट से मुस्तफापुर में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री नितीन नवीन,मंत्री : महोदय, स्थानान्तरित है ।

उपाध्यक्ष : स्थानान्तरित है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, यह पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित है जल संसाधन से ।

उपाध्यक्ष : जल संसाधन से जवाब दे दीजिए ।

श्री मो0 इसराइल मंसूरी : महोदय, 2019-20 में आर0डब्लू0डी0 के माध्यम से प्रस्ताव आया हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग से, प्रस्ताव भी जिला से आया हुआ है ।

उपाध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं है अभी ?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, बताया गया कि पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित है । पथ निर्माण विभाग इस मामले को देखेगा । अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मो0 इसराइल मंसूरी : महोदय, दो प्रखंड को जोड़नेवाला यह पुल होगा और यह पुल बनने से 10 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 इसराइल मंसूरी : सरकार जो जवाब ही नहीं दी तो हम प्रस्ताव वापस कैसे लें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : वापस ले लीजिए, डिपार्टमेंट देखेगा ।

श्री मो0 इसराइल मंसूरी : ठीक है, वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-46 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार रौशन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत महुआ प्रखंड को रेलवे कनेक्टविटी से जोड़ने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे । ''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत महुआ प्रखंड को रेलवे कनेक्टविटी से जोड़ने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

क्रमांक-47 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-48 : श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार एवं भारत के प्रांतों में लगभग 6 करोड़ लोगों द्वारा बोली जानेवाली भाषा "मगही" एवं "अंगिका" को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, आगे इस मामले को देखा जायेगा फिलहाल अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इसको वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव तो सरकार को भेजा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष : आगे बोले न मंत्री जी कि देखेंगे, प्रस्ताव वापस लीजिएगा तभी न ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-49 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी में प्रखंड समस्तीपुर के नागरबस्ती और हकिमाबाद के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री नितीन नवीन, मंत्री : यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित हुआ है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तुरंत यह प्रस्ताव आया है इसलिए हम इसकी समीक्षा करवा लेते हैं । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अभी प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : उपाध्यक्ष महोदय, ये बराबर सचिवालय का- पहले इसमें हमें जो पेपर दिया गया है इसमें जल संसाधन विभाग दिया गया जब मैंने देखा तो मैंने सचिवालय को सूचित किया कि आपके सचिवालय से गलती हुआ है । यह पथ निर्माण विभाग बनाता है नदी पर पुल और उसके बावजूद पथ निर्माण का आपने कहा और फिर उन्होंने कहा ग्रामीण कार्य विभाग । पिछले बार भी जो मेरा गैर सरकारी संकल्प था उसमें भी इसी तरह की त्रुटि थी- पथ निर्माण का होना चाहिए था और वह दूसरे विभाग में चला गया था । मेरा जवाब तो कुछ भी आना चाहिए न ।

श्री नितीन नवीन,मंत्री : महोदय, इसको हम देखवा लेते हैं ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : यह समस्या हम बता देते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, चूंकि बूढ़ी गंडक नदी है और नदी बड़ी है तो पथ निर्माण विभाग के तरफ एक रोड इधर है, बहुत जाम भी वहां रहता है । इसको देखवा लिया जाय ।

श्री नितीन नवीन,मंत्री : जी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : बूढ़ी गंडक नदी पर एकमात्र पुल है जिसके वजह से पूरे शहर में जाम लगा रहता है । पथ निर्माण विभाग इसको देखवा ले ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, वापस ले लीजिए ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

## क्रमांक-50 : श्री विजय कुमार मंडल, स0वि0स0

श्री विजय कुमार मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के दावत प्रखंड के पंचायत जमसोना अन्तर्गत ग्राम अकोढ़ा और डमडीहा के बीच ठोरा नदी पर पुल बनावे ।''

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ पंचायत जमसोना अन्तर्गत ग्राम अकोढ़ा को एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ डुमरांव बिक्रमगंज रोड से अकोढ़ा भाया परसिया खुर्द पथ से एकल संपर्कता प्राप्त है । वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । अभिस्तावित पुल स्थल के दूसरे तरफ ग्राम डमडीहा को बक्सर कैनाल से डमडीहा पथ से संपर्कता प्राप्त है जिसकी मरम्मति बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत की गयी है । वर्तमान में पथ अनुरक्षण अवधि में है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को संपर्कता प्रदत्त है ।

अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 3 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में 6 कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है जो बक्सर जिला क्षेत्र में पड़ता है । अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों तरफ से रोड बना हुआ है और बीच में उस रोड का कोई महत्व ही नहीं है । पुल बन जायेगा तो एक तरफ एन0एच0-30 हो जायेगा और एक तरफ मुख्यालय हो जायेगा । इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि इसकी स्वीकृति किया जाय । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-21/पुलकित/29.03.2022

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज 139 गैर सरकारी संकल्प है । सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शार्ट कट में पूछे जिससे समय की बचत हो, वरना रात हो जायेगी । इसमें डिसकशन नहीं होना चाहिए क्योंकि बोलने के क्रम में बहुत डिसकशन हो जाता है जिसके कारण विलम्ब हो जाता है । माननीय सदस्य, श्री अली अशरफ सिद्‌दकी ।

क्रमांक- 51 : श्री अली अशरफ सिद्‌दकी, स0वि0स0

श्री अली अशरफ सिद्‌दकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर के शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ग्रीनफील्ड नीति के तहत भागलपुर से बड़े विमानों की सेवा प्रारम्भ किये जाने हेतु नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस हवाई अड्‌डे के रन-वे की लम्बाई 3200 फीट है जो व्यावसायिक उड़ाने के लिए अपर्याप्त है वैसे जो भारत सरकार की नयी पॉलिसी है आर0सी0एस0 उड़ान । उसके तहत इसकी बिडिंग की गई थी । फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में कोई बिडर, एविएशन कम्पनी वाले नहीं आये हैं । सरकार प्रयत्नशील है, सरकार कोशिश कर रही है । इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, हमारे भागलपुर के चारों तरफ काफी जमीन उपलब्ध है। अगर सरकार चाहे तो....

उपाध्यक्ष : सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : ठीक है, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 52 : श्री चेतन आनंद, स0वि0स0

श्री चेतन आनंद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सहरसा में रेलवे समपार सं0- 31 पर आर0ओ0बी0 निर्माण से सहरसा शहर के तीन मुख्य बाजार उजड़ने से त्रस्त व्यावसायियों एवं अन्य विस्थापितों को सहरसा शहर में जमीन अधिग्रहण कर विस्थापितों को पुनर्वासित करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, सहरसा के पत्रांक- 175, दिनांक- 17.02.2022 के द्वारा सहरसा पंचगछिया रेलवे स्टेशन के बीच बंगाली बाजार से पूरब बाजार के बीच समपार सं0- 31 स्पेशल क्लास पर आर0ओ0बी0 निर्माण भू-अर्जन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । उक्त प्रस्ताव में भू-अर्जन की अधियाचना में त्रुटियां पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा प्रस्ताव जिला भू-अर्जन कार्यालय सहरसा के पत्रांक- 384-2, दिनांक- 11.03.2022 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल सहरसा को वापस कर दिया गया है । आर0ओ0बी0 के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं की गयी है, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के पश्चात विस्थापितों को पुनर्वासित करने की दिशा में सरकारी प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, वहां पर तीन मुख्य बाजार है डी0बी0 रोड, धर्मशाला रोड और पूरब बाजार पड़ता है, जिसको पूरे तरीके से हटाया जा रहा है । जिससे पूरे शहर को समस्या...

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है । अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, पूरे शहर को समस्या होगी और तो और वहां के जो स्थानीय मंत्री है उनकी दूकान को छेड़ा भी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खास आक्रोश है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर फिर से सरकार सोचे और अगर हो सके तो उस पुल को कहीं और बनाया जाये ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत जी का गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को प्राधिकृत है ।

क्रमांक- 53 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत भेटौरा के अंतर्गत ग्राम-ईटाडीह-गोइनिया के सामने पैमार नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित बसावट ईटाडीह को शेष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्मित टनकुप्पा से सरैया से ईटाडीह जिसकी लम्बाई 4.539 किलोमीटर से तथा ग्राम गोइनिया को टनकुप्पा से गोइनिया पथ जिसकी लम्बाई 3.975 किलोमीटर से सम्पर्कता प्रदत्त है । प्रश्नगत नदी के दूसरी ओर देवचंद पिपरा अवस्थित है, जिसको पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्मित पथ एल0- 046 गिंजोई पथ से देवचंद पिपरा जिसकी लम्बाई 2.021 किलोमीटर से सम्पर्कता प्राप्त है । ईटाडीह एवं देवचंद पिपरा के बीच में कोई योग्य बसावट नहीं है ।

अत: विभाग द्वारा कोई पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अभिस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 3.5 किलोमीटर एवं डाऊन स्ट्रीम में 2.9 किलोमीटर पर पूर्व से पुल अवस्थित है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मतलब नदी के उस तरफ सात पंचायत के लोगों को प्रखण्ड मुख्यालय, थाना, अस्पताल जाना पड़ता है और नदी के दोनों तरफ पी0एम0जी0एस0वाई0 की रोड बनी हुई है । महोदय, पुल बनाना अत्यंत आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, सरकार संज्ञान में लें क्योंकि हम लोग तो सदन में पुल ही बनाने के लिए प्रस्ताव देते ही है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 54 : श्री दिलीप राय, स0वि0स0</u>

श्री दिलीप राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी अंतर्गत बथनाहा प्रखण्ड के बथनाहा हनुमान मंदिर से सुरसंड प्रखण्ड के करवाना कोरियाही तक पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल बथनाहा चौक हनुमान मंदिर से सुरसंड प्रखड के करवाना कोरियाही होते हुए एन0एच0-104 तक जाने वाली पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ पर अवस्थित है । जिसकी लम्बाई 2.9 किलोमीटर है । नेपाल से आई बाढ़ के कारण पथ में तीन पुल और एक बॉक्स कल्वर्ट क्षतिग्रस्त हुआ था । जिसका एम0डी0आर0 के अंतर्गत डाईवर्सन बनाकर यातायात चालू किया गया है । वर्तमान में यह पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । नई अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत पथ की मरम्मति एवं क्षतिग्रस्त पुल, पुलियों के स्थान पर नये पुलों के नव-निर्माण हेतु प्राकलन तैयार किया जा रहा है । तद्‌नुसार अग्रसर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री दिलीप राय : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 55 : श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0</u>

श्री अवध विहारी चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में सितम्बर 2005 के पहले नियुक्त कर्मियों की तरह सितम्बर, 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों को एन0पी0एस0 योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित नयी पेंशन योजना के सदृश्य ही राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-

1964, दिनांक- 31.08.2005 द्वारा दिनांक- 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नयी पेंशन योजना प्रणाली लागू की गई थी । एन0पी0एस0 योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अवध विहारी चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2005 के पूर्व जो पेंशन थी उससे कर्मियों को बहुत सहयोग मिलता था लेकिन सितम्बर, 2005 के बाद नयी पेंशन योजना जो लागू की गयी है इससे जो राज्य के कर्मी है उसको बहुत लाभ मिलने की, सहूलियत मिलने की उम्मीद नहीं लगती है । महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि पुरानी पेंशन योजना को राज्य हित में राज्य के कर्मियों के हित में लागू करने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भी जानने को मिला है कि इस देश के राजस्थान राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है । मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि राज्य सरकार 2005 के पहले की जो पेंशन योजना है उसको लागू करें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैं इस उम्मीद के साथ की हम जो प्रस्ताव लाये हैं उस पर राज्य सरकार जरूर विचार करेगी । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-22/अभिनीत/29.03.2022

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

<u>क्रमांक-56 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0</u>

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में ''एक राज्य एक सेवानिवृत्ति आयु'' की नीति गठित करते हुए चिकित्सक प्रोफेसर एवं राज्य सेविवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 1979, दिनांक- 29.06.2006 के द्वारा सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष निर्धारित है । राज्य सरकार राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की भांति दिनांक- 01.01.1996 से अपने सेवी वर्ग को केंद्रीय सेवा शर्तों एवं सुविधाएं देने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत है । समान्यत: बिहार सरकार केंद्र सरकार के अनुरूप ही केंद्रीय प्रावधानों को अपनी परिस्थिति एवं संसाधन के आधार पर अंगीकार करती है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार के डी0डी0ओ0 नम्बर 11012/1/2005 एम0ई0पी0आई0, दिनांक- 14.06.2010 के आलोक में केंद्रीय निर्णय को अंगीकृत करते हुए तत्समय अधिसूचना संख्या- 11637, दिनांक- 22.12.2011 के द्वारा स्वास्थ्य सेवा के शिक्षक चिकित्सकों की उम्र की सीमा 65 वर्ष बढ़ायी गयी थी । पुन: वर्ष 2016 में अधिसूचना सं0- 7181, दिनांक- 08.09.2016 के द्वारा इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाकर 67 तक की गयी थी । ज्ञात हो कि चिकित्सकों एवं चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता में कमी एवं उनके द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी उम्र सीमा बढ़ाई गयी थी । केंद्र सरकार के अधीन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से अधिक किये जाने संबंधी निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं है ।

अत: माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपने संकल्प को वापस लें ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है वह समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है । सदन अवगत है कि बिहार में राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है जबकि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है और चिकित्सकों की 67 वर्ष है । अत: सरकार जो भी निर्धारित करना चाहती है करे लेकिन सबमें एकरूपता रहे ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री जितेन्द्र कुमार राय । माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्र यादव प्राधिकृत हैं ।

क्रमांक-57 : श्री जितेन्द्र कुमार राय, स0वि0स0

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुरी के महान विभूति स्व0 भिखारी ठाकुर जी के नाम पर सारण जिला में एक कला एवं संगीत महाविद्यालय की स्थापना करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुरी के महान विभूति स्व0 भिखारी ठाकुर जी के नाम पर सारण जिले में कला एवं संगीत महाविद्यालय खोलने की कोई योजना तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : सरकार विचार रखती है या नहीं ?

उपाध्यक्ष : संकल्प वापस ले लीजिए ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : मेरा आग्रह है सरकार से ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, तत्काल विचाराधीन नहीं है । हमलोग भिखारी ठाकुर जी के नाम पर वहां पर कई काम कर रहे हैं । बिहार कला पुरस्कार अंतर्गत प्रदत्त कला के क्षेत्र में रंगमंच हेतु स्थापित एवं नवोदित कलाकारों को भिखारी ठाकुर पुरस्कार प्रदान किया जाता है । भिखारी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन जिला प्रशासन, सारण के माध्यम से कराया जाता है जिसके लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है । जब राज्य में कला एवं संगीत महाविद्यालय की स्थापना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किया जायेगा तब निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, अब अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा ।

क्रमांक-58 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर शहर के अंतर्गत भोलानाथ पुल पर आर0ओ0बी0 निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, प्रश्नगत आर0ओ0बी0 योजना 117 करोड़ की योजना स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा : निर्माणाधीन है, कब तक करेंगे यह तो आप बता दें । छ: साल से यही बात मैं सुन रहा हूं इस सदन में ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : सर, वापस तो लेंगे लेकिन ये तो बता दें कि कब तक इसकी निविदा करके कार्य शुरू करायेंगे । यह तो मंत्री महोदय बता दें । यह बता दें तो मैं अपना संकल्प वापस ले लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें उतना क्वैश्चन, उत्तर नहीं होता है न, जल्दी कीजिए, वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर ।

क्रमांक-59 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

श्री राणा रणधीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल में नवादा पंचायत के शेखपुरवा चौक पर पुलिस टी0ओ0पी0 का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, थाना से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, इसलिए टी0ई0पी0 निर्माण की अभी कोई प्रक्रिया नहीं है । आगे जब होगा तो देखा जायेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस ले लूंगा लेकिन सरकार के संज्ञान में देना चाहता हूं कि लगातार वहां मांग होती रही है और यह जो चौक है वह तीन विधान सभाओं का एक तरह से जंक्शन है, मधुबन, चिरैया, ढ़ाका, तो वहां लगातार मांग होती है, यह सरकार के ध्यान में रहे इसी आश्वासन के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

<u>क्रमांक-60 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0</u>

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अंतर्गत प्रखंड आलमनगर के अधीन मुख्य कोशी नदी में कपसिया घाट के पास पीपा पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलांतर्गत आलमनगर प्रखंड के अधीन मुख्य कोशी नदी में कपसिया घाट के पास पीपा पुल निर्माण पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री सुधांशु शेखर ।

क्रमांक-61 : श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत के अकरहर घाट गांव में धौस-यमुनी-सिमरा नदी के संगम तट पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित अकरहर बस्ती को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत पथ टी0-03 से अकरहर घाट से संपर्कता प्राप्त है । दूसरी तरफ अवस्थित ग्राम ब्रह्मपुरी को एम0एन0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ जानकीनगर से ब्रह्मपुरी से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में एक किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है, पुल स्थल के अप स्ट्रीम में नेपाल की सीमा पड़ती है । प्रश्नाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन में नहीं रहने एवं दोहरी संपर्कता का मामला रहने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सुधांशु शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी जो पुल, भारत और नेपाल की सीमा है और पहले से भी वहां पुल बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है । मैं उसी पुल को चाहता हूं कि वहां एक नया पुल बन जाये ताकि आने-जाने में लोगों को कठिनाई नहीं हो । मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह इसका विचार रखें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री सुधांशु शेखर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री रामविलास कामत ।

क्रमांक-62 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिलांतर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत बौराहा के ग्राम सोनवर्षा एवं ग्राम बैंगा के विस्थापित परिवारों को 05-05 डी0 सरकारी जमीन मुहैया कराकर एन0एच0-57 के उत्तर बसाने का कार्य करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर हो गया है ।

टर्न-23/हेमन्त/29.03.2022

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री रामविलास कामत : हमारा क्वेश्चन जो ट्रांस्फर हुआ है उसका जवाब कब मिलेगा ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब मिल जायेगा ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रामविलास कामत : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-63 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

श्री मिथिलेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी स्थित मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज L/C 56 का कार्य करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी रेलवे ओवर ब्रिज L/C 56 के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया में है । निविदा होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं कि अब कम-से-कम मिथिला क्षेत्र के पांच जिला से संबंधित उस ओवर ब्रिज के कारण सैंकड़ों मांगें सिंदूर के बिना सूनी नहीं होंगी, सैंकड़ों बहनों की राखी की सजी हुई थाली इंतजार नहीं करेंगी । मैं धन्यवाद देता हूं पथ निर्माण मंत्री जी को कि निविदा की प्रक्रिया यथाशीघ्र कराकर कार्य को धरातल पर उतारने की महती कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

क्रमांक-64 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-65 : श्री कृष्णनंदन पासवान, स0वि0स0

श्री कृष्णनंदन पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड के कृतपुर पंचायत, वार्ड सं0-13, चड़रहिया तकिया से भाया गड्डूपुर स्कूल, उपाध्याय टोला होते हुए मेन कैनाल तक सड़क निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 2.4 किलोमीटर है । पथ का सर्वेक्षण छूटे हुए बसावट के अंतर्गत सिविल डार से आर0डब्लू0डी0 पथ कृतपुर मेन कैनाल से उपाध्याय टोला गुड्डूपुर स्कूल होते हुए तकिया टोला के नाम से मोबाइल एप से सर्वे किया गया है जिसका सर्वे आई0डी0 26400 है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कि जनहित में यह सड़क अति महत्वपूर्ण है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-66 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखण्ड कार्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण कर भवन का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखण्ड से अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन एवं परिसर विकास के लिए 4.64 एकड़ भूमि अर्जन पुनर्वास उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के तहत कुल 2 करोड़ 92 लाख 53 हजार 158 रुपये मात्र की लागत व्यय पर भू-अर्जन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त के आलोक में जिलास्तर पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के भवन निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : मैंने संकल्प भी दिया है और प्रश्न भी किया है । उपाध्यक्ष महोदय, पैसा करीबन जो दो करोड़ कुछ रुपया है करीबन पांच से पड़ा हुआ है । वहां के पदाधिकारीगण काम ही नहीं करना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध है कि भूमि का अधिग्रहण करा दिया जाय । मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-67 : श्री आनंद शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री आनंद शंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहटा-औरंगाबाद रेल लाईन को सूर्य नगरी देव तक विस्तारित करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, बिहटा-औरंगाबाद रेल लाईन को सूर्य नगरी देव तक विस्तारित कराये जाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, सिफारिश करे, इसके लिए धन्यवाद । महोदय, मेरा यह कहना है कि देव पर्यटन स्थल है और सूर्य नगरी है..

उपाध्यक्ष : स्वीकृत हो गया न इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों का निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है, यदि सदन की सहमति हो तो ।

(सदन की सहमति हुई)

क्रमांक-68 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद चौक से कचहरी रोड भाया काली स्थान से हेमरा चौक तक फ्लाई ओवर का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी समहर्ता प्राप्त कर समस्योपरांत विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : सकारात्मक है, वापस ले लीजिए ।

श्री कुंदन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह अति महत्वपूर्ण सड़क है, तो इन्होंने कहा है कि विचार करेंगे । इसी विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री जी इसको अविलंब कराने का काम करेंगे । मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-69 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

श्रीमती निशा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर महानंदा नदी के पश्चिमी छोर पर अवस्थित महानंदा बांध पर गूठेली चौक से प्राणपुर के रोसना बांध तक पक्की सड़क का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत सड़क ग्राम झौआ से ग्राम गुठेली लावा होते हुए रोसना तक जाती है, जो महानंदा नदी का दायां तटबंध है । यह सड़क प्रखण्ड कदवा, आजमनगर, प्राणपुर तथा अमदाबाद के क्षेत्र में पड़ती है । झौआ से लावा तक लम्बाई 27.77 किलोमीटर सोलिंग का कार्य किया हुआ है । लावा से रोसना तक लम्बाई 3.5 किलोमीटर कच्ची सड़क है । वर्तमान में तटबंध पर बांध की स्थिति अच्छी है एवं मोटरेबल है । उक्त तटबंध पर सड़क निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है । तो विभाग को अनापत्ति पत्र दिया जा सकता है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती निशा सिंह : थोड़ा इस सड़क को जल्दी बना दिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-70 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

श्री विनय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरारू से लेकर झारखण्ड राज्य के डायलटेनगंज तक रेल मार्ग निर्माण हेतु केंद्र से सिफारिश करे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरारू से लेकर झारखण्ड राज्य के डालटेनगंज तक रेल मार्ग कराये जाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगा ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-24/धिरेन्द्र/29.03.2022

क्रमांक-71 : श्री सुनील मणि तिवारी, स॰वि॰स॰

श्री सुनील मणि तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मोतिहारी जिला के चम्पारण तटबंध पर जर्जर ईंट सोलिंग की जगह संग्रामपुर प्रखण्ड के मंगलापुर ढाला से पहाड़पुर प्रखण्ड के भरवलिया टोला तक कालीकरण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मोतिहारी जिला अन्तर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड के मंगलापुर ढाला से पहाड़पुर प्रखण्ड के भरवलिया टोला तक पश्चिमी चम्पारण तटबंध के 66.00 किलोमीटर से 132.80 किलोमीटर तटबंध के शीर्ष पर ईंट सोलिंग किया हुआ है जो कतिपय स्थलों पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु वर्तमान में तटबंध मोटरेबल है । चम्पारण तटबंध के 66.00 किलोमीटर से 132.80 किलोमीटर के बीच में तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य हेतु योजना राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा एजेंडा संख्या-171/18, वर्ष 2020-21 के तहत अनुशंसित है । उक्त योजना के तकनीकी, आर्थिक अप्रेजल हेतु प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार को समर्पित है । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निधि की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुनील मणि तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं लेकिन उनसे आग्रह करते हैं कि भारत सरकार को पुन: एक चिट्ठी लिखी जाय चूंकि यह दो वर्ष

पहले भेजी गयी है । अगर बन जायेगा तो बहुत अच्छा होगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-72 : श्री बच्चा पाण्डेय, स॰वि॰स॰</u>

श्री बच्चा पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिला अंतर्गत बड़हरिया प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करावे।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी सरकार की नीति पहले अनुमंडल मुख्यालयों में खोलने की है । यह पहले हो जाता है, बड़हरिया तो प्रखंड है अगले चरण में विचार किया जायेगा । अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री बच्चा पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 में वहां डिग्री कॉलेज स्थापित था । इसी सरकार में उसको बंद कर दिया गया है, आज भी वह बंद की स्थिति में है । वहां छात्र-छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ती है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, वापस ले लीजिये ।

श्री बच्चा पाण्डेय : जी, महोदय । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-73 : श्री ललित कुमार यादव, स॰वि॰स॰</u>

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के सदर प्रखण्ड के छोटाईपट्टी पंचायत के ग्राम बलिया नवटोली के पास पुरानी कमला नदी पर स्लूईस गेट का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखण्ड के छोटाईपट्टी पंचायत के ग्राम बलिया नवटोली के पास नदी के दोनों तरफ तटबंध निर्मित है । वर्तमान में पुरानी कमला नदी में जल स्राव नहीं है । तटबंध के पूर्वी भाग का पानी वर्षा ऋतु के बाद धीरे-धीरे ग्रामीण सड़क पर निर्मित पुलिया से स्वत: निकल जाता है । तटबंध के पश्चिम भाग में बांध से सटे लगभग 50-60 मीटर चौड़े एवं लगभग 300-350 मीटर लम्बाई में पूर्व से मानव निर्मित गड्ढा है जो मिट्टी का उपयोग में लाने के क्रम में बना है । वर्तमान में इस गड्ढे में 1.5 से 2 फीट पानी जमा है एवं उसके बगल में काफी बड़े हिस्से में गेहूँ की फसल लगी है । नदी की तल उक्त गड्ढे की तल से ऊँची है । प्रश्नगत स्थल पर स्लूईस गेट का निर्माण होने पर भी इस गड्ढे से पानी निकलने में कठिनाई होगी । विभागीय पत्रांक-1241, दिनांक-27.03.2022 द्वारा मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अत: माननीय सदस्य इसे वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ललित कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है । माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-74 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स॰वि॰स॰

श्री कुमार शैलेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत बीहपुर विधान सभा के बीहपुर प्रखण्ड के बीहपुर मध्य पंचायत के वार्ड संख्या- 4, 6 एवं 9 में सात निश्चय के तहत नल-जल के अधूरे कार्य को पूर्ण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-611, दिनांक-27.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जाँच के क्रम में पाया गया है कि ग्राम पंचायत बीहपुर मध्य के वार्ड संख्या-4 में लगभग 100 घरों में पानी चालू है, शेष

घरों में जलापूर्ति हेतु पाईपलाईन का कार्य किया जा रहा है । शीघ्र जलापूर्ति बहाल कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया है । वार्ड संख्या-6 में नल-जल कार्य चालू है शीघ्र नल-जल की योजना को पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति बहाल कराये जाने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया है । वार्ड संख्या-9 में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त रहने के कारण जलापूर्ति बाधित है । शीघ्र आवश्यक मरम्मति कर जलापूर्ति बहाल कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया है ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिये, सकारात्मक जवाब है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वकांक्षी कार्य योजना है । यह जो रिपोर्ट आयी है महोदय, इसमें सब का पैसा उठ गया है । यह जो दिखाया गया है कि क्षतिग्रस्त है उसमें मेरा यही कहना है कि सारा पैसा पूर्व की जो एजेंसी है उन्होंने उठा लिया है तो महोदय इसकी जाँच करवा लें । अगर जाँच हो जाती है तो मैं इसके सापेक्ष में...

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है लेकिन उसकी जाँच करवा दें । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-75 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स॰वि॰स॰</u>

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, केन्द्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी कोई नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का विचार नहीं है । इसलिए फिलहाल हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रकवि दिनकर विश्व के ख्याती प्राप्त साहित्यकार और राष्ट्रकवि थे । उनकी विरासत और हिन्दी साहित्य से छात्रों को ....

उपाध्यक्ष : ठीक है, वापस ले लीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, और ज्यादा जोड़ने के लिए बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग बेगूसराय की जनसभा से जुड़ी हुई है । महोदय, उद्योग और साहित्य के क्षेत्र में देश और राज्य के अंदर बेगूसराय का....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, दर्जनों निजी कारखानों का भरमार है, मगर बेगूसराय के छात्रों को बेगूसराय में ही अच्छी पढ़ाई और उच्च शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । अब बैठ जाइये, आपका हो गया ।

क्रमांक-76 : श्री विजय कुमार खेमका, स॰वि॰स॰

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया पूर्व प्रखण्ड अंतर्गत महाराजपुर पंचायत के बिसरूपा घाट पर RCC पुल का निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट महाराजपुर की संपर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित बांस बाड़ी चौक से बिसरूपा घाट तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट गोसांइपुर की संपर्कता शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित दरियापुर से बिसरूपा घाट तक पथ से प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 3.5 किलोमीटर एवं डाउनस्ट्रीम में 4.0 किलोमीटर में पूर्व से पुल निर्मित है । विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल

स्थल के दोनों तरफ के बसावट को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अभिस्तावित पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-25/संगीता/29.03.2022

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह है कि हमने घाट पर आर0सी0सी0 पुल के निर्माण की मांग की है और दोनों ओर से जो रास्ता है और यह बड़ा महत्वपूर्ण बिसरूपा घाट है...

उपाध्यक्ष : ठीक है, सरकार के संज्ञान में आ गया है, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ मैं आग्रह करना चाहूंगा मंत्री जी से कि ये दो विधानसभा को जोड़ता है बायसी विधानसभा और...

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री विजय कुमार खेमका : आग्रह करते हुए मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

<u>क्रमांक-77 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0</u>

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखण्ड के धनगढ़ा पंचायत के गोरूमारा घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल तुलसिया से बी0बी0गंज पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ सह पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अंतर्गत तैयार कर अनुमोदन हेतु एस0टी0ए0 के यहां समर्पित है । एस0टी0ए0 के अनुमोदनोपरांत प्राक्कलन एन0आर0डी0आई0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित की जाएगी । तद्नुसार अग्रेतर

कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : इसको अविलंब कराया जाय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-78 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-79 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव, प्राधिकृत हैं श्री संजय कुमार गुप्ता ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखण्ड बाजपट्टी में एक स्टेडियम का निर्माण जनहित में करावे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम के निर्माण का लक्ष्य है । सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के आदर्श उच्च विद्यालय बाचोपट्टी में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 239 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल सीतामढ़ी का पत्रांक 1984 दिनांक 30.12.2020 द्वारा भवन निर्माण विभाग को जानकारी दी गई कि वास्तुविदीय नक्शा के अनुसार स्थल कम है । उक्त प्रखंड में स्वीकृत स्टेडियम के स्थान पर किसी अन्य स्थल का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से विभागीय पत्रांक 1020 दिनांक 22.07.2021 एवं पत्रांक 99 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा मांग की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर

स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत है कि हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनायेंगे । 2008 की योजना अभी तक चल रही है...

उपाध्यक्ष : सरकार तो बोल ही रही है कि स्वीकृति का आदेश दे दिए हैं...

श्री संजय कुमार गुप्ता : नहीं, नहीं मंत्री जी से आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि...

उपाध्यक्ष : जमीन उपलब्ध होने के बाद न । प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत चनपटिया में बंद चीनी मिल के जमीन में इथेनॉल प्लांट लगावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत चनपटिया चीनी मिल भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोशन, बी0आई0सी0 ग्रुप की एक इकाई है । वर्ष 1994 में यह इकाई रूग्न होकर बंद है । औद्योगिक एवं पुन: निर्माण बोर्ड बियाडा के सिफारिश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस इकाई के परिसमापन का आदेश निर्गत किया । नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोलीदार द्वारा चनपटिया चीनी मिल को खरीदा गया । बोली की सिफारिश जमा नहीं करने के कारण नीलामी निरस्त कर दी गई । वर्तमान में इस इकाई का मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित है और माननीय सदस्य स्वयं इससे अवगत हैं और इस संदर्भ में महोदय जिला समाहर्ता को भी पत्र भेजा गया है तो माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, मेरा सवाल है कि बियाडा के जमीन पर इथेनॉल प्लांट लगाया जाय तो यह मामला गन्ना विभाग में कैसे चला गया ? मेरा चनपटिया चीनी मिल बियाडा का

जमीन जो 400 एकड़ है उस पर उद्योग विभाग से इथेनॉल प्लांट लगाया जाय तो चीनी मिल कैसे लगाएगा उस पर, वह तो बीमारू है ही तो यह चला गया गन्ना उद्योग विभाग में हम मांग रहे हैं उद्योग विभाग से तो चला गया गन्ना उद्योग विभाग में सवाल मेरा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, हम तो वापस ले ही रहे हैं, प्रस्ताव वापस लेना ही पड़ेगा लेकिन मेरे सवाल का जवाब ही गलत मिल रहा है । मेरा सवाल ही है उद्योग विभाग से तो चला गया गन्ना उद्योग में ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, हमने कहा है कि बियाडा का जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं कि बियाडा कितना है, चीनी मिल कितना है...

श्री उमाकांत सिंह : नहीं, नहीं 400...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : तो इस संदर्भ में हम सदन के माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लें और फिर जिलाधिकारी के रिपोर्ट के बाद बियाडा से भी...

श्री उमाकांत सिंह : ठीक है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

### क्रमांक-81 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधानसभा के मझुआ पंचायत के परमान नदी के खमकौल घाट पर रमैय पंचायत के परमान नदी के डहरा घाट पर मटियारी पंचायत के परमान नदी के मारिया धार पर पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न तीन पुलों के निर्माण से संबंधित है । पहला, मझुआ पंचायत में परमान नदी पर खमकौल घाट पर पुल का निर्माण, उक्त पुल स्थल शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित भदेश्वर से असुरी पथ के आरेखन पर अवस्थित है । रमैय पंचायत में परमान नदी के डहरा घाट पर पुल, उक्त

पुल स्थल शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित घोड़ाघाट से चिकनीपथ के आरेखन पर अवस्थित है । मटियारी पंचायत के परमान नदी के मारिया धार पर पुल का निर्माण, उक्त पुल कोठी हाट चौक से किसान चौक के पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त तीनों पुलों के निर्माण हेतु टेक्नो फिजिविलिटी रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक अभियंता से मांग की गई है । तत्पश्चात तकनीकी समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दो महत्वपूर्ण पुल जो है जो मझुआ पंचायत का खमकौल घाट पर का पुल और रमैय पंचायत का डहरा घाट पर का पुल इसका हम 7 साल से डिमांड कर रहे हैं और चचरी के पुल के सहारे लोग आर-पार करते हैं, कई एक बार दुर्घटना उस जगह पर घटी है...

उपाध्यक्ष : ठीक है । अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि कम से कम ये दो पुल ऐसा महत्वपूर्ण पुल जिसको पी0एम0जी0एस0वाई0 से, जिसका डी0पी0आर0 समर्पित है उसको कम से कम जल्दी से निराकरण करा दें और साथ में जो मटियारी पंचायत का मारिया धार में जो पुल का निर्माण होना है वह पूरी तरह से...

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है । दो विधानसभा से लाखों लोगों का परिगमन होता है उस जगह पर, आवागमन बाधित है इसलिए माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि कम से कम मारिया धार पर पुल का जल्द से जल्द निर्माण करा दें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-82 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0

श्रीमती रश्मि वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सनहौला प्रखण्ड के ग्राम पंचायत तेलौंधा स्थित मौजा तेलौंधा में बिहार सरकार की जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

टर्न-26/सुरज/29.03.2022

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-1521609, दिनांक-26.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, सनहौला द्वारा ग्राम पंचायत तेलौंधा में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु मौजा थाना नंबर-251, खेसरा नंबर-799, रकवा-50 डि0 का प्रस्ताव समर्पित किया गया था । जिलास्तरीय योजना अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि का किस्म सड़क होने के कारण अन्य भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है । साथ ही क्लस्टर सं0-18, जिसमें ग्राम पंचायत घोआवे पड़ता है । ग्राम पंचायत घोआवे में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है । उपयुक्त भूमि मिलने पर नियमानुसार पंचायत सरकार भवन के निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 में मुखिया द्वारा ग्राम तेलौंधा स्थित गैरमजरूआ खास खाता नंबर-2048, खेसरा नंबर-717 बिहार सरकार की जमीन पर पंचायती भवन बनाने के लिये जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था...

श्री नितिन नवीन, मंत्री : मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83 : श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री राज कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31, NH-28 और NH-80 को प्रस्तावित मटीहानी सामहो पुल एवं गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर एक फोरलेन बाईपास पथ का निर्माण करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गंगा नदी के बाढ़ से बचाव के लिये उत्तरी किनारे पर जल संसाधन विभाग का गुप्ता लखमीनिया तट है जो NH-31 के चकिया बी0टी0पी0एस0 से प्रारंभ होकर विभाग के मुंगेर घाट रशीदपुर पथ के 22वें किलोमीटर NH-31 के बलिया के निकट मिलता है । जल संसाधन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर पथ निर्माण विभाग द्वारा गुप्ता लखमीनिया बांध का 35वां किलोमीटर लंबाई में एकल लेन 3.75 मीटर की चौड़ाई पथ का मजबूतीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसे नवम्बर, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । विषयांकित पथांश में चार लेन चौड़ीकरण का संभवत: आर0ओ0डब्लू0 की अनुपलब्धता के कारण करना संभव नहीं हो पा रहा है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राज कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसका फोर लेन कर दिया जाता है, इसका चौड़ीकरण तो तीन तरह के फायदे होंगे । एक तो यह होगा कि एक जो वहां की बाढ़ प्रभावित जितनी बड़ी जनता है उसके लिये अतिरिक्त जीवन रेखा का निर्माण करेगी क्योंकि इसके इर्द-गिर्द आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और स्वरोजगार के अवसर होंगे । दूसरा, बेगूसराय जिले का जाम से स्थायी निराकरण हो जायेगा और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र बरौनी जो है उसको भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी कटाव से इसलिये माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन है कि इस पर विचार करके आगे भारत सरकार को भेजें । मैं मंत्री महोदय के आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-84 : श्री जितेंद्र कुमार, स0वि0स0</u>

श्री जितेंद्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान सभा के मा0 सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के चिकित्सा हेतु कैशलेश कार्ड की व्यवस्था करावे ।''

महोदय, यह सभी माननीय सदस्यों की बात है ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को सरकारी, गैर सरकारी निजी अस्पतालों में कराये गये ईलाज की चिकित्सा आपूर्ति की सुविधा अनुमान्य है । कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित मामला विचाराधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी महसूस करते होंगे और सारे माननीय सदस्य भी महसूस करते होंगे कि कितनी जटिल प्रक्रिया है और एक साल, दो साल लगता है तो प्रतिपूर्ति का भुगतान होता है । हम तो चाहेंगे कि सारे माननीय सदस्यों की समस्याओं को देखते हुये और जो जटिल प्रक्रिया है उसको समाप्त करने के लिये जल्द से जल्द यथाशीघ्र कैशलेश कार्ड की व्यवस्था कराने का विचार करें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जितेंद्र कुमार : यह सबके हित की बात है महोदय, सबके लिये है । आप भी महोदय आसन पर हैं और जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं और जो पूर्व सदस्य हैं जितने भी सदस्य हैं सबके लिये है । बहुत मुश्किल होता है...

उपाध्यक्ष : ठीक है वापस लीजिये ।

श्री जितेंद्र कुमार : इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के अमरातालाब नहौना भाया बभनपुरवा पथ का निर्माण नाबार्ड योजना से पूर्ण करावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत पथ को अगले वित्तीय वर्ष में संसाधन की उपलब्धता के आधार पर हमलोग कराने का प्रयास करेंगे ।

अत: माननीय सदस्य से प्रस्ताव लेने का आग्रह करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-86 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0

श्री सुरेन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखण्ड अंतर्गत मंसूरचक से भगवानपुर मालती पिपरा पथ का चौड़ीकरण करावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मंसूरचक मालती पिपरा पथांश दलसिंह सराय मालती पथ का भाग है । इस पथ की लंबाई 36 किलोमीटर है जिसमें 17 किलोमीटर का पथांश 5.5 मीटर चौड़ा है और 19 किलोमीटर का पथांश 3. 5 मीटर चौड़ा है ओ0पी0एम0आर0सी के अन्तर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है । आगामी वित्तीय वर्ष में संसाधन की उपलब्धता के आधार पर इसके चौड़ीकरण करने का विचार होगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, बेगूसराय और समस्तीपुर से दोनों सड़क का जुड़ाव है इसका । समस्तीपुर जिला का जितना भाग था उसका चौड़ीकरण हो गया और उधर से तेघरा प्रखंड का जो हिस्सा पड़ता है उसका भी चौड़ीकरण हो गया, बीच में मंसूरचक का भाग बाकी है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे इसको जल्द से जल्द निर्माण करावे ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-87 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-88 : श्री शकील अहमद खां, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : श्री राजेश कुमार जी प्राधिकृत हैं ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के मीनापुर तथा झौया में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण करावे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड मीनापुर तथा झौया में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB के निर्माण हेतु पथ प्रमंडल कटिहार से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह रोड जो है दोनों रेलवे क्रॉसिंग को कनेक्ट करता है और ट्रैफिक का बहुत अधिक भार है इसलिये सरकार से आग्रह करते हैं कि शीघ्र इसका प्रस्ताव भेजे, इसी के साथ मैं यह संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

श्री छोटे लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड दरियापुर के ग्राम-ककरहट से मलाही तक माही नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट ककरहट को शीर्ष 3054 अंतर्गत निर्मित दरियापुर डिरली पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के दूसरे तरफ के बसावट ग्राम मलाही को जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित NH-90 सुमेरा पट्टी से लोहछा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम में साढ़े तीन किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर में पूर्व से पूल निर्मित है।

...क्रमशः...

टर्न-27/राहुल/29.03.2022

श्री जयंत राज, मंत्री (क्रमशः) : संप्रति राज्य की सभी बसावटों को एकल संपर्कता प्रदान की जानी है । पुल स्थल के दोनों तरफ की बसावटों को भिन्न-भिन्न पथों से एकल संपर्कता प्रदत्त है । अत: अभिस्तावित पुल का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री छोटे लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, आग्रह किया गया है कि इसको बनवा दिया जाय । एक गांव से ही क्या, उसमें अनेकों गांव हैं, वह नदी के बीच के पार का गांव है माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उस गांव को पुल से जुड़वाने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव । क्रमांक-22 पर छूट गया था इनको हॉस्पिटल जाना है ।

क्रमांक-22 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मनोज कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय कोटवा के जर्जर भवन को निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि कोटवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी कोटवा को निर्देशित किया गया है । भूमि उपलब्ध होने

के उपरांत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मनोज कुमार यादव : मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जमीन का प्रस्ताव चला गया, जल्दी से जल्दी करवा दिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-90 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0</u>

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत सदर प्रखण्ड छपरा में बिनगाव ढाल (वीर कुवर सिंह सेतु) से महाजी वीन टोली तक 04 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे ।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र हमारी विधान सभा की अकेली पंचायत है जो गंगा के उस पार है...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन बिनगाव ढाल (वीर कुवर सिंह सेतु) से महाजी वीन टोली तक पथ के दो पथांश हैं । बिनगाव ढाल (वीर कुवर सिंह सेतु) से सूरतपुर तक पथ- इस पथ की लंबाई 900 मीटर है जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के अधीन है एवं कार्य प्रगति पर है इसे मई, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । सूरतपुर से महाजी वीन टोली तक पथ- इस पथ की लंबाई 5.6 किलोमीटर है । उक्त पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत स्वीकृत सूरतपुर एकोना पथ, लंबाई 8.764 किलोमीटर तक पथांश है । पथ के असर्वेक्षित टोपो लैंड मोजा में होने एवं भूमि विवाद के कारण पथ निर्माण कार्य बाधित हुआ है जिसके कारण असर्वेक्षित भूमि टोपो लैंड के भूमि विवाद का निराकरण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नियोजित राजस्व पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन, छपरा के सहयोग से एवं स्थानीय ग्रामीणों से विचार-विमर्श कर ग्राम महाजी वीन टोली तक 5.6 किलोमीटर लंबाई में पथ निर्माण हेतु कार्य कर लिया गया है, पथ निर्माण हेतु बचे हुए कार्यों का पुनर्रीक्षण प्राक्कलन प्राप्त

हुआ है जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-91 : श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के मेहसी प्रखण्ड के मेहसी प्रखण्ड मुख्यालय में बस अड्डा की सुविधा प्रदान करावे ।

श्री जीवेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास, मेहसी, पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत सरकारी बस स्टैण्ड निर्माण हेतु नगर पंचायत, मेहसी के पत्रांक-232, दिनांक-09.03.2022 द्वारा अंचलाधिकारी, मेहसी को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । अंचलाधिकारी मेहसी द्वारा सरकारी भूमि की विवरणी उपलब्ध होते ही बस अड्डे के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : हम आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखण्ड को अनुमंडल का दर्जा दिलावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-4, दिनांक-02.02.2022 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में

दिनांक-30.06.2022 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है । अतः अभी अनुमंडल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सुन लिया जाय...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जून तक अभी रोक है, सर्वे का काम चल रहा है इसलिए अभी रोक है, जून के बाद लाईयेगा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : धन्यवाद । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-93 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड अंतर्गत केशोनारायणपुर से रहियाही एवं वाजितपुर करनैल से इंदवारा पंचायत तक नहर का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी आ रहे हैं तब तक आगे बढ़ा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : अच्छा ठीक है ।

क्रमांक-94 : श्री राम चन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

श्री राम चन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा के लहेरीयासराय से बहेड़ी मुख्य पथ में पंडासराय रेलवे क्रॉसिंग संख्या-18 पर सड़क ओवरब्रिज के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा करे ।"

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार एवं रेलवे के बीच आपसी समझौता एम0ओ0यु0 के मद्देनजर दरभंगा जिलांतर्गत लहेरिया सराय से बहेड़ी मुख्य पथ पंडासराय रेलवे क्रॉसिंग संख्या-18 पर अवस्थित सड़क ऊपरी पुल,

आर0ओ0बी0 निर्माण कराया जाना है । उपर्युक्त आर0ओ0बी0 का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) की स्वीकृति हेतु रेलवे को समर्पित है । स्वीकृति उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : मंत्री जी को आश्वासन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-95 : श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स0वि0स0</u>

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर-चेनारी आर0सी0डी0 पथ पर स्थित मलदहा गांव जहां सालों भर सड़क पर पानी जमा रहता है, जल निकासी कर नालायुक्त पुल का निर्माण करावे ।''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर-चेनारी एस0एच0-67 के 6 किलोमीटर में स्थित मलदहा ग्राम के निकट जल-जमाव की निकासी हेतु तकनीकी संभाव्यता प्रदान कर नालायुक्त पुल निर्माण संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्र ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, मंत्री साहब आ गए हैं ।

उपाध्यक्ष : अच्छा एक मिनट, माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू जी का जवाब । मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

<u>क्रमांक-93 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी गंडक नहर प्रणाली, गंडक फेज-2 योजनांतर्गत तिरहुत मुख्य नहर के 790.00 आर0डी0 से 909.40 आर0डी0 तक की नहर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । इस योजनांतर्गत मुख्य नहर से निकलने वाली नहर प्रणाली का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है जिसके अंतर्गत जमदाहा वितरणी के

निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । प्रश्नगत समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड अंतर्गत केशोनारायणपुर से रहियाही एवं वाजितपुर करनैल से इंदवारा पंचायत तक के क्षेत्र को जमदाहा वितरणी के कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है । सर्वेक्षण के उपरांत जमदाहा वितरणी का निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

टर्न-28/मुकुल/29.03.2022

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का सकारात्मक जवाब है ।

श्री रणविजय साहू : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो उस जिला के प्रभारी मंत्री हैं, मंत्री जी उस जिला से काफी अवगत हैं । धार्मपुर वॉन्दे चौर है ।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी सकारात्मक जवाब दे दिये हैं ।

श्री रणविजय साहू : उपाध्यक्ष महोदय, रघुनाथपुर चौर है, चक्रदेवा चौर है, इन्द्रवारा चौर है । महोदय, हजारों एकड़ भूमि में अभी भी जल जमाव है । किसानों की खेती नहीं हो रही है, इसलिए मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको जल्द से जल्द कराने की कृपा करें । महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-96 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0</u>

श्री संतोष कुमार मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास एवं कैमूर जिला को जोड़ने हेतु कुदरा नदी पर कुदरा प्रखण्ड स्थित ग्राम हरदासपुर के बीच एक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ करगहर प्रखंड के ग्राम चिलबिली को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ एल068 बरांव जहानाबाद रोड से चिलबिली पथ द्वारा सम्पर्कता प्राप्त है, जिसकी लम्बाई

3.500 कि0मी0 है । इस पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन विभाग को प्राप्त है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अभिस्तावित पुल के दूसरे तरफ कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड अन्तर्गत हरदासपुर ग्राम को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित एल024 से हरदासपुर, जिसकी लम्बाई 0.890 कि0मी0 है, से सम्पर्कता प्राप्त है । पथ की स्थिति संतोषजनक है ।

अभिस्तावित पुल के अप स्ट्रीम में 6.00 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 5.00 कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने जो दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात की कि 6 कि0मी0 और 5 कि0मी तो मैं बताना चाहूंगा कि दोनों कैमूर जिलान्तर्गत आते हैं । मैं यह कह रहा था कि कैमूर और रोहतास को जोड़ने हेतु इस पुल की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष : ठीक माननीय सदस्य । आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अगर विचार हो तो इस पुल का निर्माण कराया जाए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-97 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0</u>

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखण्ड-रक्सौल के रक्सौल रेलवे स्टेशन के पूर्वी एवं पश्चिमी गुमटी के उपरगामी पुल का निर्माण कार्य को पूरा करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का ज्वाइंट फिजिब्लिटी रिपोर्ट एवं कॉन्सेप्चुअल प्लान स्वीकृति हेतु पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय

हाजीपुर को समर्पित है । रेलवे से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-98 : श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन की ओर से प्राधिकृत हैं श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 के नियम 2 (ग) में संशोधन करते हुए ''विशेषज्ञ चिकित्सक'' के स्थान पर ''सरकारी चिकित्सक'' करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत एवं वर्तमान में प्रवृत्त बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 के नियम 2 (ग) में ''विशेषज्ञ चिकित्सक'' से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष, जिनके द्वारा अनुशंसा की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे ।

वस्तुत: यह व्यवस्था गंभीर/विशिष्ट प्रकार के रोगों के चिकित्सा हेतु लागू की गई है जिसके लिए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ही समुचित प्राधिकार है । तद्नुसार ही उपरोक्त नियमावली में ''विशेषज्ञ चिकित्सक'' की परिभाषा दी गई है ।

अतएव, इस संबंध में सरकार के समक्ष ''विशेषज्ञ चिकित्सक'' के स्थान पर ''सरकारी चिकित्सक'' करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह पूरे सदन का मामला था । हम निश्चित तौर पर विद-ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन जो प्रॉब्लम है, जब कहीं भी कोई मेडिकल कॉलेज में जिस पद की बात कर रहे हैं वह उतना है ही नहीं तो लोग परेशान होते हैं । जब विधायक छाती में डॉक्टर से ऑपरेशन कराना हो, बिना कोई भी चीज ऐसा तो कोई नहीं करेंगे कि जाकर ऑपरेशन करा लेंगे । हम विद-ड्रॉ लेते हैं, इसलिए कि सारे सदन का मामला है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-99 : श्रीमती स्वर्णा सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-100 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0</u>

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण के अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन के पत्रांक-(मो0)/वाल्मीकि-(विविध)-28/2013-भाग-III-424 द्वारा जल संसाधन विभाग मोतिहारी को ढाका प्रखण्ड के गुआवारी मेन वाटर केनाल के एक तरफ कच्चे रोड को गुआवारी से ढाका तक पक्कीकरण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोआवारी वीयर के दायां से ढाका मुख्य नहर निकलती है जिसकी लंबाई 16.60 आर0डी0 है । ढाका मुख्य नहर के अंतिम छोर से सिरहा उपवितरणी निकलती है, जिसकी लंबाई 45.00 आर0डी0 है । सिरहा उपवितरणी ढाका के पास ढाका-घोड़ासहन रोड को 15.00 आर0डी0 (रक्सा पुल) पर पार करती है ।

गोआवारी वीयर से ढाका तक के प्रश्नगत कच्ची रोड को पक्कीकरण कराने का संबंध ढाका मुख्य नहर एवं इसके अंतिम छोर से निकलने वाली सिरहा उपवितरणी के 15.00 आर0डी0 तक के सेवा पथ से है ।

ढाका मुख्य नहर का सेवा पथ कच्चा है तथा सिरहा उपवितरणी के सेवा पथ के 0.50 आर0डी0 से 2.50 आर0डी0 तक पक्की सड़क बनी हुई है । यह पक्की सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनायी गयी है ।

नहरों के सेवा पथ का उपयोग नहर के निरीक्षण कार्य हेतु किया जाता है । वर्तमान में जल संसाधन विभाग के स्तर पर प्रश्नगत सेवा पथ के पक्कीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । ग्रामीण कार्य विभाग अथवा अन्य विभाग से इस संबंध में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुकूल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन के पत्र का जिक्र किया है कि उन्होंने कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा कि इसका प्रस्ताव भेजा जाय, सड़क निर्माण का । यह नहर का पथ ही होगा, लेकिन यह लाइफ लाइन है, जब बाढ़ के समय में लालबकेया नदी में जब बाढ़ की विभीषिका होती है तो ये जो 20-25 पंचायत हैं, जब रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो यही लाइफ लाइन है, तटबंध को बचाने का भी और सामग्री पहुंचाने का भी ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, प्रस्ताव को वापस लीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है, चूंकि मंत्री जी का विभाग नहीं है । हम पत्र का भी जिक्र किये हैं, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जब विभाग ने पत्र दे दिया तो अब इसको कराने पर सिंचाई विभाग विचार करे और माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में लेते हुए इस काम को कराने की कृपा करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-29/यानपति/29.03.2022

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार ।

क्रमांक-101 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुंबा में गढ़ पर पावर सब स्टेशन स्थापित करावे ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, वर्तमान में वर्णित स्थल कुटुंबा गढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत शक्ति उपकेंद्र अंबा दूरी 8.5 कि0मी0 से निकलनेवाले 11 के0वी0ए0 रिसिट टर्न फीडर कुल लंबाई 15 कि0मी0 द्वारा नियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है, अतिरिक्त संरचना निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं है ।

अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बस सरकार के संज्ञान में लेकर के अपना यह संकल्प वापस लेता हूं । चूंकि वह कुटुंबा और अंबा दोनों शहरी क्षेत्र के घनत्व वाले क्षेत्र हो गये हैं इसलिए वर्तमान में तो नहीं लेकिन भविष्य में यह प्रस्ताव रखा जाय और इसी के साथ मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री राहुल तिवारी ।

क्रमांक-102 : श्री राहुल तिवारी, स0वि0स0

श्री राहुल तिवारीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के बिहिया प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम-शिवपुर के पास छेर नदी पर पुल का निर्माण करावे।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ शिवपुर बसावट है जो पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ रानीसागर से शिवपुर है से संपर्कता प्रदत्त है । यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है एवं अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । अभिस्तावित पुल स्थल की दूसरी तरफ कॉड गांव है जो पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ एल-28, ब्रह्मपुर-बगेन रोड से कॉड गांव जिसकी लंबाई 2 कि0मी0 है से संपर्कता प्रदत्त है । यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । इस पथ की मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत प्राक्कलन प्राप्त है । निधि की उपलब्धता के आधार पर समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । शिवपुर एवं कॉड बसावटों के बीच कोई योग्य बसावट नहीं है । अत: इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 3.50 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 1.50 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राहुल तिवारी: सभापति महोदय, हमने पुल का निर्माण कराने की बात कही थी और मंत्री महोदय ने जवाब दिया है सड़क जो है अनुरक्षण नीति के तहत है और यह जो शिवपुर गांव है वह छेर नदी के किनारे है और नदी के उस पार जाते हैं तो ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र है इसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि नदी के अगर उस पार रहती तो यह ब्रह्मपुर में रहती तो गांव वाले जितने उस इलाके में 20-25 गांव हैं अगर ब्रह्मपुर स्टेशन जाना हो या बाजार ब्रह्मपुर में करना हो तो इनको काफी घूमकर जाना पड़ता है, रानीसागर एन0एच0 होकर उनको जाना पड़ता है तो इसमें जब स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी सांसद हुआ करते थे बक्सर के तो उन्होंने अपने सांसद निधि से यहां पुल निर्माण कराने का भी पैसा दिया था लेकिन किसी कारणवश वह निर्माण नहीं हुआ इसलिए सरकार इसे देखते हुए भविष्य में विचार करे और अपने प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

क्रमांक-103 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के अंतर्गत सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का नेम प्लेट और सूचना बोर्ड पर मिथिलाक्षर में लिखाये जाने की व्यवस्था करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में मैथिली भाषा शामिल है किंतु बिहार में मैथिली भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है । वर्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का नेम प्लेट और सूचना बोर्ड पर मिथिलाक्षर में लिखाए जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुरारी मोहन झा: उपाध्यक्ष महोदय, किसी एक धर्म के द्वारा बोली जानेवाली भाषा को बिहार सरकार के द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा देकर, यह पूरे बिहार में लागू है उस भाषा जो सीमित लोग बोलते हैं, सिर्फ उस धर्म के ही लोग बोलते हैं, मैथिली भाषी बोलनेवाले 3 करोड़ लोग हैं मैथिलीभाषी जो पूरे मिथिलांचल में यह भाषा बोली जाती है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पुनर्विचार इसपर करें और मैथिलीभाषी जितने भी मिथिलांचल में हमारे जिले हैं, सभी के नेम प्लेट पर इसको जोड़ा जाय महोदय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, आगे देखेंगे लेकिन अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है लेकिन इसको आगे देखेंगे हमलोग ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष: शांति-शांति ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं है ।

उपाध्यक्ष: डिबेट का विषय है ? बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं है, कहा है कि आगे देखेंगे ।

उपाध्यक्ष: सरकार के संज्ञान में आ गया है, अब वापस ले लीजिए ।

(व्यवधान जारी)

सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री शाहनवाज जी ।

(व्यवधान जारी)

हो गया, बैठ जाइये । शाहनवाज जी को बोलने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

कोई भी अगर असंसदीय भाषा होगा उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाएगा।

क्रमांक- 104 : श्री शाहनवाज, स0वि0स0

श्री शाहनवाज: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत जोकिहाट प्रखण्ड के महलगांव से करहरा जानेवाली सड़क में करहरा गांव के निकट स्थित ध्वस्त पुल का निर्माण करावे ।''

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष: बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

इनका असंसदीय भाषा निकल गया । प्रोसीडिंग से निकाल दिया गया है बैठ जाइये । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है...

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष: हो गया-हो गया, सरकार के संज्ञान में आ गया ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत अप्राप्य है जिसकी स्वीकृति का प्रस्ताव प्रोजेक्ट

स्क्रीनिंग समिति के पास भेजने की कार्रवाई की जा रही है । तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री शाहनवाज: मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह ।

क्रमांक-105 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या श्रीमती कविता देवी ।

क्रमांक-106 : श्रीमती कविता देवी, स0वि0स0

श्रीमती कविता देवी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड के मोरसंडा पंचायत में स्थित बरंडी नदी कमला घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ मोरसंडा बालू टोल बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित मोरसंडा चौक से बालू टोल तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ मोरसंडा मुसहरी महादलित टोला बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित निसुंधरा से मोरसंडा, मुसहरी महादलित टोला तक पथ से प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 3 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को 12 मासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ की बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अत: अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती कविता देवी: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी है । जब भी बाढ़ पानी आता है तो वहां पर दुर्घटना घटते रहती है । और यह जरूरी, बहुत जरूरी है ।

उपाध्यक्ष: ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री अजय यादव ।

टर्न-30/अंजली/29.03.2022

क्रमांक-107 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

श्री अजय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के कमला प्रमंडल जयनगर के त्रिशुला बैराज स्थित पूर्वी कैनाल नहर के दोनों तरफ की जमीन चिन्हित कराकर मिट्टीकरण एवं नहर के बगल का ग्राम धनजैया में पानी बहाव के कारण विगत 15 वर्षो से 1000 एकड़ जल जमाव वाले जमीन के पटवन शुल्क की माफी एवं जल जमाव की निकासी करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला अंतर्गत लदनिया प्रखंड के त्रिशुला नदी पर निर्मित बराज मनोहारा बराज प्रमंडल जयनगर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत है । त्रिशुला बराज के बाएं पूर्वी भाग से पूर्वी मुख्य नहर निकलती है जिसकी कुल लंबाई 4.87 किलोमीटर है । इस नहर के 2.44 किलोमीटर के पास धनजैया ग्राम है जहां कि जमीन नीची है तथा नहर मिट्टी भराव में है, इस भाग में नहर के वेड की चौड़ाई 8.98 किलोमीटर, 6.00 फीट है, इस ग्राम के पास नहर के तटबंध से रिसाव के कारण आसपास के क्षेत्र में जलजमाव की समस्या हो रही है । बायां मुख्य नहर के पुनर्स्थापन हेतु हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसकी जांच की जा रही है । इस नहर के तटबंध से रिसाव के कारण जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु इस नहर के आंतरिक भाग में लाइनिंग कार्य अथवा जल निकासी के अन्य संभाव्य विकल्पों को चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का

निर्देश विभाग के पत्रांक संख्या-435, दिनांक-25.03.2022 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन दरभंगा को दिया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : वापस लीजिए ।

श्री अजय यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, आबिदुर रहमान ।

क्रमांक-108 : श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनय बिहारी ।

क्रमांक-109 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सादा ।

क्रमांक-110 : श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0

श्री रत्नेश सादा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत सोनवर्षा प्रखंड के भादा चौर पड़रिया पंचायत के भस्ती अरसी, सहसौल पंचायत के स्वेतकमलदह एवं महुआ उतरवारी पंचायत के हजारों एकड़ सिंचित भूमि में जलजमाव की समस्या से किसानों को निजात दिलावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोनवर्षा प्रखंड के भादा चौरा में जलजमाव की समस्या है । उक्त चौरा से सुरसर धार तक पूर्व निर्मित नाला है जिसमें गाद रहने के कारण सुरसर धार में जल निकासी नहीं होती है । वर्तमान में पड़रिया पंचायत

अंतर्गत भस्ती एवं अरसी में कहीं भी जल जमाव नहीं है । वर्षा अवधि में उक्त चौरों में सुरसर धार का पानी फैलने के कारण जलजमाव की स्थिति रहती है । वर्तमान में सोनवर्षा प्रखंड के सहसौल पंचायत के स्वतेकमलदह चौर के अधिकांश भू-भाग में मक्के की खेती हो रही है एवं कुछ भाग में आंशिक जलजमाव है । वर्तमान में महुआ उतरवारी पंचायत के महुआ चौर के भू-भाग में कहीं जलजमाव नहीं है । बरसात अवधि में महुआ चौर की जल निकासी महुआ चौर से सिंगारपुर तक प्राकृतिक नाला से होती है परंतु सिंगारपुर बौछार ग्रामीण पथ पर पुलिया नहीं रहने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है । ग्रामीण सड़क पर पुलिया का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है । उक्त ग्रामीण सड़क पर पुलिया निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुरोध करने, निमित मुख्य अभियंता वीरपुर को निवेदित किया गया है । प्रश्नगत सभी चौरों से जल निकासी हेतु विस्तृत सर्वेक्षण प्रांत तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निसरण वीरपुर को विभागीय पत्रांक संख्या-3930, दिनांक-23.11.2021 एवं पत्रांक संख्या-497, दिनांक- 10.02.2022 से निर्देशित किया गया है जो प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा : उपाध्यक्ष महोदय, सकारात्मक जवाब देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री भारत भूषण मंडल ।

क्रमांक-111 : श्री भारत भूषण मंडल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर ।

क्रमांक-112 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह धान की अधिप्राप्ति प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से सुनिश्चित करने तथा मक्का सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की व्यवस्था करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में कटनी की स्थिति तथा धान में नमी की उपस्थिति के आलोक में अधिप्राप्ति का कार्य प्राय: मध्य नवंबर से आरंभ किया जाता है । साथ ही लक्षित जन वितरण प्रणाली में मक्के एवं अन्य फसलों के उत्पादों का वितरण नहीं किया जाता है । इसलिए धान और गेहूं की तरह मक्के की अधिप्राप्ति नहीं की जाती है । राज्य की नई एथेनॉल नीति के आलोक में मक्का आधारित उद्योग के विकसित होने से मक्का किसानों को उचित मूल्य का लाभ मिल सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि खुद सूखा तन लेकर संपूर्ण जगत को जिंदा रखने वाला किसान, भगवान है धरती का । इसके हित में संपूर्ण देश में लॉकडाउन हुआ लेकिन कृषि क्षेत्र से आय बढ़ी सरकार की, वह डाउन नहीं हुई । बिहार का 90 प्रतिशत के आस पास भू-भाग खेती पर आश्रित है । इसलिए पंजाब, हरियाणा की तरह मक्के की अधिप्राप्ति सहित अन्न जैसे-मसूर और चना की अधिप्राप्ति भी सरकार करे, इस पर विचार करे, मैं इस अनुरोध के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री राजवंशी महतो ।

क्रमांक-113 : श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ।

क्रमांक-114 : श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजीव चौरसिया ।

क्रमांक-115 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रित लाल राय ।

क्रमांक-116 : श्री रित लाल राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' ।

क्रमांक-117 : श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल', स0वि0स0

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत चंद्रवाना से लेकर पुआरी किंग्स केनाल नहर तक नहर का उड़ाहीकरण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अंतर्गत साहरघाट शाखा नहर के 8.20 आर0डी0 बायां से प्रश्नगत किंग्स कैनाल नहर निकलती है जिसकी कुल लंबाई 88.90 आर0डी0 है । बिस्फी प्रखंड अंतर्गत चंद्रवाना से पुआरी तक के किंग्स कैनाल का 60.00 आर0डी0 से 8000 आर0डी0 तक का भाग है । पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अंतर्गत पूर्वी निर्मित नहरों में गाद सफाई के साथ-साथ क्षतिग्रस्त नहर बांधों एवं जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य तथा अधूरे नहर प्रणाली का निर्माण कार्य दिसंबर, 2020 में प्रारंभ किया गया है, जिसे मार्च, 2023 तक

पूर्ण करने का लक्ष्य है । प्रश्नगत किंग्स कैनाल के वेड की तल की सफाई के साथ-साथ इसके बांध को रूपांकित सेक्शन में तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-31/सत्येन्द्र/29-03-22

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिथिलांचल में कहावत है- खेती कईली जिये लेल और बैल बिका गेल बिये लेल । जो स्थिति है, हम किये हैं हमारा जो प्रस्ताव है वह दूसरा है और जवाब दूसरा है । वह चौर है चन्द्रवाना से किंग्स कैनाल तक और जवाब ये दिये हैं किंग्स कैनाल का । उस चौर का पानी निकासी हो जाय पानी के कारण सैंकड़ों एकड़ जमीन में कुछ नहीं हो रहा है और उस किंग्स कैनाल तक जो पुरानी नहर है, उसको उड़ाहीकरण करा दिया जाय ताकि जल निकासी हो जाय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, इन्होंने किंग्स कैनाल के उड़ाहीकरण कराने का संकल्प किया है महोदय और माननीय सदस्य जो अभी बात कह रहे हैं तो उसको भी दिखवा लेंगे । माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ ।

<u>क्रमांक-118 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0</u>

श्री समीर कुमार महासेठ: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना में चयनित होने की संभवनाओं को देखते हुए स्टेडियम, पार्क, माल, मल्टीप्लेक्स, कचरा निस्तारण के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई करे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अबतक मधुबनी शहर का चयन नहीं किया गया है । अत: मधुबनी शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना का कोई भी

कार्य संचालित नहीं हो रहा है । नगर निगम, मुधबनी द्वारा पूर्व में नागरिकों को टहलने हेतु पार्क में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर निगम, मधुबनी को पंचम वित्त आयोग से कुल राशि 7 करोड़ 17 लाख 64 हजार 627 रू0 मात्र दिया गया है एवं षट्म राज्य वित्त आयोग से कुल 18 करोड़ 60 लाख 30 हजार 119 रू0 मात्र राशि का आवंटन की गयी है । उक्त राशि से सड़क नाला पार्क एवं अन्य कार्य किया जा सकता है । यदि पार्क सौन्दर्यीकरण की योजना नगर निगम, मधुबनी बोर्ड द्वारा पारित की जाती है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में प्राथमिकता के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर निगम, मधुबनी द्वारा विचार किया जायेगा । मधुबनी नगर में कुल 30 बार्ड है। यहां प्रति महीना 2899.62 टन कचरा हो रहा है जिसके लिए सभी बार्ड में कचरा संग्रह का कार्य प्रत्येक घरों से किया जा रहा है । बार्ड के सभी घरों से कचरे को घर से ही अलग अलग करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । नगर में उत्पन्न हो रही कचरे के निस्तारण संबंधी कार्य हेतु प्रक्रिया की जा रही है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ: उपाध्यक्ष महोदय, वापस तो ले ही लेंगे लेकिन जो भी माननीय मंत्री ने कहा, हमारा मुख्य बिन्दु था जमीन अधिग्रहण का, क्या उस पैसे से जमीन अधिग्रहण या जमीन परचेज हो सकता है, नहीं हो सकता है । माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है लेकिन हम वापस ले रहे हैं इस आशा के साथ कि सरकार अपनी गलती को सुधारे ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री गुंजेश्वर साह ।

<u>क्रमांक-119 : श्री गुंजेश्वर साह, स0वि0स0</u>

श्री गुंजेश्वर साह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत महिषी के सत्तर कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत बरहशेर में कुम्हरा घाट में पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित आदिवासी टोला एवं बलिवास पट्टी ग्राम की सम्पर्कता पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सुपौल जिला परसामा पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट आदिवासी टोला पेलाफेल की सम्पर्कता शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित टी-06 से कुम्हरा घाट पथ से प्राप्त है । सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहोंमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल के दोनों तरफ से बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अभिस्तावित पुल के निमार्ण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री गुंजेश्वर साह: उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट भ्रामक है, सच्चाई यह है कि नदी के दोनों तरफ पूरी बसावट है और वहां के बच्चे स्कूल जो दूसरे साईड में है, नाव से बारहों महीना आता है और नाव से जाता है, किसान भी नाव से आता है और जाता है और पब्लिक का भी वही हालत है और एकल रास्ता जो ये कहते हैं वह एकल रास्ता नहीं है, ऐसे हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन हम आग्रह करते हैं कि वहां की समस्या को देखकर के पुल बनावाने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव ।

क्रमांक-120 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0

श्री प्रहलाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लक्खीसराय जिला के लक्खीसराय प्रखंड में किउल एवं लक्खीसराय स्टेशन के बगल में किउल नदी पर पुल निर्माण हेतु प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दिलाकर पुल का निर्माण करावे ।''

महोदय, एक बात, इसका प्राक्कलन, आज नहीं बहुत दिन से बनकर डी0पी0आर0 बनकर तैयार है । माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार लक्खीसराय गये और घोषणा भी किये कि यहां पर पुल बन जायेगा लेकिन आजतक नहीं बना है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे सकारात्मक उत्तर देंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बात रह जाय ।

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता रहे थे, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पुल लक्खीसराय के किउल धनकी पथ एम0डी0आर0 के बीच मिसिंग लिंक है जो रेलवे के जमीन से होकर गुजरी है । उक्त मिसिंग लिंक को पथ निर्माण विभाग के एम0डी0आर0 पथ को पुल से जोड़ने के लिए रेलवे पथ को प्रयोग में लाना होगा जिसकी मांग की गयी है । रेलवे से मिसिंग लिंक पर एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के उपरांत संसाधन की उपलब्धता के आधार पर संकल्पाधीन पुल के निर्माण पर विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रहलाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का जिक्र करक रहे हैं उसमें आज भी पथ निर्माण के पुल से होकर के, रेलवे पुल होकर के जो रोड का चर्चा किये हैं जो जमुई की तरफ जाता है दोनों का सम्पर्क बना हुआ है । ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना हुआ है, सिर्फ किउल नदी पर पुल बनाने के लिए आग्रह है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसके कारण लाखों लोगों को इससे फायदा होगा ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

क्रमांक-121 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान मंडल के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को माननीय सांसदों की भांति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(सी0जी0एच0एस0) के तहत एप्रूवड देश के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में कैशलेस ईलाज की सुविधा प्रदान करावे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, सभी जगह पेपरलेस और कैशलेस की बात चल रही है और उपाध्यक्ष महोदय, 16वीं विधान-सभा में यही मामला आया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री मंगल पांडे जी ने आश्वासन भी दिया था, इस पर आश्वासन में मामला भी चल रहा है और...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया )

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं इसके लिए बैठक किये थे सी0जी0एच0एस0 से एप्रुभड अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए तो माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, दे दें । इस पर तो ऑलरेडी आश्वासन 16वीं विधान-सभा में है और सरकार का आश्वासन भी है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं इस मामले पर जो है बैठक भी की थी इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का जवाब हमलोग सुन लेते हैं, आश्वासन तो पहले से ही है, इस बार इसको पारित कर दें कम से कम चूंकि इस पर तो सरकार भी तैयार है इसलिए माननीय मंत्री जी का पहले जवाब सुन लेते हैं इसके बाद इसको पारित कर दें सदन से ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के गंभीरता को ध्यान में रखकर वर्त्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को सरकारी गैर सरकारी निजी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति की सुविधा अनुमान्य है । माननीय सांसदों को केन्द्रीय स्कीम सी0जी0एच0एस0 के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदत्त है । चूंकि सी0जी0एच0एस0 एक केन्द्रीय संस्थान है/ योजना है जिसे उन्हें कैशलेस ईलाज की सुविधा दी जाती है । इस तरह की कोई संस्थान/ योजना बिहार में उपलब्ध नहीं है (क्रमशः)

टर्न-32/मधुप/29.03.2022

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : (क्रमशः) परन्तु राज्य सरकार बिहार विधान मंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों के लिए सी0जी0एच0एस0 की तर्ज पर एक योजना बिहार में चलाये जाने का विचार रखती है । कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन पूर्व में भी है...

अध्यक्ष : आपने तो जब आश्वासन दे दिया तो स्वीकार हुआ ।

श्री संजय सरावगी : अभी भी नीतिगत है इसलिये इसको पारित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं । आपने तो आश्वासन दिया ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : हॉं, तो यह स्वीकार हुआ ।

श्री संजय सरावगी : इसको स्वीकृत किया जाय, महोदय । अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से इसको स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : इसको स्वीकृत किया जाता है ।

श्री संजय सरावगी : हॉं, इसको स्वीकृत किया जाता है कि कैशलेस...

अध्यक्ष : ठीक है । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

श्री संजय सरावगी : सरकार इसको करावे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-122 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिलान्तर्गत दरौली और गुठनी प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहॉं पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । सिवान जिले का दरौली एवं गुठनी प्रखंड सिवान सदर अनुमंडल के अन्तर्गत है जहॉं पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में डी0ए0वी0 कॉलेज, सिवान, राजा सिंह कॉलेज, सिवान एवं भी0वी0 महिला कॉलेज, सिवान संचालित है ।

अत: दरौली और गुठनी प्रखंड में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैंने दरौली और गुठनी की चर्चा की है जो मुख्यालय से 40 कि0मी0 दूर हैं, एक । दूसरा, सरकार ने पंचायत स्तर पर +2 स्कूल का निर्माण किया है जिससे बड़ी संख्या में गरीब-गुरबों के बच्चे-बच्चियॉं घर से खाना खाकर पढ़ाई कर रहे हैं । लेकिन प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से उन बच्चों की पढ़ाई छूट जा रही है।

इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, हम आग्रह करते हैं कि पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लें, सदन की सहमति से वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यदेव राम : इसपर सरकार कुछ नहीं बोलेगी ?

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यदेव राम : सरकार कम से कम इसपर कुछ भी बोले । कोई एक अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय मैं 2016 से सुन रहा हूँ, कितने अनुमंडल कार्यालय हैं, बने हैं कि नहीं बने हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कुछ बोलने के लिए ये कह रहे हैं । आप बोल दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है, बहुत genuine है, बहुत अच्छा है और माननीय सदस्य गंभीर भी रहते हैं...

अध्यक्ष : आग्रह कर दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : लेकिन अभी सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से हमलोगों ने प्रस्ताव दिया है । आगे इसको देखवायेंगे और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ले लीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : समय-सीमा रहता ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिये सदन की...

श्री सत्यदेव राम : धन्यवाद देते लेकिन वे आगे बोल रहे हैं...

अध्यक्ष : अब धन्यवाद दे दिये तब वापस लीजिये न ।

श्री सत्यदेव राम : वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-124 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर इंटर सिटी ट्रेन संख्या-18639 UP एवं 18640 DN का ठहराव हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर इंटर सिटी ट्रेन संख्या-18639 UP एवं 18640 DN का ठहराव से संबधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है ।

इस संबंध में परिवहन विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगा ।

श्री अरूण सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : स्वीकार कर लिये तब क्या इसमें है ? आप बैठिये ।

सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक- 125 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0</u>

श्री राजेश कुमार : हम अधिकृत हैं, सर ।

अध्यक्ष : अधिकृत हैं, हमारे पास तो नहीं आया है ।

श्री राजेश कुमार : हम भेजवाये हैं अध्यक्षीय कार्यालय में, सर ।

अध्यक्ष : आ गया है । पढ़िये ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखण्ड के जम्हौर पंचायत के शांतिपुर में सरकारी भूमि पर एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण करावे ।"

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सा सुविधा उपलब्धता बढ़ाने हेतु नीतिगत निर्णय के अंतर्गत 11 नये सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है । औरंगाबाद जिले के निकटवर्ती जिलों गया में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं रोहतास में निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। बक्सर एवं भोजपुर जिले में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना स्वीकृत है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में औरंगाबाद जिला में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कुछ बात कहकर संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 126 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के परिहारी पंचायत के ग्राम परिहारी में एक पावर सब स्टेशन का निर्माण करावे ।"

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उनके अगल-बगल में उप केन्द्र हैं जिससे उसकी पूर्ति होती है । अभी वर्तमान में अभी वहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है बनाने का ।

इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय...

अध्यक्ष : वापस ले लीजिये सदन की सहमति से ।

श्री अचमित ऋषिदेव : वापस तो लेंगे ही ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 127 : श्री भरत बिन्द, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 128 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि 1972 में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को स्थापना के 50वें वर्ष (स्वर्ण जयंती) में विभिन्न शैक्षणिक, अनुसंधान, खेलकूद एवं विकासात्मक कार्यक्रम हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के स्थापना के 50वें वर्ष (स्वर्ण जयंती) में विभिन्न शैक्षणिक अनुसंधान, खेलकूद एवं विकासात्मक कार्यक्रम हेतु योजना स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है । विश्वविद्यालय से प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, 50वॉं वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, हम 100वॉं वर्ष अपने विधान सभा का मना रहे हैं । वहॉं के वाइस चांसलर ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 14 जुलाई, 2021 को और शिक्षा मंत्री जी को 30 सितम्बर, 2021 को पत्र देकर आग्रह किया है क्योंकि पहले यू0जी0सी0 25 वर्ष पूर्ण होने पर 25 करोड़, 50 वर्ष पूर्ण होने पर 50 करोड़ विश्वविद्यालय को देती थी । अब राज्य सरकार या RUSA को ही देना है ।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । 50वॉं वर्ष किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और इसी में जो ललित नारायण मिश्रा जी के नाम है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है । हम पुन: आग्रह करेंगे कि सरकार इसपर सहानुभूति पूर्वक और सकारात्मक रूप से विचार करे और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को विशेष सहायता अनुदान प्रदान करे ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब वापस ले लीजिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी । 50वॉं वर्ष बार-बार नहीं आता है । मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-33/आजाद/29.03.2022

क्रमांक-129 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखण्ड स्थित दीनापट्टी सखुआ पंचायत के करहारा टोला में आर0डी0 37 एवं आर0डी0 38 के बीच बेलदोर नहर पर जल जमाव से बचाव हेतु साईफन का निर्माण करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखण्ड के दीनापट्टी सखुआ पंचायत के गोपाली टोला एवं करहारा गांव के बीच बेलदौर नदी के दॉये नहर बॉध से सटे 37.00 आर0डी0 से 38.00 आर0डी0 तक लगभग 2000 एकड़ जमीन में बरसात के समय में वर्षा के पानी से अत्यंत जल जमाव हो जाता है । विभागीय पत्रांक सं0-434 दिनांक 25.03.2022 से मुख्य अभियंता, सिंचाई, सृजन जल संसाधन विभाग, सहरसा को स्थल निरीक्षण कर जल जमाव की इस समस्या का स्थायी निदान हेतु बेलदौर वितरणी में सी0डी0 संरचना के निर्माण के विकल्प के साथ-साथ अन्य सभी विकल्पों की समीक्षा कर तकनीकी संभाव्यता के आधार पर योजना प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । योजना प्रतिवेदन प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयन कराया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-130 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के ग्राम मठिया होता में छठ स्थान के समीप खोखी नदी में पुल का निर्माण करावें । ''

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ पी0डब्लू0डी0 पथ से गोपालपुर अहियर टोला पथ जिसकी लम्बाई 1.30 कि0मी0 है के आरेखन पर पड़ता है । वर्तमान में पथ में बहुत पुराना 4 मीटर लम्बा आर्च पुल निर्मित है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, जो क्षतिग्रस्त है । पुल निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से टेक्नोफिजिबिलीटी रिपोर्ट की मांग की गई है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उस पुल को बनवा दें, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-131 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी को निकटतम रेलवे स्टेशन से जोड़ने हेतु मधुबनी-सीतामढ़ी भाया बेनीपट्टी रेलमार्ग के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।''

अध्यक्ष महोदय, बेनीपट्टी से 25 कि0मी0 दूर रेलवे है, जबकि बेनीपट्टी में कालीदास का जन्म स्थान है । वहां शक्ति पीठ उचैट है । लेकिन रेलवे से वह 25 कि0मी0 दूर है । यदि इसके लिए एक रेलवे कनेक्टविटी के लिए अनुशंसा करे तो बड़ी कृपा होगी और बड़ी सुविधा होगी लोगों को, इसलिए मैंने निवेदन किया है।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महादेय, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 25 कि0मी0 को रेल मार्ग से जोड़ने हेतु मधुबनी सीतामढ़ी भाया बेनीपट्टी एक नये रेलमार्ग से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनोद नारायण झा : यह तो पास हो गया अध्यक्ष महोदय, इसको वापस लेने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार को रिकोमेंडेशन कर दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-132 : श्री फते बहादुर सिंह, स0वि0स0

( माननीय सदस्य अनुपस्थित )

क्रमांक-133 : श्री मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में किशनगंज जिला में केन्द्र सरकार द्वारा 2014 में स्वीकृत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शाखा के विश्वविद्यालय भवन का निर्माण करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना के क्रम में यू0जी0सी0 द्वारा 136.82 करोड़ रू0 उपबंधित था, जिसमें 10 करोड़ की राशि यू0जी0सी0 द्वारा किशनगंज केन्द्र को विमुक्त की गई है । भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आधार पर उक्त सेंटर में पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हाईयर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी भेजने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना सरकार को अब तक

उपलब्ध नहीं करायी गयी है । विभागीय पत्रांक सं0-344 दिनांक 26.03.2022 द्वारा पुनः अनुरोध किया गया है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किशनगंज केन्द्र के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री आफाक आलम : सर, वापस तो ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-134 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चकिया रेलवे गुमटी के ऊपर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे । ''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ राष्ट्रीय उच्च पथ 227ए राम जानकी मार्ग का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है । जिसके लिए भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है । राष्ट्रीय उच्च पथ 227ए राम जानकी मार्ग के केशरिया चकिया खंड अन्तर्गत चकिया बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है । इस बाईपास अन्तर्गत बरमदिया गांव में रेलवे क्रौसिंग पर आर0ओ0बी0 निर्माण का कार्य प्रस्तावित है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रस्तावित है यह हो जायेगा, तो यह वापस लेने की बात नहीं है । धन्यवाद बोलती हूँ और इन्होंने स्वीकार कर लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, इसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक कह रहे हैं, आपने स्वीकृत किया है ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-135 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला के अमौर प्रखण्ड अन्तर्गत खाड़ी मूल (PACKAGE NO.BR 128B) एवं (PACKAGE NO. BR 27R 250) का निर्माण करावे ।"

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्ताव दो पुल से संबंधित है ।

खाड़ी पुल- उक्त पुल कनकई नदी पर शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित हरिहरपुर से मलहाना पथ के आरेखण पर अवस्थित है । इसके निर्माण हेतु 265.44 मीटर उच्चस्तरीय पुल की स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है ।

रसैली पुल- उक्त पुल प्रमाण नदी पर शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित एन0एच0-57 कस्बा गेरूआ पथ के आरेखण पर अवस्थित है । इसके निर्माण हेतु 185.82 मीटर उच्चस्तरीय पुल के स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है ।

उक्त दोनों पुल में संबंधित संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी के द्वारा एकरारनामा विखंडित कर दिया गया है । संबंधित संवेदक के निबंधन को काली सूची में डालने हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है । इसी दरम्यान विगत वर्षों में आयी बाढ़ के कारण कनकई नदी एव प्रमाण नदी के मेन्डरिंग होने से नदी की धारा स्वीकृत एप्रोच वाले पथांश में बह रही है ।

उक्त दोनों निर्माणाधीन पुल के स्थल पर नदी की धारा परिवर्तित होने से भौगोलिक परिस्थिति में परिवर्तन के सापेक्ष्य तकनीकी रूप से परामर्श देने हेतु विभागीय सचिव के पत्रांक-476 दिनांक 18.02.2022 द्वारा जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णिया को निर्देशित किया गया है कि जल संसाधन विभाग से यथाशीघ्र समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न-34/शंभु/29.03.22

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पुल भीषण कटाव वाली नदी पर है और मामला ये है कि घर में आग लगे तो अग्निशामक, बीमार हो तो डाक्टर, बच्चे स्कूल और 9 कि0मी0 दूर है वहां से प्रखंड कार्यालय और नतीजा है कि वहां से 30-40 कि0मी0 आना पड़ रहा है हुजूर । आज एक साल, दो साल से नहीं विगत नौ साल से पुल निर्माणाधीन है । मैंने इस संबंध में 03.10.2021 को माननीय मुख्यमंत्री को और फिर जुलाई के महीने में सचिव को और माननीय मंत्री को और फिर लगातार सदन के माध्यम से इस गंभीर मसले को उठाते रहे हैं, लेकिन जो गति अभी है- मई के महीने से बारिश हो जायेगी ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अख्तरूल ईमान : मेरी पीड़ा एक मिनट सुनिये सर ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अख्तरूल ईमान : सर, हर साल डूबकर मर रहे हैं । क्या इस साल बरसात से पहले.....

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अख्तरूल ईमान : इतनी बात तो मंत्री जी को कहनी पड़ेगी न सर कि क्या कहने जा रहे हैं वे सर । इतनी बात.....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से...

श्री अख्तरूल ईमान : सदन की सहमति कहां हुई सर, मंत्री जी इसका जवाब देंगे हम जो बोलवाये हैं।

अध्यक्ष : वोटिंग करा दें ?

श्री अख्तरूल ईमान : नहीं । हमारे बारे में जो जवाब दिये हैं हमको इतना तो.....

अध्यक्ष : आप वापस लिये ?

श्री अख्तरूल ईमान : वह आपके हाथ में है जो कुछ आप कर सकते हैं सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस कीजिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : नहीं सर, परिपाटी यही रही है कि.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने वापस के लिए आग्रह नहीं किया है ?

श्री सुमित कुमार सिंह,मंत्री : जी किया है सर । वापस लेने के लिए आग्रह भी किये हैं और उसमें जो बता रहे हैं कि संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई भी की जा रही है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-136, श्रीमती मीना कुमारी,स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखंड के सीमावर्त्ती इलाके के किसानों के हित में ग्राम लदनियां से जयनगर सीमावर्त्ती इलाका तक रिंग बांध का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार ,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लदनियां प्रखंड के मतनाजे ग्राम में जारन नदी नेपाल प्रभाग के भाग में प्रवेश करती है । बाढ़ अवधि के दौरान नदी में अत्यधिक जलस्राव प्रवाहित होने की स्थिति में आसपास के कई पंचायतों में पानी का फैलाव हो जाता है । जिसके कारण फसल तथा आबादी प्रभावित होती है । भारत नेपाल के एलाइन्मेंट में लगभग 4.5 कि0मी0 नीचे सहजा नदी प्रवाहित होती है । सहजा नदी आगे जाकर छोहरी में मिलती है । जारन नदी एवं सहजा नदी का मिलान स्थल महोलिया ग्राम है जो कि लदनियां प्रखंड में है । प्रश्नगत स्थल मतनाजे ग्राम में महोलिया ग्राम तक कुल 4.5 कि0मी0 की लंबाई में रिंग बांध निर्माण से संबंधित है । मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक सं0-1228, दिनांक 26.03.2022 द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत लदनिया प्रखंड में सीमावर्त्ती इलाके के किसानों के हित में ग्राम लदनिया से जयनगर सीमावर्त्ती इलाका तक रिंग बांध निर्माण हेतु सर्वेक्षण तकनीकी संभाव्यता के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, लदनिया से जयनगर सीमावर्त्ती इलाके में प्रतिवर्ष बाढ़ आने की वजह से जानमाल की अति क्षति होती है एवं क्षेत्र के विकास में भी बाधा पहुंचती है। अत: बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध अति आवश्यक है । इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यों से आग्रह होगा कि जो लोग बैठे हैं वे रूकेंगे कुछ सूचना देनी है ।

क्रमांक-137, श्री शमीम अहमद,स0वि0स0

श्री शमीम अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के छतौनी चौक स्थित एन0एच0-28 पर जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र करावे । ''

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के चिंता पर वस्तुस्थिति यह है कि छतौनी एन0एच0-28 पर अवस्थित एन0एच0-28(ए) का निर्माण कार्य भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । छतौनी चौक को राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों के अनुरूप मेजर जंक्शन के तौर पर विकसित किया जाना है । जिसके बनने से जाम की समस्या में कमी आने की संभावना है । यथापि ओवर ब्रिज संभावित हेतु परामर्शदाता को स्थल निरीक्षण और अन्य आंकड़ों के संकलन हेतु निदेशित किया गया है । उसके आंकड़ा आने के बाद इसपर विचार किया जायेगा भारत सरकार के द्वारा और माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि आप अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, माननीय मंत्री जी का ही क्षेत्र पड़ता है । हमलोग को मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आने में एक घंटा लगता है और वहां जाम हो जाने पर दो घंटा, तीन घंटा झेलना पड़ता है । मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, एक और ओवर फ्लाई पुल जहां माननीय सदस्य बता रहे हैं उसके आगे थाना के बाजू में मोतीझील पर वह भी प्रस्तावित है और इसका भी भारत सरकार से आंकड़ा आ जायेगा तो निश्चित तौर पर इसपर विचार किया जायेगा । माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री शमीम अहमद : प्रस्ताव भेज दिया जाय । हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-138, श्री जय प्रकाश यादव,स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अन्तर्गत 17 नंबर रोड लंबाई 18 कि0मी0 रामपुर से बेलसंडी तक के जर्जर पथ एवं पुलों का जीर्णोद्धार सुलभ सम्पर्कता योजना के तहत करावे । ''

श्री सुमित कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा सुलभ संपर्कता अन्तर्गत योजनाओं के चयन हेतु मानक तय किया जाना है । जिसके अनुसार योजनाओं के चयन की प्राथमिकता तय की जानी है । सम्प्रति सुलभ संपर्कता की मार्गदर्शिका अनुमोदन हेतु विचाराधीन है । मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार अभिस्तावित पथ के पात्रता के फलस्वरूप अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी लंबी सड़क है और पांच पंचायत को जोड़ती है, जर्जर स्थिति में है, अगर वहां योजना स्वीकृत हो जाय, हमारा सड़क बन जाय । इसी निवेदन के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-35/पुलकित/29.03.2022

क्रमांक- 139 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अंतर्गत कुम्मा से बेला पथ के परिहार एवं मानिकपुर मुशहरनिया में नाला का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कुम्मा बेला पथ चार किलोमीटर मानिकपुर मुशहरनिया तथा 10 किलोमीटर से 11वें किलोमीटर में परिहार

बाजार अवस्थित है । इस पथ में मानिकपुर मुशहरनिया भाग में पथ के एक तरफ 270 मीटर लम्बाई तथा परिहार बाजार भाग में पथ के एक तरफ 427 मीटर तथा दूसरी तरफ 870 मीटर लम्बाई में पुल से निर्मित नाला है । तकनीकी सभ्यता प्रतिवेदन संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर शेष भाग में नाला निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले ले।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या अपना संकल्प वापस ले ले ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, संकल्प तो मैं वापस ले लूंगी लेकिन थोड़ा माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि वहां ब्लॉक है, हाई स्कूल, बाजार है और वहां इतनी परेशानी हो रही है । महोदय, बाहर थोड़ा सा पानी आता है तो पूरा बाजार डूब जाता है, ब्लॉक में जाने तक रास्ता नहीं रहता है । आधा नाला बना हुआ है । मानिकपुर मुशहरनिया मेरा गांव पड़ता है, उसमें आधा नाला बनकर छोड़ दिया गया है। महोदय, मैं बार-बार आग्रह करती रहती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी एक मिनट रूक जाइये । जो भी माननीय सदस्य अनुपस्थित थे एक बार उनका गैर सरकारी संकल्प देख लिया जाए । माननीय सदस्य ई0 शशि भूषण सिंह ।

क्रमांक- 6 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री लखेंन्द्र कुमार रौशन ।

क्रमांक- 8 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स0वि0स0

इनका गैर सरकारी संकल्प हो गया है ।

क्रमांक- 9 : श्री श्रीकान्त यादव

श्री श्रीकान्त यादव : महोदय, हो गया ।

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

क्रमांक- 10 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, हो गया ।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प हो गया है ? किसी माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प तो छूटा हुआ नहीं है ?

श्री पवन कुमार यादव : सर, मेरा संकल्प छूटा हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार यादव ।

क्रमांक- 47 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवगछिया-खगड़िया रेलखंड स्थित खरीक रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह रेलवे कनेक्टिविटी का है इस पर रेलवे को प्रस्ताव बनाकर सरकार भेज देगी ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : किसी और माननीय सदस्य का संकल्प तो नहीं छूटा है । आप बोलिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प था कि विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के चिकित्सा हेतु कैशलैस कार्ड की व्यवस्था करावें । महोदय, हमारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया और एक माननीय सदस्य का वही प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया । यह दोहरी नीति कैसे हो गयी ?

अध्यक्ष : क्या हुआ ?

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हमने जो संकल्प दिया था, बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों की चिकित्सा हेतु कैशलैस कार्ड की व्यवस्था करावें । इस पर स्वीकृति प्रदान की गयी लेकिन मेरा जो संकल्प था वह अस्वीकृत कर दिया ।

अध्यक्ष : जो विषय था अब आ गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, इसको भी स्वीकृत किया जाये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, उस पर विचाराधीन स्वीकृति दी गई है । विचाराधीन में है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण,

हमारे यहां पूरे साल को 06 मौसमों में बांटा जाता है - वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर । इनमें से वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है, इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है । हमारे यहां की मान्यताओं में वसंत के शुभ आगमन को वसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी से ही मनाया जाता है । महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सम्वत् पंचांग में वर्ष का अंत और प्रारम्भ दोनों वसंत ऋतु में ही होते हैं।

हमारे उत्सवधर्मी भारतीय समाज में सर्वाधिक त्योहार भी वसंत के इसी मौसम में मनाये जाते हैं । साहित्य-संगीत, राग-रंग, ज्ञान-ध्यान सबका उत्कर्ष इस मौसम में देखा जाता है । यानी जीवन के सभी पक्षों के श्रेष्ठतम को उत्सव और आह्लाद के साथ वसंत ऋतु में महत्व दिया जाता है ।

बजटीय प्रक्रिया जो कि हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व है वह भी आमतौर पर इसी मौसम में सम्पन्न होती है । इस बार दिनांक 25 फरवरी से प्रारम्भ हुए बजट सत्र में जनहित एवं विधायी कार्यों के निष्पादन के बीच आपने इस मौसम का आनंद लिया ।

अत: इस बजट सत्र की समाप्ति की पूर्व संध्या पर दिनांक 30 मार्च, 2022 को संध्या 07.00 बजे आप सभी माननीय सदस्यों के सम्मान में अध्यक्षीय आवास 02, देशरत्न मार्ग, पटना में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सहभोज का आयोजन किया गया है। हमने इस अवसर को वसंतोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है । आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप सभी ससम्मान शरीक हों । मैं आपसे और सदन की ओर से पूरे प्रदेश वासियों से भी शुभकामना के साथ कहूँगा :-

“भौरे गाते हैं नया गान,
कोकिला छेड़ती है नया तान ।
रहें सब जीवों के सुखी प्राण,
इस सुख का हो अब नहीं अंत
घर-घर में छाये नित वसंत ।।”

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 मार्च, 2022 के लिए कुल स्वीकृत निवेदनों की संख्या 46 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।